महानगर नई दिल्ली बुधवार 18 मार्च, 2020, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

कोरोना का कहर

तीसरी मौत, हरियाणा में पहला मामला; नोएडा में दो मामले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कोरोना विषाणु संक्रमण से मंगलवार को मुंबई में 64 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस विषाणु से मौत का देश में यह तीसरा मामला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हरियाणा में पहले और नोएडा में दो नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनको मिलाकर देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के मामलों की संख्या मंगलवार शाम तक 137 पर पहुंच गई। इनमें 24 विदेशी नागरिक हैं।

137 पहुंची देश में संक्रमित लोगों की संख्या, इनमें 24 विदेशी। **अफगानिस्तान,** फिलिपींस और मलेशिया से भारत आने पर प्रतिबंध। **महाराष्ट्र** में 50 फीसद क्षमता के साथ सरकारी कार्यालयों को चलाने की तैयारी।

केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से अफगानिस्तान, फिलिपींस और मलेशिया से भारत की यात्रा प्रतिबंधित कर दी है। यह व्यवस्था 31 मार्च तक जारी रहेगी। इस व्यवस्था की बीच-बीच में समीक्षा होगी। इस बीच 76 ट्रेनें रेलवे ने रद्द कर दी हैं जबकि केंद्र ने राज्यों की मदद के लिए 30 अधिकारियों की तैनाती की है।

महाराष्ट्र में सबसे अधिक 36 संक्रमित मरीज हैं और कोरोना संक्रमण से मौत का यह प्रदेश का पहला मामला है। मृतक का मुंबई के सरकारी कस्तूरबा अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरोना विषाणु से बाकी पेज 8 पर

केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने खुद को अलग किया

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री वी. मुरलीधरन ने कोरोना विषाणु संक्रमण की चपेट में आने की आशंका के चलते खुद को एहतियात के तौर पर पृथक कर लिया है। स्पेन से लौटे डाक्टर के कोरोना विषाणु से संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया। विदेश राज्य मंत्री 14 मार्च को तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआइएमटी) गए थे। सूत्रों ने बताया कि केरल से भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरलीधरन ने एहतियात के तौर पर खुद को अपने दिल्ली स्थित आवास पर अलग-थलग रखने का विकल्प चुना है।

बजट सत्र में कोई कटौती नहीं

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भाजपा सांसदों से कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। साथ ही स्पष्ट किया कि संसद के बजट सत्र में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चुनौती सामने है, तब सांसदों को अपना काम करते दिखना चाहिए। उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने में डॉक्टरों और नर्सों सहित चिकित्साकर्मियों की भूमिका व जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए सभी से सतर्क रहने को कहा। संसदीय कार्य मंत्री बाकी पेज 8 पर

54 हजार लोग सामुदायिक निगरानी में : हर्षवर्धन

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

सरकार ने कोरोना वायरस से निबटने के लिए देश भर में डाक्टरों व पैरामेडिकल कर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत में करीब 54 हजार लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा जा रहा है।

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा, 'वायरस से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए उनसे एक मीटर की दूरी से संपर्क करने की आवश्यकता के बीच, ऐसे रोगियों के इलाज का जोखिम उठाने के लिए मैं डाक्टरों व पैरा मेडिकल कर्मियों की सराहना करता हूं जो ईमानदारी व प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।' चिकित्सकों व पैरा मेडिकल कर्मियों की स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा की गई सराहना का सदस्यों ने मेजें थपथपा कर समर्थन किया। बाद में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने भी पूरक प्रश्न पूछते हुए इनके प्रयासों की सराहना की।

हर्षवर्धन ने सांसदों से अनुरोध किया कि वे कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए अलग से बनाई गई सुविधाओं का अपने क्षेत्रों में मुआयना कर सरकार को अपने सुझाव दें ताकि बाकी पेज 8 पर

'सीएए से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि नागरिकता संशोधन कानून, 2019 संविधान में प्रदत्त किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता है। केंद्र ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने 129 पेज के जवाब में नागरिकता संशोधन कानून को वैध बताया और कहा कि इसके द्वारा किसी भी प्रकार की संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन होने का सवाल ही नहीं है।

हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि यह कानून कार्यपालिका को किसी भी प्रकार के मनमाने और अनियंत्रित अधिकार बाकी पेज 8 पर

सरकार के दिशा निर्देश के बाद भी शाहीनबाग में धरना जारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कोरोना वायरस के मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से जारी परामर्श को देखते हुए शाहीनबाग की महिला प्रदर्शनकारियों के बीच मंगलवार को एक बार फिर वार्ता का प्रयास हुआ। इसके लिए दिल्ली पुलिस और आरडब्लूए से जुड़े लोगों ने पहल की। पुलिस अधिकारियों ने बाकी पेज 8 पर

प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

भीड़ को हतोत्साहित करने के प्रयास के तहत रेलवे के कुछ जोनों ने प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बाकी पेज 8 पर

डॉक्टर भी संक्रमण की चपेट में

कलबुर्गी/बंगलुरु, 17 मार्च (भाषा)।

कलबुर्गी में पिछले हफ्ते कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले बुजुर्ग का इलाज करने वाला डॉक्टर भी इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

जलोटा को अलग रखा गया

मुंबई, 17 मार्च (भाषा)।

भजन गायक अनूप जलोटा को मंगलवार सुबह यूरोप के दौरे से लौटने के बाद कोरोना विषाणु के खतरे के मद्देनजर मुंबई के एक होटल में पृथक रखा गया। 66 वर्षीय जलोटा एक संगीत समारोह के सिलसिले में यूरोप गए थे। मंगलवार तड़के वह मुंबई लौटे और उन्हें अंधेरी उपनगर के एक होटल में ले जाया गया।

गोगोई के राज्यसभा में मनोनीत किए जाने पर पूर्व न्यायाधीश जोसफ ने कहा

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसफ सहित पूर्व न्यायाधीशों ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन की कड़ी आलोचना की और कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पद लेना न्यायपालिका की स्वतंता को कमतर करता है।

जोसफ ने गोगोई और दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों जे. चेलमेश्वर और मदन बी. लोकुर (अब सभी सेवानिवृत्त) के साथ 12 जनवरी 2018 को संवाददाता सम्मेलन करके तत्कालीन सीजेआइ के तहत सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे।

जोसफ ने कहा कि गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों से समझौता किया है। उन्होंने हैरानी जताई और कहा कि गोगोई द्वारा इस मनोनयन को स्वीकार किए जाने ने बाकी पेज 8 पर

शपथ के बाद विस्तार से चर्चा करूंगा : गोगोई

गुवाहाटी, 17 मार्च (भाषा)।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच मंगलवार को कहा कि शपथ लेने के बाद उच्च सदन की सीट की पेशकश स्वीकार करने के बारे में वह विस्तार से बोलेंगे।

गुवाहाटी में अपने आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे संवाददाताओं से संक्षिप्त बातचीत में गोगोई ने कहा, 'मैं संभवतः बुधवार को बाकी पेज 8 पर

नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन मंजूर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

नौसेना में पुरुष और महिला अधिकारियों के साथ समान व्यवहार किए जाने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थाई कमीशन को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी के पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने से इनकार करने के 101 बहाने नहीं हो बाकी पेज 8 पर

भारत ने चीन व पाक का साझा बयान खारिज किया

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू-कश्मीर के जिक्र को लेकर मंगलवार को दोनों देशों की आलोचना करते हुए कहा कि वह दूसरे देशों से उम्मीद करता है कि वे उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी न करें और उसकी संप्रभुता का सम्मान करें।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के उनके समकक्ष आरिफ अल्वी के बीच मंगलवार को बेजिंग में हुई वार्ता के दौरान कश्मीर मुद्दा उठा। इस पर चीन ने कहा कि वह मौजूदा हालात पर पूरा ध्यान दे रहा है।

चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी एक संयुक्त बयान में बाकी पेज 8 पर

असर वृद्धि दर घटकर 5.3 फीसद रहेगी

मूडीज ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

रेटिंग एजंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने कोरोना वायरस के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर मंगलवार को 5.3 फीसद कर दिया।

एजंसी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने का टीकठाक आर्थिक असर होगा। प्रभावित देशों में इससे घरेलू मांग पर असर हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है और एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार घट रहा है।

मूडीज ने इससे पहले फरवरी में कहा था कि 2020 में भारत की जीडीपी 5.4 फीसद की रफ्तार से वृद्धि कर सकती है। हालांकि यह भी पहले के 6.6 फीसद के अनुमान से घटाया गया था। एजंसी ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने का टीकठाक आर्थिक असर होगा। प्रभावित देशों में इससे घरेलू मांग पर असर हो रहा है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है और एक देश से दूसरे देश में होने वाला व्यापार घट रहा है। मूडीज ने कहा कि ये व्यवधान जितना लंबा खिंचेंगे, वैश्विक आर्थिक मंदी का जोखिम उतना अधिक होगा। एजंसी ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.8 फीसद रहने का अनुमान व्यक्त किया। उसने कहा- कई सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

"I, Pawan Kumar Chaudhary, R/O C 212, Sanik Enclave, Sector -1, Uttam Nagar, New Delhi – 110059. Have changed my name to Pawan Choudhary for all future purposes." 0040535807-1

Sunita Saini W/o Manoj Kumar R/o-Flat No-9A, Ground Floor, Jhang Apartment, Sec-13, Rohini, Delhi-85 have changed my name to Neelam Saini for all purposes. 0040535837-1

Manoj Saini S/o Tapuram Saini R/o-Flat No-9A, Ground Floor, Jhang Apartment, Sec-13, Rohini, Delhi-85 have changed my name to Manoj Kumar for all purposes. 0040535835-1

I,Vikram Kanojia S/o-Sh. Ashok Kumar Kanojia R/o-18/344, Kalyanpuri, Delhi-110091,have changed my daughter,name from Tumansi Kanojia to Mansi Kanojia for,all future purposes. 0040535813-3

I,Isha W/o Ishan Rajouria R/o-H.No.-88-D,1st Floor, R-Block, Dilshad Garden, Jhilmil,Delhi-110095,have changed my name after marriage to Isha Rajouria. 0040535813-1

I,Hannaan Ahmad S/o Naseem Ahmad R/o-B-130 Street No.11, Kanti-Nagar-Ext. Delhi-110051, have changed my name to Hannan Ahmad for all purposes 0040535860-8

I,Avinash Rani W/o of Ashok Kumar Verma, R/o 7/57, Moti Nagar, New Delhi-110015 have changed my name to Avinash Rani 0040535828-1

I,Anis Ahmad S/o Abdul Shakoor saifi R/o-RC-662, Deepak Vihar,Khoda Colony,Ghaziabad,U.P.-201309,have changed my name to Anis Ahmed Saifi. 0040535813-2

I, am kesar kadam w/o Rajesh kumar. R/o D56/A , GF, Phase-2 , Vijay Vihar Delhi -110085. I Have changed my Name from Kesar to Kavita for All Future Purposes.(Kesar and KAVITA both the Names are of the same and one person. 0040535818-1

I, Vinod Sharma S/o Ishwar Singh R/o-Flat.no-03, Bhagirathi Appt. Sector-9 Rohini Delhi-110085. Have Changed my Name to Vinod Kumar Sharma. 0040535860-5

I, Vikram Mathur S/O Raj Singh R/O House no-71, Firani road, Village Mohammad Pur Majri Delhi- 81 have changed my name to Vikram Singh for all purposes. 0040535916-1

I, Vikram Dhama S/o Dharamvir Singh Dhama R/o B-119,First Floor, Chander Nagar, Janakpuri, New Delhi-110058 state that actual and correct name of my minor daughter is Somya Dhama instead of Somaya Dhama as written in her Passport and for all future purposes. 0040535792-1

I, Usha Kapoor W/O Vipan Kumar Kapoor R/O-M-337, Guru Harkishan Nagar, Paschim Vihar,Delhi-110087. Changed My Name to Usha Rani Kapoor. 0040535853-2

I, Taruna Gandhi, W/o Gaurav Gandhi, R/o A-1/57, Janakpuri, New Delhi-110058, India have changed my name to Taruna Juneja Gandhi for all purposes. 0040535918-1

I, Sushma Verma, D/o Govind Lal Verma R/o E-45B, M B Road Pul Pahladpur Vishwakarm Colony Kalkaji Delhi-110044, inform that name of my father has been wrongly written as Girdhari Lal. The actual name of my father is Govind Lal Verma, which may be amended accordingly. It is certified that I have complained with other legal requirement in this connection. 0040535798-1

Palvinder Singh Gill S/o Sukhdev Singh R/o-M-82, G.S.Apartment, Sec-13, Rohini, Delhi-85 have changed my name to Palvinder Singh for all purposes. 0040535844-1

Ritu Sondhi W/o Palvinder Singh R/o-M-82, G.S. Apartment, Sec-13,Rohini, Delhi-85 have changed my name to Manpreet Kaur for all purposes. 0040535881-1

I, Suresh Chandra S/O, Girjan Singh R/o 23, vimal Vihar Sikandra Agra-287007 UP have changed my name to Suresh Chandra Gangwar. 0040535860-2

I, Sunl Kumar S/o Rajinder Singh R/o-H.No.411, Ramyan-Gali, Poothkhurd, Delhi-110039,have changed my name to Sunil Kumar Verma, S/o Rajender Singh. 0040535877-3

I Irfan S/O Saheed Ahmed H.No-B-23, Dakshinpuri Dr. Ambedkar Nagar South Delhi-110062 changed My Name To Irfan Ahmed. 0040535868-5

I Gurleen kaur S/o Amarjeet Singh R/o-22/30B, Tilak nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Gurleen kaur Malhotra. 0040535841-2

I Govind Kumar S/O Shiv Shankar Singh H.No-B-112, Gali-No-7, Vikas-Vihar Uttam Nagar Delhi 110059, Changed My Name To Govind Singh. 0040535860-10

व्यक्तिगत

I, Sunil Kumar Bendara S/o Darshan Lal R/o-FA-4 Second Floor Mansarovar Garden Delhi-110015, changed my name to Sunil Kumar permanently. 0040535858-1

I, Sulekha Mandahar wife of Shri Amit Mandahar daughter of Shri Vijay Kumar Sarin, resident of 14/6, Ground Floor, Kalkaji, New Delhi-110019 have changed my name from Sulekha Sarin to Sulekha Mandahar for all purposes. 0040535831-1

I, Sudhir Kumar Malhotra S/O Om Parkash Malhotra R/O-C-419, Streetno.10, Majlis Park, Delhi-110033. Changed My Name To Sudhir Malhotra. 0040535868-4

I, Subhash Chand Agrawal S/o Shyam Lal Agrawal R/o-8-L, CPWD-Colony, Vasant-Vihar, N.Delhi-110057. have changed my name to Subhash Agrawal. 0040535868-3

I, Sonia Devi W/o Vinod Kumar Sharma R/o-Flat.no-03, Bhagirathi Appt. Sector-9 Rohini Delhi-110085 Have Changed my Name to Sonia Sharma. 0040535860-4

I, Shamsul Qamar S/o Abdul Rauf Abbasi R/o-P-190, Basti-Khawaja Mir Dard, Delhi-110002,have changed,my name to Shamsul Qamar Abbasi,for all purposes. 0040535877-1

I, Saravjeet Kaur W/o Swarn Singh R/o-H.No.7 Gali.No.7, Block-5 Geeta-Colony Delhi-110031, have changed my name to Sarvjeet Kaur for all purposes 0040535860-9

I, Saida Bano W/o Mohd.Sajid R/o 3900, 4th Floor, Gali Barna, Pahari Dhiraj, Sadar Bazar, Delhi-110006 have changed my name to Shazia Begum for all purposes. 0040535789-2

I, S.S.Manoj S/o Kanahaya Lal R/o-13/15, Sector-13, Vasundhara, Ghaziabad, have changed name to Surendar Singh Manoj. 0040535877-6

I, Ritu Bendara W/o Sunil Kumar R/o FA-4 Second Floor Mansarovar Garden Delhi-110015 changed my name to Ritu Bindra permanently. 0040535858-2

I, Ritika alias Ritika Sahdev D/o Ramesh Kumar W/o Rakesh Kumar Sahdev R/o H.No. 8, 4th Floor, West Patel Nagar, New Delhi-110008 have changed my name to Ritika Sahdev for all future purposes. 0040535824-1

I, Ravi Kumar S/o Sh.Vishnu Bhagwan R/o-800, Ward No.21, Vijay Nagar, Rohtak-124001 Haryana changed my name to Ravi Kumar Verma. 0040535841-5

I, Rani Devi Shrivastav W/o Prem Babu R/o G-13/77 Sector-15 Rohini Delhi-110089 changed my name to Rani Devi permanently. 0040535858-3

I, Raj Kumar Singh S/o Mohinder lal R/o H.No-128, Ward Number-12, Mohalla khatriyan wala, Birsanaur, Patiala Punjab-147103, have changed my name from Raj Kumar Singh to Raj Kumar for all purposes. 0040535803-1

I, Surjeet Kaur W/o Late Sh.Joginder Singh R/o 2/51, Single Storey, Ramesh Nagar, West Delhi, Delhi-110015 have changed my name to Jeet Kaur for all purposes. 0040535789-3

I, Radha Rani alias Radhika,W/o Lalit Kumar R/o-H.No.13, Double Storey, Welcome, Seelampur, Delhi-110053. have changed my name to Radha Rani. 0040535853-9

I, RAMMILAN son of VISH-VANATH, resident of H.No. 200, Vill./Mohalla-Baruwahar, Tehsil- Salon, Distt. Raebareli, U.P. have changed my name from RAMMILAN to ABDUL MOMIN for all purposes. 0040535880-3

I, RAMMILAN son of VISH-VANATH, resident of H.No. 200, Vill./Mohalla Baruwahar, Tehsil- Salon, Distt. Raebareli, U.P. have changed my religion from HINDU to ISLAM (MUS-LIM) w.e.f. 26.07.2004 for all purposes. 0040535880-4

I, Prem Shrivastav S/o Nepal Singh R/o G-13/77 Sector-15 Rohini Delhi-110089 changed my name to Prem Babu permanently. 0040535858-5

I, Noorjahan W/o Mohd. Shahid R/o 3900, 4th Floor, Gali Barna, Pahari Dhiraj, Sadar Bazar, Delhi-110006 have changed my name to Abida for all purposes. 0040535789-1

I, Neena Sehgal W/o Sunil Sehgal R/o AG-530-B Shalimar Bagh Delhi-110088 changed my name to Harsh Sehgal permanently. 0040535858-4

I, Manjula W/o Atul Bhandari R/o B2B/200 Janakpuri New Delhi-58 have changed my name to Komal Bhandari for all purposes. 0040535860-1

I Anil Kumar Parashar S/O Manohar Lal Add-Cb-17 Hari-Nagar Clock-Tower Private Colony Delhi-110064, Changed My Name To Anil Kumar Sharma. 0040535853-7

I, Amarjeet singh malhotra S/o Chunni Lal R/o-22/30B, Tilak nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Amarjeet Singh. 0040535841-4

I, Savita Soni W/o.Govind Verma R/o-118/26, Near Railway Station,Bhimgarh, Kheri, Gurgaon, Hariyana 122001. Have Changed my Name to Sunita Verma,for all purposes. 0040535860-6

I, Manju Rani/Manju W/o Jai Prakash R/o-C-117/A1, Near-Everest Public School, Shalimar Garden Extension-II, Ghaziabad, have changed name to Manju Singh. 0040535877-8

I, Manasa Kumar Sahoo S/o. Mandardhar Sahoo. R/o. T-71, 1st Floor, T-Block, Shukkar Bazar Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059. Have Changed My Name To Manas Kumar Sahoo For All Future Purposes. 0040535794-1

I, Mahindi Hasan S/o Imamudeen Ansari R/o B-15 DDA Colony New Zafrabad Delhi-110032 have changed my name to Mehandi Hasan Ansari. 0040535821-2

I, MD Aslam S/o Islamudeen R/o 4324, Gali No.20 Shanti Mohalla Gandhi Nagar Delhi-110031 have changed my name to Mohd Aslam. 0040535821-1

I, Km Anju Rani W/O Rajeev Kumar Jain R/O-A-3/246, Sector-16, Rohini, Delhi-110089. Have Changed My Name To Anju Jain. 0040535853-3

I, Khairul Nisha & Khairun Nisha W/o Aas Mohammad Qureshi R/o D-59 Gali No-4 Shastri Park Delhi-110053 have changed my name to Khairun Nisha Qureshi. 0040535796-1

I, Kaousar Jahan W/o Mohammad Rizwan R/o Z-II/175-176 Welcome Seelampur Delhi-110053 have changed my name to Kausar Jahan. 0040535796-2

I, Jyoti W/o Rajesh Kumar Verma R/o-X-2758 Street No.6B, Raghubarpura No.2,Gandhi Nagar Delhi-110031, have changed my name to Khushbu Ruheja for all purposes. 0040535868-6

I, Javeed Ahmad Siddiqi s/o Mohammad Siddiq Chadinoo r/o 282, Bharat Apartment, Sector-13, Rohini, Delhi 110085 have changed my name to JAVAID AHMAD SIDDIQI. 0040535920-1

I, Jasleen Ahuja W/o Hardeep Singh Chadha R/o J-9 /17G, Rajouri Garden, New Delhi 110027 have changed my name as Jasleen Kaur Chadha for all purposes. 0040535792-2

I, Dinesh Kumar R/o-A-6, Sanwal Nagar Near Sadiq-Nagar, New Delhi-49,have changed my minor Son's name from Parteek to Prateek. vide affidavit No-DL37431402315095S, dt-16-03-2020 0040535889-1

I, Deepti Kansal D/o Sh.Rajesh Goel R/o-H.No.852, Sector-31, Gurgaon, Haryana,have changed my name to Deepti Goel for all, future purposes. 0040535877-10

I, Deepika Nagi D/o Prem Nagi R/o-Bagichi.No.03A, Sun-Light Colony-2, Sidharth-Basti, Ashram, Jungpura, N.Delhi-110014 changed my minor daughter NAME Kristi Anand to Kristina Nagi. 0040535868-2

I, Deepika Anand D/o Prem Nagi R/o-Bagichi No.03A, Sun Light Colony-2, Sidharth-Basti, Ashram, Jungpura, N.Delhi-110014.changed my name to Deepika Nagi. 0040535868-1

I, Deepak Kumar Bhardwaj S/o Late.Shiv Charan Sharma R/o-J-90/1, Street.No.14, 3-1/2 Pusta, Kartar-Nagar, New Usmanpur, Garhi-Mendu, Delhi-110053. Changed my name to Deepak Bhardwaj. My correct DOB is 23/10/1989. 0040535880-2

I, Charanjeet Singh S/o Bhag Singh R/o-2nd-B, 75C, Rachna-Vaishali, Ghaziabad, have changed my name to Charanjit Singh. 0040535877-4

I, Chandra Mani S/O, S B Shukla R/o C-336, Nirala Nagar, Lucknow, 226020, Uttar Pradesh have changed my name to Chandra Mani Shukla for all purposes. 0040535747-5

I, Bharti Devi, M/o. Manoj Kumar Sharma(Army No 4084509N)have changed my name to Bharti Sharma with the DOB 1.1.1963 for my all documents, records & future correspondence. 0040535887-1

I, Aryaman K Gupta S/O Mr.Kapil Gupta, R/O-708, Lalleshwari-Vatika, Sector-21d, Faridabad, Haryana-121001, inform That Aryaman K Gupta And Aryaman Gupta Are Both Names Of Mine And Be Treated As Same Person,For All Legal And Official Purposes. 0040535880-1

I, Arshdeep S/o Jaspal Singh R/o:B-95, Guru Nanak Enclave, Chander-Vihar-Extn., Nilothi, New Delhi-41 Have Changed My Name to Arshdeep Singh. 0040535860-7

I, Anjana W/O Pawan Veer Singh R/O-1231-P, Sector-2, Rohtak-124001. Have Changed My Name To Anjana Singh. 0040535853-1

I Mukesh S/o Rambhu Prasad R/o-K-3/198 Gali.no.02, Mohan garden, Uttam Nagar, Delhi-110059, have changed my name to Mukesh Prasad Keshri. 0040535841-1

I Memuna D/O Mohammad Javed Add-128 Hazrat Nizamuddin Delhi-110013 changed My Name To Memuna Khan. 0040535853-8

I Lalita Malhotra W/o Amarjeet Singh R/o-22/30B,Tilak nagar, New Delhi-110018, have changed my name to Lalita. 0040535841-3

व्यक्तिगत

मेरा सैन्य अभिलेखों में गलती से मेरी पत्नि का नाम Smt. Babeeta दर्ज हो गया है जबकि आधार कार्ड व पैन कार्ड में वास्तविक नाम Smt. Babita Devi है। नं. – 4193470H, रैंक – नायक, नाम – नन्दन सिंह, यूनिट – चतुर्थ कुमाँऊ रेजीमेंट, C/o - 56 APO

सूचनार्थ मैंने अपने पुत्र समृद्ध जायसवाल का नाम बदलकर समृद्ध जायसवाल रख दिया है। उसे अब इसी नाम से जाना-पहचाना जायेगा। रोहित आनन्द जायसवाल 22, निकट ब्वायज एंग्लो बंगाली इण्टर कालेज, सुन्दरबाग, लखनऊ

I, Anita Rani/Anita W/o Surendar Singh Manoj R/o-13/15, Sector-13, Vasundhara, Ghaziabad, have changed name to Anita Singh. 0040535877-7

I, Anita Devi W/o Suresh Kumar R/o H. No. 1016, Vill. Mundka, West Delhi-110041 have changed my name from Krishna Devi to Anita Devi for all future purposes. 0040535822-1

I hitherto known as Neeta Goel alias Neha Goel,Wife of Sunil Kumar Goel, presently residing at T-6, Prasad Nagar,New Delhi-110005,have changed my name and shall hereafter be known as Neeta Goel. 0040535924-1

I Usha Rani W/0-Surender Bansal R/o- H.No-47 Sector-A-10 Pkt-6 Narela Delhi-110040, Change My Name To Usha Devi. 0040535841-7

I Sushant S/O Subhash Krishnia, H.No-3435, IInd-Floor, Sector-23, Gurgaon Have Changed My Name To Sushant Krishnia. 0040535853-5

I Surender Kumar S/O-Mange Ram R/o- H.No-47 Sector-A-10 Pkt-6 Narela, Delhi-110040, Change My Name To Surender Bansal. 0040535841-8

I Saroj W/o Ramesh Arora R/o-1490 Clock-Tower Punjabi Mohala Subzi Mandi Delhi-110007, Change My Name To Saroj Arora. 0040535841-9

I, Geeta W/o Kamal Singh R/o 670, Sector-9, Vasundhara, Ghaziabad, have changed name to Geeta Sing. 0040535877-9

I Rohit Kumar Arora S/O, Gian Chand Arora R/o A-2134, First Floor, Green Fields Colony, Faridabad-121010 have changed my name to Rohit Arora for all purposes. 0040535919-1

I Rahul Kumar S/o Ziya Lal R/o- H.No-2/48 Gali No-2 Nirankari Colony Delhi-110009. Change My Name To Rahul Khatri. 0040535841-10

I Rachna Ahuja W/O, Vikram Palia R/o I-6/6 Ug Floor Sector-16 Rohini Delhi have changed my name to Rachna Palia for all purposes. 0040535823-1

I Pawan Kumar S/O Sudarshan Kumar sabharwal R/O-J-3/39, First-Floor, Rajouri Garden, N.Delhi-110027. Have Changed My Name To Pawan Kumar Sabharwal. 0040535860-3

I Namrata Mithu Singh W/O Akash Pawaria R/O-Flat.No.2233, Ats-Dulce Sector Zeta-1 Greater-Noida Up-201301 change My Name To Namrata Pawaria. 0040535841-6

I Munawar Ali S/O, Amir Ali R/o A-46/b, Block-a Abul Fazal Enclave Part-II Shaheen Bagh, Delhi-25 have changed my name to Munawwar Ali for all purposes. 0040535737-1

I Geetika Bansal W/O. Nikhil Gupta ,R/O. B 289, Kendriya Vihar, Sector 56, Gurgaon-122011, Haryana Have Changed My Name From Geetika Bansal To Geetika Gupta For All Purposes. 0070703160-1

I Farzana Begum W/o Shamsul Qamar Abbasi R/o-P-190, Basti-Khawaja-Mir-Dard, Delhi-110002 have changed, my name to Farzana Begum Abbasi for all,purposes. 0040535877-2

I Chanda Singh W/O Mitesh Kumar Singh R/O H.No-625 Phase-3 GaliNo-8 Nangli Vihar-Extn New Delhi-110043.Have Change My Name Chanda Devi. 0040535853-4

I Anita W/O Sanjeev Kumar H.No.18, Rampuri, Kalkaji, New Delhi 110019, Changed My Name To Anita Sulhan. 0040535853-6

I Amal Kishor Singh & Amal Singh S/o Randheer R/O B 1304, Star Rameshwaram, Raj Nagar Ext. Gzb. are one & same person & hence forth. I shell be Known by the name Amal Singh for all purpose. 0050163934-1

PUBLIC NOTICE

It is to inform the General Public that my client Mrs. Kavita Grover W/o Lt. Sh. Arvind Grover R/o E-168, Kalkaji, New Delhi 110019 is the owner and in possession of the aforementioned property.

Few people having undue influence on her in breach of trust have got certain set of documents and blank papers signed from her and therefore She has revoked all Power of Attorneys, Agreements, WILL, etc given by her to any person, regarding aforementioned property.

Any person dealing in regards to the aforementioned property with any person other than my client shall be deemed to be null and void and also shall be at his/her own risk and consequences.

Sd/-
Jaswant Rai Aggarwal
Advocate
6, Prem Nagar Market, Tyagraj Nagar, Near Gate No. 2, Tyagraj Stadium, New Delhi-03
Cont. # 9810542066

खोया+पाया

I, Sahil Jain S/o Late Sh.Sushil Kumar Jain lost my original Sale-deed Paper of Property New No.A-70,Old No.A-35 Rishi-Nagar Rani-Bagh Delhi-34, Sale-deed Regd.documents No.15892, In book No.1,Volume No.3132 On Pages No.51 to 56 On dated 30/10/2010 with the Sub-registrar office VI-A Pitampura Delhi-34 and LR.No.260293/2020, if found please, cont-9873497134. 0040535858-6

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2006 and Roll No.6174428 issued by CBSE has been actually lost. Asma Jamal D/o Javed Jamal R/o 3992 Gali Khan Khana Jama Masjid Delhi-110006. Contact: 9717540523. 0040535811-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Secondary Examination of Year 2010 and Roll No 6175498 issued by CBSE has been actually lost. Name of the candidate Deepak Chauhan. Full Address: RZ-34/5 Rajnagar -1 Street no-3 Palam Colony ND-110045. Tel no:-9910784904 0040535825-1

It is notified for the information that my original qualifying Examination certificate of Secondary Examination of year-1985, ROLL.NO.22089, issued by CBSE has been lost.Name of candidate-NARESH KUMAR ADDRESS-RZL-44 MAHAVIR-ENCLAVE N.D.45. 0040535868-7

It is notified that my Original Degree Certificate of BACHELOR OF ENGINEERING issued by BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MESRA, RANCHI, ROLLNO. BE/7508/07,date of issue 28.01.2014 has been lost. NAME:H VENKITARAMAN, D-280 SUSHANT LOK PHASE-1, GURGAON. 0040535880-8

I, Mohd Kazim s/o Mohd Yunus R/o-A-308 new ranjeet-nagar D.D.A-flats ND-08. have lost my original certificate Class-10 (2014) rollno-8710889 Class-12(2016) Rollno-9687532 cbse-delhi. 0040535868-8

I, Pooja D/o Jawahar Singh R/o-y-1/14 Budh-Vihar, phase-1 Delhi-41. have lost my original certificate class-10th(2011) Rollno-8693136 class-12th (2013) Rollno-9680421 CBSE-Delhi. 0040535868-10

I, AARYANADITYA S/o Arvinder Singh Pal R/o-G-259 2nd-Floor Preet Vihar Delhi. have lost my original certificate class-10th year-2016 Rollno-8161118 CBSE-Delhi. 0040535868-9

PUBLIC NOTICE

Lost original DDA Possession Letter and Possession Slip for House No. B1A - 64 A, Janakpuri, New Delhi -110058 belonging to Balbir Bhatia S/o Krishan Lal Bhatia. FIR lodged vide LR No. 2594950/2018 dated 28-11-2018. Founder inform at above address.

PUBLIC NOTICE

Lost my Last Page of Original Lease Deed of No. 14/26B, Tilak Nagar, New Delhi-110018. Finder please inform to Shri Mukesh Bharija son of Shri Krishan Kumar on above address.

PUBLIC NOTICE

To be known to all that C.B. Srivastava S/o Lt. Sh. D.S. Srivastava R/o C4E/142, PKT-11, Janakpuri, New Delhi-58 allottee of C4E/142, PKT-11, Janakpuri, New Delhi 110058 in DDA. The original documents i.e. **Demand Cum Allotment Letter, Possession Letter, NOC for Water & Electricity Connection & Possession Slip** Etc have been lost. An FIR to this effect has been lodged in the Police Station, Vide LR No. **285954/2020** Dated **17/03/2020** S.O.No **430/2014**

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents, may write/contact with above named person at above Address/Phone No.**9717515714** within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest, objection with respect to this property, can personally inform or write to Dy. Director (LAB)H or Director (H) I, D-Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Najbuddin S/o Late Kamruddin R/o AB-323, Amar Puri, Nabi Karim, Pahar Ganj, New Delhi-110055 do hereby declare that name of mine and my father has been wrongly written as Mohammad Majmuddin Shaikh and Kamruddin Shaikh in my 10th class marksheet and certificate and name of mine has been wrongly written as Mohmmad Najbuddin Saikh in my 12th class marksheet and certificate and name of mine and my father has been wrongly written as N D Khan and K D Khan in my Driving License and Voter ID Card and name of mine and my father has been wrongly written as Najmuddin Khan and Kamruddin Khan in my PAN Card No. BPHPK5194J. The actual name of mine and my father is Najbuddin and Kamruddin, which may be amended accordingly.

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एस. रंजीत सिंह और सुश्री नरिंदर कौर [illegible] दिल्ली में स्थित एस. रंजीत सिंह और सुश्री नरिंदर कौर की अलग–अलग दान विलेख दिनांक 22.02.2018 और 16.04.2018 के आधार पर सम्पत्ति [illegible] परिसर [illegible] का मालिक एवं कब्जाधार होने का दावा किया है और मालिकाना हक के अनुसार एस. रंजीत सिंह और सुश्री नरिंदर कौर ने श्रीमती [illegible] उपरोक्त सम्पत्ति बेचने के लिए [illegible] [illegible] आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से सम्पर्क किया है और इसलिए कथित सम्पत्ति को [illegible] बैंक के पास गिरवी रखा जाएगा। उक्त सम्पत्ति या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई दावा होने पर इस सूचना के दिनांक से 10 दिनों के भीतर नीचे दिए गए उल्लेखित पते पर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा न करने पर, ऐसे व्यक्तियों के दावे को [illegible] माना जाएगा और हमारे मुवक्किल उक्त सम्पत्ति पर [illegible] की प्रक्रिया करेगा।

Sunil Parsad (Advocate)
For Juris NextGen Law Offices
E-56, Greater Kailash Enclave Part-1
New Delhi-110048

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल श्याम कुमार पुत्र श्री महासिंह एवं उनकी पत्नी बिमला पता– ई 20, प्रेम नगर–1 किराडी सुलेमान नगर दिल्ली ने अपने पुत्र महावीर द्वारा शराब पीकर झगड़ा करने, धमकियां देने कारण महावीर व उसकी पत्नी रेनू से अपने सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद करके उन्हें अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है भविष्य में वे अपने सभी कृत्यों के स्वयं उत्तरदायी होंगे।

एस.पी. शर्मा (अधिवक्ता)
चै.नं. के–128, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली–54

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल (1) **आजाद सिंह** पुत्र स्व. श्री [illegible] निवासी न0. 80, गली न0.2, [illegible] एनक्लेव, सुलतान पुरी रोड, सुलतान पुरी, दिल्ली–110086, ने अपने पुत्र **कुलदीप** को उसके गलत कृत्यों / दुर्व्यवहार के कारण अपने सभी सम्बन्ध विच्छेद कर लिये हैं तथा उसको अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में यदि कोई व्यक्ति उससे कोई भी सम्बन्ध बनाता है या कोई लेन–देन करता है या इस पर कोई पुलिस केस / कोर्ट केस आता है तो मेरे मुवक्किलों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ओ0 पी0 शर्मा (अधिवक्ता) [illegible] डी.एम. ऑफिस, [illegible] दिल्ली–110041

PUBLIC NOTICE

This is to inform the general public that my clients Shri Narad Pandit S/o Shri Banwari Pandit and his wife Smt. Kalavati Devi, R/o 59, Sainik Enclave, Sec-5, Mohan Garden, New Delhi-59, have severed all their relations from their son Shri Rahul and his wife Smt. Anoopa, both R/o 11, Sec-5, Sainik Enclave, Mohan Garden, New Delhi-59 due to their illegal activities, misdeed & misconduct and debarred them from all their movable and immovable properties. My clients have no concern whatsoever with them in any manner and shall not be liable for their any acts & omissions & whoever deals with them shall do so at his own risks & responsibilities.

NARESH C. SHARMA (Advocate)
Ch.No. 424 and 434,
Dwarka Courts, New Delhi-75

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Vishal Kochhar S/o Sh. Om Prakash Kochhar R/o B-70, Second Floor, Near Sethi Hotel, Sham Nagar, Tilak Nagar, West Delhi, Delhi-110018 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Vishal Kochar and Prakash Kochar in my 10th and 12th class marksheet and certificate. The actual name of mine and my father is Vishal Kochhar and Om Prakash Kochhar, which may be amended accordingly.

PUBLIC NOTICE

"This is to inform to the general public that my clients 1) Sh. Kallu Khan S/o Sh. Gasita Khan, 2) Sh. Kamil and 3) Sh. Kasim Khan all R/o Block-B, House No.16, Gali No.3 Keshav Nagar, Ibrahim Pur, Delhi-110036, have disowned their son and brother respectively, Kadir Khan S/o Sh. Kallu Khan R/o Block-B, House No.16, Gali No.3, Keshav Nagar, Ibrahim Pur, Delhi-110036 from all their moveable and immoveable properties as he has misbehaving with my clients and quarreling with my clients inebriated state. If any person deals with him then it will be at his own risk and consequences and my clients will not be responsible for his acts, deeds, etc.

Sd/-
ASHOK KUMAR SHARMA
Advocate
Ch. No. C-145, C.L. Joseph Block
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

"It is hereby notified for general information that my clients Navneet Thakur S/o Lt. Sat Narain & his wife Ms. Preeti Thakur, both R/o 38-B, LIG, DDA Flats, Rampura, Delhi-35, have severed all their relations with their brother Manish Thakur and his wife Meenakshi forthwith and have debarred them from inheriting all their movable and immovable properties as they follow their own ways and are disloyal towards my clients and the family. He/she who deals with them shall be doing so at his/her own risks and responsibility and my clients shall not be responsible for the same in any manner".

Sd/-
MANJEET SINGH
Advocate
Ch. No. 3, Civil Wing,
Tis Hazari, Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

"It is hereby notified for general information that my client Smt. Sadhna Wd/o Sh. Sat Narain, R/o 38-B, LIG, DDA Flats, Rampura, Delhi-35, has severed all her relations with her son Manish Thakur and his wife Meenakshi forthwith and have debarred them from inheriting all their movable and immovable properties as they follow their own ways and are disobedient and disloyal towards my clients and the family. He/she who deals with them shall be doing so at his/her own risks and responsibility and my clients shall not be responsible for the same in any manner".

Sd/-
NAVIN K. CHAUDHARY (Advocate)
Ch. No. 3, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

In the instruction of my clients Mr. Davinder Singh Bajaj S/o Late K. S. Bajaj and Mrs. Pushpinder Kaur W/o Mr. Davinder Singh Bajaj both R/o J-5/91, Rajouri Garden, New Delhi-110027. do hereby disowns their married son Mr. Damandeep Singh Bajaj aged 32 yrs, his wife Mrs. Jasleen Kaur 30 yrs and their son Kanvir Singh aged 6 yrs all R/o same as above, from all their moveable and immovable properties and social boycott them, due to their misconduct and wrong doings. Henceforth my clients and their family members shall not be responsible for their any acts. Anybody dealing with them will do at their own cost and risk in future.

Sd/-
Mrs. Meena (Advocate)
J-1/162A, Rajouri Garden,
New Delhi-110027

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that my client Sh.Davinder Banga S/o Faqir Chand Banga and Rajni Banga W/o Davinder Banga both R/o B-6,Sainik Nagar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 do hereby disown and debar their son Amit Banga and his wife Nandita (W/o Amit Banga) from all their movable and immovable properties because they are out of control of my clients.

Anybody dealing with them shall be doing so at his/her/their own risk, cost and responsibility whatsoever. My clients will not be held responsible for any of their act, deed and things.

Sd/- B. B. N. DEO, ADVOCATE
S.R-II,B Campus,Janakpuri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

I/We Amit Inder Chopra S/o. Sh. Inderjeet Chopra and Mrs. Sheena Chopra W/o. Mr. Amit Inder Chopra R/o. H. No. 183, Krishna Nagar Dogra Mohalla, Jammu (J&K) has lost Original Sale Deed, Original Allotment Letter and Original Receipts of my flat no. 603, Tower - LILY, Ansal Grace, Chowadhi, Jammu the said flat purchased from Mr. Suraj Khajuria S/o. Sh. Rakh Dev Khajuria on 08.04.2015 and the missing document was in the name of Mr. Suraj Khajuria we has lodge missing report for the same on 16.03.2010, complaint no. 8010520000186. If anybody found and any objection in selling my property (flat no. 603, Tower -Lily) to Mr. Sheikh Adil iqbal he/she may contact both of us, my contact no. 7006279562 and Mr Sheikh Adil contact no. 9906546249 within 7 days from the date of this notice.

अदालती सूचना

In the Court of Sh. Deepak Garg, Family Court, North-West District Rohini, New Delhi
HMA-1025/19

Nitin Jain ...Petitioner
Vs.
Rakhi Jain ...Respondent

To,
Rakhi Jain
D/o Mr. Ramesh Chand Gupta
W/o Mr. Nitin Jain
R/o A-103, Tower Heights, Pitampura, Delhi

Whereas petitioner application has been made before me and you are hereby informed through this notice dated 30/05/20 you are hereby required to appear in person or by pleader.

Judge, Family Court,
North-West District,
Rohini New Delhi

दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय ई-मेल, वाट्सऐप पर जारी करेंगे नतीजे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कोरोना विषाणु के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय विद्यालय वार्षिक परीक्षा के परिणाम ई-मेल और वाट्सऐप के जरिए घोषित करेंगे। इस बार अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन भी नहीं किया जाएगा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष अभिभावकों को ई-मेल और वाट्सऐप के माध्यम से परिणाम दिए जाएंगे। अपने बच्चे के प्रदर्शन या किसी जानकारी के बारे में शिक्षकों के साथ टेलीफोन पर चर्चा की जा सकेगी या फिर स्कूल खुलने के बाद चर्चा की जा सकेगी। इस संबंध में संगठन के दिल्ली संभाग की ओर से सभी विद्यालय प्रधानाचार्यों को सूचना भेज दी गई है। कोरोना विषाणु के खतरे को देखते हुए दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय 31 मार्च तक बंद हैं और केवल परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। प्राथमिक कक्षाओं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं और उन्हें बिना परीक्षा के अगली कक्षा में भेजने का निर्णय किया गया है।

'अवैध आप्रवासियों के धार्मिक जगहों पर रहने की संभावना'

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि उसे देश में कुछ लोगों के अवैध दस्तावेजों के साथ चोरी-छिपे व छलपूर्वक प्रवेश करने की सूचनाएं मिली हैं और उनके धार्मिक स्थानों में रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में अनुराग शर्मा और राजवीर दिलेर के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ऐसे अवैध आप्रवासियों की मौजूदगी के संबंध में सूचनाएं मिली हैं, जिन्होंने देश में वैध दस्तावेज के बिना चोरी-छिपे और छलपूर्वक प्रवेश किया हो। इनमें से कुछ अपने रहने की अधिकृत अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध तरीके से रह रहे हैं। राय ने कहा कि उनके धार्मिक स्थानों में रहने की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ अवैध आप्रवासियों द्वारा कानून का उल्लंघन करने और अवैध गतिविधियों में लिप्त होने के मामले भी सामने आए हैं।

PUBLIC NOTICE

Be It Known To All That My Client RAMDHUN S/O MOTI LAL disowned their Son's 1st JUGAL KISHORE And His Wife NEHA, 2nd Son YUGESH, 3rd Son MANISH From My All movable/immovable Properties/Assets For their Wrong Behavior. Hereafter My Client not be held responsible for any kind of acts done by him in money Or Transaction And Any Illegal/Legal And Property Purpose in Future. That My Client debarred from entering My Premises Situated At D-16, DWARKA SEC-3, DWARKA PAPPAN KALA PHASE-I, DWARKA, DELHI-110078. Anybody Dealing With Them in any manner whatsoever will be doing at his/her own cost, Risk & Responsibility.

RITU VERMA (ADVOCATE)
Enrl No:- D/1126/92

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण श्री [illegible] सिंह एवं उनकी पत्नी [illegible] कौर निवासी–[illegible] गली नं. 13, गोविन्दपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली–110019 ने कहा है। यह कि मेरे मुवक्किलगण ने अपने बेटे [illegible] सिंह व उसकी पत्नी [illegible] कौर को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुए उन्हें अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य में मेरे मुवक्किलगणों का उपरोक्त बेटे व उसकी पत्नी से कोई संबंध नहीं है। यदि भविष्य में उनके साथ कोई भी व्यक्ति लेन देन या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिए मेरे मुवक्किलगण व उनका परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।

बृज लाल (अधिवक्ता)
चै.नं. 610, साकेत कोर्ट, दिल्ली–17

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that the same original as well as photocopies of G.P.A., Agreement to Sell, Receipt, WILL etc. in respect of Entire First Floor of Property No.C-42 (New) and D-17 (Old), out of Khasra Nos 351 & 352, situated at Village Malikpur Chhaoni, abadi known as Mahendru Enclave, Gali No.2, Delhi-110033, are reported to be lost and not traceable till date and in this regard a Information Report lodged vide LR No.257733/2020 dated 14.03.2020 presently stands in the name of my clients Col. Sanjay Kumar Jain S/o Sh. Mahesh Chandra Jain and Sh. Mahesh Chandra Jain S/o Late Sh. R.S. Jain R/o V-3, Ground Floor, Green Park Extn., New Delhi. If anyone found the same can lodge the same to the undersigned.

Sanjay Jindal (Advocate)
RU-368, Pitampura, New Delhi-34
Enroll. NO. D/479/13 Ph.: 9868495152

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Ranjan Rajput Son of Shri Baccha Singh residing at A-66/1, Gali No.7, Vikas Vihar, Uttam Nagar, New Delhi-110059 declare that name of father has been wrongly written as Bachchan Singh in my all educational documents, driving license, Aadhar Card, PAN card. The actual name of my father is Bachcha Singh respectively which may be amended accordingly. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PUBLIC NOTICE

I on behalf of my client Smt. Rohini Singh D/o. Late Sh. Shashank Shekhar Singh R/o. A-150, Sector - 43, Noida, Uttar Pradesh - 201301 do hereby declare and inform to the public at large that my client is an adult lady of 37 years age and commands very good and sound disposing mental health and is capable enough to take all decisions of her life and health. She discharges her mother Smt. Purnima Singh from all responsibilities and further restrains her from acting as her legal guardian or nominated/ authorized representative to deal with anyone whomsoever in any manner. If anyone deals with the mother of my client under the impression that she is acting as representative of my client, shall do so at his/her/their own risk, cost and consequences, my client shall not be responsible for the same, in any manner whatsoever.

Ashok K. Singh (Advocate)
Office: A-420, LGF, Defence Colony, New Delhi-110024.

PUBLIC NOTICE

It is informed to the general public that my clients Smt. Kusum Gupta W/o Late Sh. Ashok Gupta and Sh. Kuldeep Aggarwal S/o Late Dr. O. P. Nagar are the legal owners of Property no - BE-346, Gali No.5, Hari Nagar, Maya Puri, New Delhi-110064, area measuring 100sq.yards, along with the building comprised of Basement, Ground floor, First floor with terrace. The Original Receipt and Agreement to sell & purchase has been lost. An FIR on this effect has been lodged in **Police Station Crime Branch Delhi vide (LR No.144627/2020, dated 10.02.2020).** If any person(s) having any claim in respect to the above mentioned property or part thereof by way of sale exchange, mortgage, charge, gift, maintainability, inheritance, possession, lease, sub-tenancy, lien, licence, hypothecation, transfer of title a beneficial interest under any trust rights of prescription of pre-emption award or otherwise claiming however are hereby requested to make the same in writing with supporting documents at Sh. Kuldeep Aggarwal, E-972, Saraswati Vihar, New Delhi-110034, Mobile: 9810420801, Email: kuldeepaggarwal67@gmail.com within a period of 10 days of the publication here of failing which the claim of such person will deemed to have been waived or/and abandoned.

KAMAL SINGH (ADVOCATE)
Ch.no.512, Distt. Court, Rohini, Delhi-85

सरकार में विमर्श का अभाव : रूडी

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने मंगलवार को लोकसभा में अपनी ही सरकार के भीतर संवादहीनता की स्थिति होने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी स्थिति को देखकर उनका दिल रोता है।

सदन में वायुयान संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए रूडी ने कहा कि पायलटों को विदेशों में प्रशिक्षण देने के लिए 50 करोड़ डॉलर धनराशि सालाना खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में केवल 250 पायलटों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जबकि देश को सालाना एक हजार पायलटों की जरूरत है। दिक्कत यह है कि विमानन क्षेत्र की दिक्कतों को कहीं भी कोई जानना नहीं चाहता... कोई जानना तो चाहे, बात तो करे...दिल रोता है। प्रधानमंत्री जिस लगन के साथ अपने आप को देश के लिए खपाना चाहते हैं, हम भी वैसे ही खुद को देश के लिए खपाने को तैयार हैं। हमें संसद का 30 साल का अनुभव है, अब तो रिटायर होने का वक्त है। राजनीतिक करियर के अपने अंतिम पांच साल में हम हैं। 30 साल बहुत होते हैं। उन्होंने कहा कि वह यह सब इसलिए कह रहे हैं कि शायद कोई सुने। संवाद नहीं है। इससे पूर्व उन्होंने पटना हवाईअड्डे के संबंध में कहा कि वहां ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की जरूरत थी और वह एक बड़ा विमानन हब बन सकता था, लेकिन वहां 4700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, जिससे एक फीसद संचालन लाभ मिलेगा, जो कि धन की बर्बादी है।

विदेश यात्रा से ओड़ीशा लौटने पर पंजीकरण अनिवार्य

भुवनेश्वर, 17 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के प्रयासों के तहत ओड़ीशा सरकार ने विदेश यात्रा से राज्य में लौटने वाले लोगों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पंजीकरण कराने और घर पर पृथक रहने के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी फैसला किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव एके त्रिपाठी ने कहा कि जो कोई भी विदेश से ओड़ीशा लौटेगा, उसे टोल फ्री नंबर 104 या ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से खुद को पंजीकृत करना होगा।

www.readwhere.com

सन्नाटा कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के सफदरजंग के मकबरे का प्रवेश बंद कर दिया है। फोटो : अरुष चोपड़ा

विधानसभा की विशेष समिति को मिली 504 शिकायतें

हिंसा में तैरते रहे अशांति फैलाने के संदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

दंगों के दौरान दिल्ली में अशांति फैलाने वाले संदेश भी प्रसारित हो रहे थे। विधानसभा की विशेष समिति को ऐसी 504 शिकायतें मिली हैं, जो सीधे तौर पर आम जनता की भावनाओं को आहत करती थीं। मंगलवार को समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और इन मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों से साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नौ ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो समिति के समक्ष आने को तैयार हैं।

समिति को अब तक विभिन्न माध्यमों से कुल 7732 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में 232 ईमेल व 7500 वाट्सऐप संबंधित शिकायतें मिली हैं। समिति के मुताबिक इन शिकायतों में से कुल 2110 शिकायतों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 504 शिकायत ऐसी मिली है जो भावना भड़काने वाली हैं। इन मामलों में समिति उचित कार्यवाही करने की तैयारी कर रही है। 1110 ऐसी शिकायतें मिली जो कि कार्यवाही योग्य नहीं थी। समिति के मुताबिक संबंधित शिकायतकर्ताओं से दो बार पूछताछ की गई है। उनकी शिकायत ली गई है और उस पर जवाब भी दर्ज कराया गया है। अब समिति अगली सुनवाई में समिति दोनों आरोपियों (शिकायकर्ता और जिसके खिलाफ शिकायत) को समन कर मामले की सुनवाई शुरू करेगी। समिति के मुताबिक जिनती भी गंभीर शिकायतें हैं उन सभी मामलों में आने वाले शिकायतकर्ताओं और आरोपियों को सम्मन के बाद विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। तय प्रावधानों के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है। इसमें तीन साल तक की कैद की भी सजा है।

विधानसभा की शांति व सद्भाव समिति गठित

दिल्ली विधानसभा ने शांति व सद्भाव के लिए नौ सदस्य वाली एक विशेष समिति का अध्यक्ष विधायक राघव चड्ढा को बनाया है। समिति के गठन के आदेश विधानसभा सचिव सी. वेलमुरूगन ने जारी किए हैं। समिति किसी भी उपद्रव की स्थिति में शांति व सद्भाव संबंधित कार्यों के लिए गठित की जाती है।

वक्फ बोर्ड ने दंगा पीड़ितों को दिए दो-दो लाख की सहायता राशि

शिव विहार के दंगा पीड़ितों को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दो– दो लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। शिव विहार निवासियों ने मंगलवार को बोर्ड अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने मुलाकात की थी। बोर्ड की तरफ से इन परिवारों को पुनः कारोबार करने के लिए दो–दो लाख की सहायता राशि दी गई है। पीड़ितों में शिव विहार फेस 7 के निवासी राम वरण, मुकेश और जगदीश शामिल हैं। इनकी परचून की दुकान थी, जिसमें लूट मार की गई और फर्नीचर तोड़ दिया गया। जबकि मुकेश की मिष्ठान की दुकान थी और जगदीश का घर लूट लिया गया। इस अवसर पर लक्ष्मी नगर से पूर्व 'आप' विधायक नितिन त्यागी भी मौजूद रहे थे।

मुफ्त छिड़काव के फैसले के बाद आगे आए वाहन चालक

सार्वजनिक वाहनों को विषाणुमुक्त करने की पहल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कोरोना संक्रमण का डर दिल्ली के यात्रियों में भी है। इसे दूर करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में भी संक्रमण रोकने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इन गाड़ियों को संक्रमण फ्री होने का एक प्रमाणपत्र भी सरकारी एजंसियां जारी कर रही हैं। मुफ्त प्रावधान होने की वजह से बड़ी संख्या में वाहन चालक इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। मंगलवार को पहले दिन पहली पाली में 1751 सार्वजनिक वाहन को संक्रमण मुक्त किया गया।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों के साथ-साथ मेट्रो की भी दैनिक आधार पर साफ–सफाई की जा रही है। सभी आइएसबीटी को भी रोजाना विषाणुरहित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से प्लेटफार्म और सामान्य सतहों जैसे हाथ की रेलिंग, सीटें आदि शामिल है।

ऑटो और टैक्सियों पर विषाणुनाशक दवा का छिड़काव करता एक व्यक्ति।

इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन से संबंधित वाहन जैसे ऑटो–रिक्शा, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब, इको–फ्रेंडली सेवा आदि को संक्रमण से बचाया जा रहा है। इसमें 1182 ऑटो–रिक्शा और 194 ई–रिक्शा शामिल हैं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस विशेष अभियान के संबंधित में सरकार को आदेश जारी किए थे। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत व्यक्तिगत रूप से इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने सलाह दी है कि हर किसी को अपने वाहन को हर दिन संक्रमण मुक्त करना चाहिए हालांकि यह सेवा सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। इससे काफी हद तक संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है और खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं।

वेस्ट टू वंडर पार्क और नंदन वन 31 तक बंद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वेस्ट टू वंडर पार्क और नंदन वन 31 मार्च तक बंद रहेंगे। दक्षिणी निगम ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंगलवार को बचाव उपायों की समीक्षा बैठक करते हुए यह फैसला लिया। मेयर सुनीता कांगड़ा ने कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। इस मौके पर स्थाई समिति अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भी मेयर के साथ जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में भाग लिया। कांगड़ा ने यह बताया कि हमारे मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर, नर्स व हैल्थ वकर्रों को 24 घंटे दिल्ली सरकार के कॉरनटाइन सेंटर पर तैनात किया गया है।

दंगा प्रभावित इलाकों में बढ़ाया जाए पुलिस बल : सिसोदिया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस बल बढ़ाने की बात कही है। बैठक में स्वस्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उत्तर पूर्वी जिले के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारियों एवं राजस्व जिला अधिकारी समेत दिल्ली पुलिस के संयुक्त पुलिस आयोग उपस्थिति थे।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि अब दंगा प्रभावित परिवार अपने घरों में वापस जाने की तैयारी में हैं। वह पिछले कुछ सप्ताह से राहत शिविरों में थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अधिक पुलिस बलों की तैनाती के निर्देश दिए हैं ताकि बिना किसी भय के लोग अपने घरों में लौट सके। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत जरूरी है कि दंगा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और

मजबूत की जाए। पुलिस के इस कदम के द्वारा लोगों में जो भय बना हुआ है वह समाप्त होगा। उन्होंने सहायता शिविरों में बाहरी लोगों की आवाजाही की रोकने के लिए सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन नियुक्त करने पर भी जोर दिया।

उपमुख्यमंत्री ने मुआवजा प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित फार्म में दंगा पीड़ितों की जो कमियां हैं इन्हें शीघ्र दूर किया जाए और दोहरे फार्म की छंटनी की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण करें। फॉर्म के सत्यापन की प्रक्रिया तेज करें।

कोरोना : पूर्वी निगम में सभी समारोह की बुकिंग रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

पूर्वी निगम में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता है तो स्वामी दयानंद अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के सभी 10 कमरों को एक अलग वार्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। स्थाई समिति अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष सचिन कपूर ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी।

इसके साथ ही निगम क्षेत्र में स्थापित समुदाय भवनों, बैंक्वेट हॉल आदि में होने वाले समारोह की सभी बुकिंग रद्द कर दी गई है। कुल 284 बुकिंग निरस्त की गई है। कपूर ने कहा कि पूर्वी निगम में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है। दो समुदाय भवनों को आवश्यकतानुसार अलग वार्ड में तब्दील किया जा सकता है। समिति के अध्यक्ष सचिन शर्मा ने कहा कि पूर्वी निगम से निगम क्षेत्र में स्थापित सभी बैंक्वेंट हाल, होटल, रेस्टोरेंट को दिशानिर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवेश द्वार पर हाथ धोने अथवा रोगाणुनाशक द्रव्य की व्यवस्था करें अन्यथा उनपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फरवरी से अभी तक चीन, थाइलैंड, जापान, सिंगापुर से 390 विदेशी यात्री पूर्वी निगम क्षेत्र में आए हैं जिनमें से अधिकतर वापस जा चुके हैं। वहीं, उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह ने कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क बांटे व दवा सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया।

सेवानिवृत्त लिपिक ले रहे सरकारी आवास का आनंद

दिल्ली सरकार ने घर खाली करने को कहा

लोक निर्माण विभाग ने जारी किए हैं आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात कर्मचारियों ने अपने–अपने विभागों से सेवानिवृत्त होकर विदाई तो ले ली है लेकिन अब तक सरकारी आवास को नहीं छोड़ा है।

दिल्ली सरकार ने इन सभी विभागों के कर्मचारियों को आदेश दिए हैं कि वे तत्काल सरकारी घरों को खाली करें। दिल्ली सरकार की विशेष सचिव गरिमा गुप्ता ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों की बेहतर सुविधाओं के लिए उन्हें आवास सुविधाएं उपलब्ध कराती है। ये आवास सुविधाएं विभिन्न श्रेणी में है और इनमें टाइप वन, टू और थ्री श्रेणी के आवास है। संबंधित कर्मचारियों की कार्य श्रेणी के अनुसार ही सरकार इन आवास का आबंटन करती है। इस सूची में टाइप–वन के गुलाबी बाग 27 आवासीय परिसर, टाइप –टू के 49 और टाइप–थ्री के 11 आवासीय परिसर शामिल हैं। हाल ही में यह सामने आया था कि दिल्ली सरकार के बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेकिन इन कर्मचारियों ने अपने आवास खाली नहीं किए हैं। इस वजह से लोक निर्माण विभाग को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इसके बाद एक विस्तृत जांच रिपोर्ट बनाकर ऐसे आवास की एक सूची जारी की गई है। इस सूची के मालिकों को हाई कोर्ट के आदेशों को हवाला देते हुए कहा गया है कि वे तत्काल इन आवासीय परिसरों को खाली करें ताकि इसके बाद अन्य कर्मचारियों को घरों का आबंटन किया जा सके।

इन आदेशों की प्रति को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, उपसचिव भवन आबंटन, सभी संबंधित अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं को भेजी गई है।

बजाज आलियान्ज़ लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: बजाज आलियांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, येरवडा, पुणे - 411006.
फोन: 020 66026777, फैक्स: 020 66026789

सार्वजनिक सूचना

बजाज आलियान्ज़ लाइफ़ इंश्योरेंस के पॉलिसीधारकों को यह सूचित किया जाता है, कि हाल ही में जो उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से प्रभावित हुए है, उनके लिए दावा दिशानिर्देशों को सरल/आरामदायक किया गया है

नामांकित या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा जमा किए जाने वाले न्यूनतम दस्तावेजों को नीचे उल्लिखित किया गया है:
1) ऐसे मामलों में जहां जन्म और मृत्यु को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो, कंपनी सरकारी अस्पतालों या पुलिस या दिल्ली के सरकारी अधिकारियों या बचाव अभियान में शामिल आर्म फ़ोर्स द्वारा सुनिश्चित जीवन बीमित की प्रमाणित सूची को स्वीकार करेगी
2) NEFT को सक्षम करने के लिए बैंक विवरण के साथ नामांकित/कानूनी उत्तराधिकारी (पहचान पत्र और पता प्रमाण) का KYC
3) मृत/गुमशुदा जीवन बीमित का फ़ोटो

किसी भी सहायता के लिए, कृपया दीपक गुप्ता से संपर्क करें
बजाज आलियान्ज़ लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी, युनिट नं- 716-721 और 742,7वा माला, प्लॉट नं.-4, DLF टॉवर, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली-110015
ईमेल - deepak.gupta012@bajajallianz.co.in | **फोन** - 011 - 66277034

U. T. Administration of Dadra & Nagar Havel and Daman & Diu, Office of the Chief Engineer, Public Works Department, Moti Daman, Daman. 396 220.
No. SE/PWD/EST/DB-ND/2019-20/396 Dated: 16.03.2020

WALK-IN-INTERVIEW (on Contract basis)

Public Works Department, UT of Daman & Diu invites application from eligible candidates who fulfil the educational qualifications and other criteria for 01 (one) post of Resident Civil Engineer at Delhi on short term contract basis.

The walk in interview will be conducted on **03.04.2020** between **11:00 AM to 12:30 PM** in the office of the Deputy Resident Commissioner, Daman Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi.

For details and downloading of application format please visit official website **www. daman.nic.in**

(B. C. Warli)
Chief Engineer, PWD, Daman.

www.readwhere.com

निर्भया मामले में आरोपी मुकेश की

फांसी रद्द करने की याचिका खारिज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

दिल्ली की एक अदालत ने मौत की सजा रद्द करने की मांग करने वाली निर्भया बलात्कार और हत्या के दोषी मुकेश की याचिका खारिज कर दी है। लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोषी मुकेश की मौत की सजा के खिलाफ दायर यह याचिका गैरजरूरी है और इसके जरिए सजा में विलंब कराने का इरादा है। दरअसल निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के चार दोषियों में से आरोपी मुकेश सिंह की मौत की सजा को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर अदालत मंगलवार को सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषी मुकेश की याचिका खारिज की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर इस याचिका में दावा किया गया था कि मुकेश को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और उसे 17 दिसंबर, 2012 को दिल्ली लाया गया था। साथ ही इसमें कहा गया है कि मुकेश 16

मुकेश की याचिका को बताया गया गैरजरूरी और सजा में विलंब करने का इरादा।

दिसंबर को शहर में मौजूद नहीं था जब यह अपराध हुआ था। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सिंह को तिहाड़ जेल के भीतर प्रताड़ित किया गया। पांच मार्च को निचली अदालत ने मामले के चार दोषियों- मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी के लिए मृत्यु वारंट जारी किया था।

मामले में चारों दोषियों और एक किशोर सहित छह व्यक्ति आरोपी के तौर पर नामजद थे। छठे आरोपी राम सिंह ने मामले की सुनवाई शुरू होने के कुछ दिनों बाद तिहाड़ जेल में कथित तौर पर खुदकुशी कर ली थी, जबकि एक सुधार गृह में तीन साल गुजारने के बाद 2015 में किशोर को रिहा कर दिया गया था।

राष्ट्रपति को भेजी दूसरी दया याचिका

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले के दोषी अक्षय कुमार ने 20 मार्च को तय फांसी से महज तीन दिन पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दूसरी दया याचिका दायर की है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि कुमार ने मंगलवार की शाम को राष्ट्रपति को संबोधित याचिका दायर की। फांसी तिहाड़ जेल में ही दी जानी है। उन्होंने कहा कि इस याचिका को भी दिल्ली सरकार के मार्फत गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

एनपीआर पर संसद में जो कहा वही हो : महिला संगठन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

देश भर के 18 महिला संगठनों से जुड़ी एक हजार से ज्यादा महिलाओं ने राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) पर कोई दस्तावेज नहीं मांगने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए वक्तव्य को कानूनी जामा पहनाने और एक अप्रैल से शुरू हो रहे जनगणना अभियान से एनपीआर को अलग रखने के लिए शासकीय आदेश जारी करने की मांग की है। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे शासकीय आदेश जारी कर यह व्यवस्था करें कि एक अप्रैल से जब राज्य के कर्मचारी जनगणना करने घर-घर जाएं तो उनसे साथ एनपीआर वाला रजिस्टर या फार्म न हो। वे केवल और केवल जनगणना का काम पूरा करें। उनका राज्यों के मुख्यमंत्रियों से साफ तौर पर आग्रह है कि एनपीआर पर रोक लगाई जाए।

भारतीय महिला फेडरेशन की सचिव एनी राजा, लेखक व सामाजिक कार्यकर्ता फराह नकवी, सतर्क नागरिक संगठन की अंजलि भारद्वाज, एनएपीएम की मीरा संघमित्रा, एआइडीडब्लू की मरियम धवाले, सहेली (परिनियामक) की वाणी सुब्रमण्यन, प्रगतिशील महिला संगठन पूनम कौशिक ने इस बाबक बुलाई प्रेस कांफ्रेंस में इसकी जानकारी दी और इसके औचित्य पर बात रखे। वक्ताओं ने कहा कि केरल और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने इस बाबत सरकारी आदेश जारी कर दिया है। वहां केवल जनगणना का अभियान चलेगा।

एनी राजा ने कहा-12 मार्च को गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि एनपीआर को लेकर कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। महिलाएं चाहती है कि इसको कानूनी शक्ति मिले। संसद कानून लाकर इस बाबत उपबंध को निरस्त करें।

फराह नकवी ने कहा- सभी राज्यों को मुख्यमंत्रियों को पत्र इसलिए लिखा गया है ताकि वे शासकीय आदेश जारी कर जनगणना अभियान में लगे अपने कर्मचारियों में यह साफ कर दें कि जनगणना वाले आंकड़े जुटाने वाले फार्म के साथ एनपीआर वाला रजिस्टर या फार्म न ले जाएं। पूनम कौशिक ने कहा- कानून में संशोधन हो। ताकि दस्तावेज नहीं मांगने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का आश्वासन अटल हो जाए। अंजलि भारद्वाज ने कहा- असम में 19 लाख लोग नागरिकता और गैरनागरिकता के बीच में झूल रहे हैं। इनमें 60 से 65 फीसद महिलाएं हैं। मरियम धवाले ने इस मौके पर सरकारी आंकड़ों के हवाले से दावा किया कि देश के 38 फीसद महिलाओं को पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में एनपीआर के कागजात कैसे पूरा किया जा सकता है। मीरा संघमित्रा ने दिल्ली सरकार से भी अपील की कि वह इस बाबत शासकीय आदेश जारी करें ताकि दिल्ली में भी जनगणना अभियान से एनपीआर को अलग रखने की बात पक्की हो। जिन राज्यों की विधानसभा ने इसे लेकर प्रस्ताव पारित किया था।

सार्वजनिक स्थल किए जाएंगे विषाणुमुक्त

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 मार्च।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ केके गुप्त ने मंगलवार को प्राधिकरण कार्यालय का निरीक्षण किया और विषाणुनाशक द्रव्य का प्रयोग, बचाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश चस्पा करने, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राधिकरण के कॉमन एरिया तथा पब्लिक यूटिलिटी एरिया में दिन में तीन बार साफ सफाई करायें। विशेष रूप से लिफ्ट बटन, डोर हैंडल, पानी की टोटी तथा विभिन्न टच प्वाइंटस को साफ करने के भी निर्देश दिए हैं।

प्राधिकरण ने आरडब्ल्यूए से अनुरोध किया है कि सेक्टरों, सोसायटी, पार्कों में लगी कुर्सी, टेबल, झूलों आदि की नियमित रूप से साफ सफाई कराए जाने के संबंध में आम जन मानस तथा सेक्टर के निवासियों को जागरूक करें। उन्होंने बताया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पार्कों में लगे झूलों, सिटिंग एरिया, सार्वजनिक शौचालयों में भी विशेष अभियान चलाते हुए सफाई करा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पांच तापीय परीक्षण उपकरण खरीद लिए हैं। एसीईओ ने निर्देश दिए कि प्राधिकरण कार्यालय क्षेत्र में यदि कोई कोरोना वायरस सस्पेक्ट पाया जाता है तो तत्काल जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।

भाजपा ने हनुमान मंदिर में बांटे मास्क

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च

कोरोना वायरस के संक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए भाजपा ने एक मुहिम शुरू की है। भाजपा के नेताओं ने मंगलवार नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाकों में मास्क रोगाणुनाशक द्रव्य बांटा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और

लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया। बता दें कि यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विधानसभा क्षेत्र है।

उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इससे बचाने के लिए डॉक्टर लगातार काम कर रहे हैं। इस बीमारी से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

इस मौके पर संगठन मंत्री सिद्धार्थन, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, राजेश भाटिया, प्रदेश मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा, एससी मोर्चा अध्यक्ष मोहन लाल गिहारा, कैलाश गुप्ता व डॉ वीरेंद्र रोहिला उपस्थित थे। वहीं, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी की अगुआई में भाजपा विधायकों ने कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन पर जनता को जागरूक किया और इस महामारी से बचाव की जानकारी दी गई। इस मौके पर भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओ पी शर्मा, अनिल वाजपेई और अभय वर्मा समेत पार्टी के अन्य नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

एसबीआइ ने कहा आपात स्थिति में ही आएं बैंक

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 मार्च।

कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) ने एक पहल करते हुए ग्राहकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके तहत कहा गया है कि बहुत जरूरी होने पर ही बैंक आएं। अधिक से अधिक लोग 'योनो ऐप' का प्रयोग करें। अधिकांश ट्रांजेक्शन ऐप के जरिए ऑनलाइन करें। इसके अलावा नकदी निकालने व जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) का प्रयोग करें। मशीन के जरिए 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं और 20 हजार रुपए तक निकाले जा सकते है।

एसबीआइ सेक्टर-48 के शाखा के शाखा प्रबंधक अमर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरबीआइ की ओर जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य किया जा रहा है। बैंक को प्रतिदिन किटाणुमुक्त किया जा रहा है। शाखा के सभी स्टॉफ के टेबल पर रोगाणुमुक्त द्रव्य रखवा दिए गए हैं। ग्राहकों को बैंक के गेट पर किटाणुमुक्त किया जा रहा है। ताकि वह संक्रमण मुक्त होकर अंदर जाए। साथ ही सभी लोगों को आने वाले ग्राहकों से करीब एक मीटर की दूरी बनाए रखने की सलाह भी दी है। उन्होंने बताया कि बैंक में बहुत जरूरी काम ही हो तभी आए। बैंक व एसबीआइ के सभी एटीएम मशीनों को भी सेनेटाइज किया जा रहा है।

सिसोदिया के खिलाफ याचिका खारिज हो : दिल्ली पुलिस

नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को यहां की एक अदालत से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास हिंसा से संबंधित फर्जी खबर फैलाने के आरोप में सिसोदिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। पुलिस ने कहा कि ऐसा ही मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा के समक्ष दायर एक नई स्थिति रिपोर्ट में यह बात कही गई है। उन्होंने पुलिस द्वारा आप नेता को दी गई क्लीन चिट को पहले खारिज कर दिया था। पुलिस ने कहा कि चूंकि कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित विभिन्न राजनीतिक नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाली एक याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस अदालत की मौजूदा अर्जी खारिज कर देनी चाहिए। शिकायतकर्ता अलक आलोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के नेता ने पिछले साल 15 दिसंबर को जामिया नगर में हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के कमचारी पर डीटीसी बस में आग लगाने का आरोप लगाकर फर्जी खबरें फैलाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

भाजपा ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च

खारी बावली में तोड़े गए जल पियाऊ के मामले में भाजपा ने स्थानीय लहौरी गेट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पुलिस शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि दुकान 628 खारी बावली के मालिक ने यह प्याऊ तोड़ा है। इस संबंध में निगम की शिकायत पर लाहौरी गेट पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की। अब कोर्ट स्टे निगम व पुलिस पर लागू नहीं होता। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने पुलिस आयुक्त एवं उत्तरी दिल्ली पुलिस उपायुक्त से मांग की है की वह मामले में लहौरी गेट थाना प्रमुख की भूमिका की जांच करवाएं और उन पर उचित कारवाई हो।

कोरोना का डर : नोएडा में हर दिन दौरा और बैठक

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 मार्च।

कोरोना वायरस को लेकर शहर में तैयारी पूरी है। जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। टीम में तीनों प्राधिकरण के एक-एक अधिकारी व पुलिस कमिश्नर का एक अधिकारी होगा। प्रत्येक दिन टीम के निर्देश पर शहर में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद बैठक की जाएगी। यह जानकारी कोविड-19 को लेकर नोएडा प्राधिकरण के प्रशानिक खंड के कार्यालय में हुई बैठक के बाद दी गई। बैठक में सांसद डॉ महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह, तीनों प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिलाधिकारी शामिल हुए।

सांसद डॉ महेश शर्मा ने बताया कि शहर में अब तक तीन लोगों को कोविड-19 का संक्रमण मिला है। तीनों को अलग वार्ड में रखा गया है। शहर में 400 बेड का क्वरंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसमें 200 बेड जिला अस्पताल और शेष स्टॉफ क्वार्टर में बनाए गए हैं संक्रमण बढ़ने की स्थिति में सरकारी व प्राइवेट दोनों ही अस्पताल एक साथ मिलकर काम करेंगे। यह जिलाधिकारी के आदेशों के तहत होगा। आइएमए पहले ही अपनी रजामंदी दे चुका है बेडों की जरूरत पड़ने पर उनकी कमी को दूर कर किया जाएगा।

डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि शहर में पांच तरह की जनसंख्या है। इसमें विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी व भारतीय छात्र-छात्राएं, हाइराइज सोसायटी में रहने वाले लोग। यहां 20 से 25 मंजिल तक हाइराइज इमारत है। तीसरा फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग जिनको जागरूक किया जा रहा है। चौथा व पांचवा गांव व सेक्टर में रहने वाले लोग हैं। डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि यह वायरस वायु से नहीं फैलता है। स्पर्श से यह तेजी से फैलता है। ऐसे में कम से कम एक मीटर की दूरी होनी जरूरी है। इसके लिए सरकारी व निजी आफिसों में काम करने वाले लोगों के लिए एक मीटर दूरी रखने के लिए दो बैचों का प्रयोग करें।

शहर में ट्रैकिंग का काम तेज

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए या विदेश से लौटे लोगों को ट्रैक करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसमें किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति के अनुसार स्थितियों में बदलाव किया जा रहा है।

कोरोना की सूचना पर भी दौड़ेगी 'डॉयल 112'

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 मार्च।

पहले अपराध या किसी घटना की सूचना पर 'डॉयल 112' दौड़ती थी। अब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की जानकारी मिलने पर भी डॉयल 112 दौड़ेगी। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के निर्देश 13 रैपिड एक्शन की टीमों का गठन भी किया गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग की टीम को लगता है कि कहीं उसे पुलिस की जरूरत है तो रैपिड एक्शन टीम वहां पहुंचेगी। यह जानकारी सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस कमिश्नर ने प्रशिक्षण शिविर में दी।

कोरोना वायरस से बचाव, सुरक्षा व नियंत्रण को लेकर मंगलवार को सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक डॉ एनएस धनू ने पुलिसकर्मियों को वायरस से बचाव, सुरक्षा व नियंत्रण के बारे में जानकारी दी।

फार्मासिस्ट की हत्या करने के आरोप में दोस्त गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

दिल्ली की एक फार्मासिस्ट युवती की रामपुर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप युवती के दोस्त पर है। पुलिस के मुताबिक, दोनों में 2017 से दोस्ती थी। आरोप है कि युवक किसी और से शादी करना चाहता था जबकि युवती उसके ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। प्रियंका अधिकारी नाम की युवती की हत्या के आरोपी उसके दोस्त हीरा सिंह को पुलिस ने खोजबीन के बाद गिरफ्तार किया है।

दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, आंबेडकर नगर थाना में बीते महीने खेम सिंह नामक एक व्यक्ति ने अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीडीए

युवक किसी और से शादी करना चाहता था

पारिवारिक रिश्ते की वजह से वह शादी नहीं कर पा रहे थे

फ्लैट में रहने वाली प्रियंका एक अस्पताल में फार्मासिस्ट थी। पुलिस को पता चला कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में पत्थर से कुचलकर उसके शव को फेंक दिया गया है। उपायुक्त अतुल ठाकुर ने बताया कि इस मामले में नैनीताल के रहने वाले हीरा सिंह उर्फ हरीश बिष्ट को गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी सर्विलांस और स्थानीय सूचना के बाद गिरफ्त में आया हीरा सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी प्रियंका से दोस्ती थी और वह उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन दोनों के पारिवारिक रिश्ते की वजह से वह शादी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि रिश्ते में प्रियंका हीरा सिंह की दूर की भांजी लगती थी। इसी बीच उसकी दोस्ती किसी और लड़की से हो गई थी जिसकी भनक प्रियंका को लग गई। हीरा सिंह दूसरी लड़की से शादी करने की योजना बना रहा था तभी प्रियंका ने विरोध शुरू कर दिया। वारदात से एक दिन पहले दोनों डीडीए फ्लैट आंबेडकर नगर में रात के समय मिले। और फिर वहां से बस से आनंद विहार पहुंच गए। वहां से लड़ते-झगड़ते रामपुर के लिए रात में निकल गए। दूसरे दिन तड़के चार बजे के करीब रामपुर पहुंचे तो वहां दोबारा दोनों में झगड़ा बढ़ गया। आरोप है कि प्रियंका ने हीरा सिंह को थप्पड़ मार दिया जिससे गुस्से में आकर हीरा ने उसके ऊपर पत्थर से हमला कर दिया। उसने प्रियंका पर लगातार पत्थर से हमला करते हुए उसकी हत्या कर दी और शव को फेंक कर उसका पर्स ले लिया बस पकड़कर दिल्ली की तरफ निकल आया। उसने प्रियंका के पर्स से उसका एटीएम, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह निकाल लिया। दिल्ली आने के बाद आरोपी ने एमबीए की परीक्षा भी दी। जब दो दिन तक प्रियंका का कुछ पता नहीं चला तो उनके घर वालों का फोन हीरा सिंह के पास आने लगा। फिर दिल्ली में गुमशुदगी का मामला दर्ज होकर जांच शुरू हुई। पुलिस ने हीरा सिंह को गिरफ्तार कर मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा किया।

घायल सिपाही की हालत स्थिर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

द्वारका इलाके में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में घायल कांस्टेबल राजीव कुमार की मंगलवार को भी हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टरों ने उनके शरीर से गोली निकाल ली है। राजीव कुमार मूल रुप से बुलंदशहर के रहने वाले है। वहां डाबड़ी इलाके में परिवार के साथ रह रहे हैं। परिवार में पत्नी के अलावा उनके दो जुड़वा बच्चे भी है। कांस्टेबल राजीव कुमार की बहादुरी को सभी लोग सलाम कर रहे है क्योंकि सोमवार को उन्होंने कबाड़ी के दुकान में छुपे बदमाशों में से एक को होमगार्ड के एक जवान की मदद से पकड़ लिया था।

खबरों में शहर

डाबरी छठ घाट पर मिला सरकारी कर्मचारी का शव

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

डाबरी इलाके में मंगलवार सुबह एमटीएनएल में कार्यरत चालक का शव संदिग्ध हालात में छठ घाट के पास पड़ा मिला। 57 साल के विनोद एमटीएनएल के जीएम फाइनेंस का गाड़ी चलाते थे। पुलिस ने विनोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित रखवा दिया है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि यह हत्या है या कुछ और। पुलिस के मुताबिक चालक अपने परिवार के साथ महावीर एन्क्लेव गली नंबर-41 में रहता था। विनोद जनपथ स्थित एमटीएनएल कार्यालय में चालक था। मंगलवार सुबह डाबरी छठ घाट के पास से गुजर रहे लोगों ने एक अधेड़ को बेसुध पड़े देख पुलिस को सूचना दी।

सांस्कृतिक गतिविधियों पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कोरोना वायरस पर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को एक दिशा निर्देश जारी किया है। अपील कहकर जारी निर्देश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जहां तक संभव हो घरों में रहने और बिना जरूरत के बाहर नहीं निकला जाए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक या मनोरंजन प्रधान कार्यक्रम में चार से पांच लोग एक साथ नहीं रहे।

पुलिस ने धरना, प्रदर्शन, रैली और इस प्रकार के अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों को 31 मार्च तक बंद करने की अपील की है। पुलिस ने ऐसे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति पत्र जारी नहीं करेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक जगहों पर मनोरंजन के लिए कोई भी लाइसेंस या अनुमति जारी नहीं करेगी।

यूपी रेरा अदालत में 31 मार्च तक नहीं होगी सुनवाई

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 मार्च।

कोरोना वायरस के चलते यूपी रेरा लखनऊ मुख्यालय तथा एनसीआर रीजन की अदालत में 18 से 31 मार्च तक मामलों की सुनवाई स्थगित कर दी गयी है। सुनवाई की अगली तिथियों को बाद में तय किया जाएगा। जिसकी जानकारी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। रेरा के एनसीआर रीजन के सचिव अबरार अहमद ने बताया कि रेरा अदालत में सुनवाई के दौरान ज्यादा लोग एकत्र हो जाते हैं। जिससे वायरस फैलने की आशंका बनी रहती है। लिहाजा अभी तक जो मामले सूचीबद्ध थे, उनकी सुनवाई 31 मार्च तक स्थगित कर दी गयी है। यदि कोई व्यक्ति मामले की तत्काल सुनवाई की प्रार्थना करता है तो उसे यूपी रेरा की वेबसाइट पर सचिव को संबोधित प्रार्थना पत्र देना होगा। उस प्रार्थना पत्र के आंकलन के बाद ही तय किया जाएगा कि मामला तत्काल सुनवाई योग्य है या नहीं। जिसकी सूचना वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। 31 मार्च के बाद मामलों की सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।

यातायात पुलिसकर्मियों से मारपीट, चार पकड़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 मार्च।

बिना हेलमेट मोटरसाइकिल से घूम रहे तीन युवकों को जांच के लिए रोकना ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। पुलिस के मुताबिक महरौली थाना इलाके में स्थित इग्नू रोड पर बीते बुधवार को ट्रैफिक एएसआई प्रदीप कुमार अपने साथी ट्रैफिक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल अनिल कांस्टेबल सतपाल और कांस्टेबल धरमबीर के साथ बिकानेर स्वीट्स के सामने ड्यूटी कर रहे थे। शाम करीब साढ़े तीन बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट सामने आ रहे तीन युवकों को जांच के लिए रोका गया। जांच के लिए रोके जाने पर तीनों युवक भड़क गए और पुलिसवालों से झगड़ा करने लगे। उन्होंने अपने अन्य साथी को भी मौके पर बुला लिया। फिर चारों मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए। सड़क पर हंगामा होता देख लोगों की भीड़ जुटने लगी तो मौके का फायदा उठाकर चारों मौके से फरार हो गए।

ठेकेदार से मांगी रंगदारी, तीन बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
ग्रेटर नोएडा, 17 मार्च।

निर्माणाधीन कोरियन कंपनी के ठेकेदार से रंगदारी मांगने के मामले कासना पुलिस ने तीन को गिरफ्तार किया है, जबकि चार अन्य फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से तीन तमंचे, कारतूस व कार बरामद हुई है। पीड़ित ठेकेदार से सोमवार को रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। इस घटना से तो यही लग रहा है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद भी रंगदारी का खेल अभी भी चल रहा है। डीसीपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित ठेकेदार की तहरीर पर कासना कोतवाली पुलिस ने दीपक उर्फ भोला, सुनील, राकेश, राहुल निवासी चचूला, सचिन उर्फ दादा, हरेंद्र नागर तथा सतीश टाइगर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है।

www.readwhere.com

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी

(भारत सरकार का उपक्रम)

समाधान, वसूली और विधि, क्लस्टर कार्यालय फरीदाबाद, नीलम चौक, एनआईटी, फरीदाबाद–121002 (हरियाणा) फोन: 0129-2415525, ई–मेल: rrl_7622@obc.co.in

ई–नीलामी विक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **20.04.2020** को बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार. **धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 18.04.2020 को सांय 4.00 बजे तक है।**

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं स्वामी का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली में वृद्धि हेतु राशि	ई–नीलामी की तारीख/समय	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि (जमानती कर्ज)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण
1	मैसर्स जी जी इंजीनियरिंग वर्क्स	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सम्पत्ति मकान नं. 5सी/80, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 226 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री गुरुचरण तलवार पुत्र श्री चुन्नीलाल तलवार के नाम पर सब–रजिस्ट्रार फरीदाबाद जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – रोड, पूरब में – रोड, दक्षिण में – 5सी/77 जी जी ईजी., पश्चिम में – 5सी81	₹ 66.00 लाख ₹ 6.60 लाख ₹ 0.50 लाख	20.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	02-04-2019 ₹ 3,11,894.93 + interest and other charges w.e.f. 31-08-2019	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
2	श्रीमती हेमा शर्मा और श्री राम कुमार	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. एमसीएफ नं बी–184, वार्ड नं. 2, जोकि मौजा डबुआ एनआईटी फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, रैक्ट नं. 31, किला नं. 20(8–0), चौहद्दी : पूरब में – मकान नं. बी–183, पश्चिम में – मकान नं. बी–185 उत्तर में – 15फीट रास्ता दक्षिण में – अन्य की सम्पत्ति नं. बी/184 का हिस्सा	₹ 22.80 लाख ₹ 2.28 लाख ₹ 0.20 लाख	20.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	05-11-2019 ₹ 23,29,308.00 + interest and other charges w.e.f. 31-10-2019	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
3	मैसर्स कृष्णा सेल्स्	विस्तारित प्रभार मकान नं. 1–बी/224 एनएच–1 एन आई टी. फरीदाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 79.13 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री दीपक अरोड़ा पुत्र चमन लाल अरोड़ा के नाम पर है। जिला फरीदाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – रोड, दक्षिण में – 1–बी/224 का दक्षिणी हिस्सा, पूरब में – 1–बी/224 का हिस्सा, पश्चिम मे – 1–बी/224 का हिस्सा	₹ 58.50 लाख ₹ 5.85 लाख ₹ 0.50 लाख	20.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	01-08-2019 ₹ 13,07,180.33 + ₹ 13,00,098.78 + दिनांक 30.09.2019 से भविष्य का ब्याज	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018
4	श्रीमती सोनिया पत्नी श्री यशपाल और सीमा देवी पत्नी जय देव	साम्यिक बंधक रिहायशी सम्पत्ति ईपी – 504, सम्पत्ति नं. 2452, जोकि मोहल्ला इंदरपुरी, दयानंद स्कूल के पास, पलवल में स्थित, कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सोनिया पत्नी यशपाल और श्रीमती सीमा पत्नी जयदेव के नाम पर सब रजिस्ट्रार पलवल जिला पलवल में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – ईपी 506, पूरब में – गली सरे आम, दक्षिण में – प्लॉट नं. 531 – 532, पश्चिम में – भजन लाल का मकान	₹ 18.50 लाख ₹ 1.85 लाख ₹ 0.20 लाख	20.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार की शर्त पर	03-07-2019 ₹ 14,44,183.00 + दिनांक 31.08.2019 से भविष्य का ब्याज	A/c No. 00181181000031 A/c Name : EMD Account Circle Office Name of the Beneficiary: OBC IFSC Code: ORBC0100018

नियम व शर्तें

1. ई–नीलामी "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" आयोजित की जा रही है।
2. धरोहर राशि और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 18.04.2020 को सांय 4.00 बजे तक है।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं सूचना के अनुसार सम्पत्ति पर कोई भार नही है। इच्छुक बोलीदाता नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति पर किसी भी भार, टाइटल और सम्पत्ति पर किसी भी दावे/अधिकार/बकाए के संबंध में बिड जमा करने से पहले स्वयं जांच कर सकते हैं। सम्पत्ति बैंक को ज्ञात और अज्ञात सभी वर्तमान और भविष्य के ऋण–भार सहित बेची जा रही है। तृतीय पक्ष यदि सम्पत्ति पर किसी बकाए / अधिकार के संबंध में कोई दावा करता है, तो इसके लिए किसी भी तरह से प्राधिकृत अधिकारी/जमानती ऋणदाता जिम्मेदार नहीं होगा।
4. इच्छुक बोलीदाता जिन्होंने धरोहर राशि जमा किया है और लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए **मैसर्स सी1 इण्डिया प्रा. लि., बिल्डिंग नं. 301, प्रथम तल, उद्योग विहार, फेज–2, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, गुड़गाँव, हरियाणा–122015, हैल्प लाईन न. 0124-4302020/21/22/23/24, ईमेल– delhi@c1india.com, support@bankeauctions.com** व्यक्ति का नाम जिसे सम्पर्क किया जा सके **श्री विनोद कुमार / श्री भगत सिंह मो. +91-9813887931/7291981129)** और सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ एवं निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी: **श्री रणविजय सिंह, मो. नं. 9911346306 ई–मेल: rrl_7622@obc.co.in** से कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते है।

उपरोक्त बंधक सम्पत्तियां जो कि ई–नीलामी में लगी है की निलामी असफल होने की स्थिती में नियमानुसार बैंक प्राईवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री करने का अधिकार रखता है।

(विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया हमारी वेबसाईट : www.obcindia.co.in और https://www.bankeauctions.com देखें)

दिनांक 17.03.2020 स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

होमश्री हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HomeShree Your Trust, Our Pride

पंजीकृत कार्यालय : 705, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 011–43586767, 8882233311 सीआईएन : U65191DL2010PLC206137

नीलामी सह विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सामान्य रूप से जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार / सह–कर्जदार को सूचित किया जाता है कि होमश्री हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके पश्चात इसे **"ऋणदाता कम्पनी"** कहा जायेगा) के अधिकृत प्राधिकारी के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर होमश्री हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने **29/11/2019** को भौतिक कब्जा कर लिया है. **श्री ब्रजेश कुमार (कर्जदार) तथा श्रीमति सोमा राज (सह–कर्जदार)** से **रू 25,69,725/– (रूपये पच्चीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पच्चीस मात्र)** तथा **09/11/2018** से वसूली की तिथि तक प्रतिभूत लेनदार के अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित बकाया राशि की वसूली हेतु **"जहा है जैसे है", "जो है यही है"** तथा **"जो कुछ भी है" आधार पर"** ऋणदाता कम्पनी के बिना किसी आश्रय के" **25/03/2020** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य **रू 56,29,500/– (रूपये छप्पन लाख उनतीस हजार पाँच सौ मात्र)** होगा तथा जमा धरोहर राशि **रू 5,62,950/– (रूपये पाँच लाख बासठ हजार नौ सौ पचास मात्र)** होगी, जिसके विवरण निम्नलिखित है

कर्जदार(रों)/बंधकर्ता(ओं) के नाम	सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मॉग सूचना के अनुसार तिथि तथा राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ज.ध.रा.)	प्रस्ताव/ज.ध.रा. जमा करने की अंतिम तिथि / नीलामी की तिथि/समय
1. श्री ब्रजेश कुमार (कर्जदार) 2. श्री मति सोमा राज (सह–कर्जदार) (ऋण खाता सं0 : HL/DEL/05/2017/003)	2 मार्च 2019 रू. 25,69,725/– (रूपये पच्चीस लाख उनहत्तर हजार सात सौ पच्चीस मात्र) 09/11/2018 से प्रभावी प्रतिभूत लेनदार का बकाया अप्रयुक्त ब्याज तथा अन्य प्रभार।	निम्नलिखित से निर्मित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग: प्लॉट सं. 1/4, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद–201014, उत्तर प्रदेश पर महागुन मैंशन फेज–2 में 3 बीएचके आवासीय फ्लैट सं. 804, ब्लॉक–ओरिनो, 8वीं मंजिल, टाईप एचआईजी–1 का सम्पूर्ण भाग। सीमा: उत्तर: 100 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: 80 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लॉट सं. 1/3 वैभव खंड, पश्चिम: प्लॉट सं. 1/5 वैभव खंड। आवासीय फ्लैट का क्षेत्रफल : सुपर एरिया 154.21 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 123.37 वर्ग मीटर	रू. 56,29,500/– (रूपये छप्पन लाख उनतीस हजार पांच सौ मात्र)	रू 5,62,950/– (रूपये पांच लाख बासठ हजार नौ सौ पचास मात्र)	24/03/2020 को 16.00 बजे तक **नीलामी की तिथि/समय** 25/03/2020 को 14.00 बजे

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें:

1) विक्रय के सभी सामान्य नियम एवं शर्तें सहित संविदा दस्तावेज/प्रपत्र ऊपर उल्लिखित ऋणदाता कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से कार्यालय अवधि के दौरान किसी भी कार्यदिवस में अधिकृत प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। इच्छुक संविदाकारों को अपनी मुहरबंद संविदाएं ऋणदाता कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी के पास भेजनी है। संविदा के साथ "होमश्री हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में आहरित दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक के रूप में ज.ध.रा. (जो संविदा राशि का 10 प्रतिशत होगा) ऋणदाता कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर जमा करनी है। जो संविदाएं भरी नहीं गई है अथवा अंतिम तिथी के पश्चात् प्राप्त होती है उन्हें अवैध संविदा माना जायेगा और तदनुसार उसे निरस्त कर दिया जायेगा। संविदाकार द्वारा एक बार संविदा जमा करने के उपरान्त इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।
2) मुहरबंद संविदाएं 25/03/2020 को 14.00 बजे ऋणदाता कम्पनी के उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर उस समय उपस्थित संविदाकारों की उपस्थिति में खोली जायेंगी और ऋणदाता कम्पनी को पारस्परिक संविदा संचालित करने का अधिकार होगा। संविदाकारों/क्रेताओं के उच्चतम प्रस्ताव स्वीकार किये जायेंगे। सफल संविदाकारों को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ज.ध.रा. शामिल) तुरन्त अथवा अधिकतम अगले कार्यकारी दिवस तक होमश्री हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में आहरित, दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा और सफल संविदाकार द्वारा विक्रय मूल्य की शेष राशि कम्पनी द्वारा विक्रय सुनिश्चित होने की तिथी से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। इच्छुक संविदाकारों द्वारा प्रदत्त ज.ध.रा तथा विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल संविदाकार विक्रय की शर्तों का अनुपालन करने में असफल होता है या कोई चूक करता है तो ज.ध.रा. अथवा 25 प्रतिशत की जमा, जैसा मामला हो, कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
3) अपने पूर्ण ज्ञान एवं सूचना से ऋणदाता कम्पनी को छोड़कर विक्रय की जा रही सम्पत्ति पर किसी प्रकार के ऋणभार की ऋणदाता कम्पनी को जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षों को अपनी स्वयं की संतुष्टि के लिए सम्पत्ति का अपना निजी आकलन कर लेना चाहिए। ऋणदाता कम्पनी उपर्युक्त सम्पत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नही लेती है या कोई प्रतिनिधान नहीं करती है। किसी अन्य सूचना के लिए अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रभार, ग्रहणाधिकारों, ऋणभार, सम्पत्ति कर या सरकारी अथवा किसी अन्य निकाय के किसी अन्य बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। स्टाम्प शुल्क, विक्रय प्रमाणपत्र का पंजीकरण प्रभार, सोसाइटी प्रभार, परिवहन, जी.एस.टी., टीडीएस आदि से सम्बन्धित सभी व्यय बोलीदाता/क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
4) अधिकृत प्राधिकारी को कोई या सभी प्रस्ताव/संविदा स्वीकार करने या निरस्त करने अथवा बिना कारण बताए विक्रय को आस्थगित करने/निरस्त करने या बिना किसी पूर्व सूचना के विक्रय की शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार एवं विशेषाधिकार है।
5) ऋणदाता कम्पनी सम्पत्ति के किसी ऐसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी नही है जो ऋणदाता कम्पनी के संज्ञान में नही है।
6) दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु तथा विक्रय के नियम एवं शर्तों हेतु इच्छुक संविदाकार/क्रेता अधिकृत प्राधिकारी से उपर्युक्त पंजीकृत कार्यालय पर पहले से समय लेकर किसी भी कार्यकारी दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

टिप्पणी: एतद्द्वारा कर्जदारों/बंधककर्ता को सूचित किया जाता है कि अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ नीलामी से पूर्व उक्त राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत के साथ वसूल की जायेगी। इस सूचना को 7 दिन की बिक्री सूचना मानी जाए।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 18/03/2020

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी
होमश्री हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए

कार्यालय वसूली अधिकारी-I ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली–110001

बैंक ऑफ इण्डिया बनाम यश ओवरसीज एवं अन्य

आर.सी. सं. 346/2019 — **ई–नीलामी बिक्री सूचना** — दिनांक : 24.01.2020

"आदेश"

मेरे आदेश तिथि 24.01.2020 के अनुसार अधोलिखित सम्पत्ति की बिक्री 346/2019 बैंक ऑफ इण्डिया बनाम यश ओवरसीज एवं अन्य के मामले में सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा की जाएगी।

यह नीलामी बिक्री वेबसाईटः https://www.bankeauctions.com पर "ऑन लाईन ई–नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समयः 24.04.2020 को 3 बजे अप. से 04.00 बजे अप. के बीच (संविदा बन्द होने के अन्तिम 5 मिनट में यदि जरूरी हुआ तो 5 मिनट की अवधि के स्वतः विस्तार के साथ)

क्र.सं.	दोनों आरसी में सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी
1	आरजेड–20पी, प्रथम तल, नांगल राया, पालम रोड, ईस्ट सागरपुर, दिल्ली–110046	रू. 36,00,000/– (रुपये छत्तीस लाख मात्र) ईएमडी : रू. 3,60,000/– (रुपये तीन लाख साठ हजार मात्र)

नियम एवं शर्तें

1. नीलामी/बोली केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को पूर्व में ही सेवा प्रदाता के साथ भागीदारी पंजीकृत कर लेनी चाहिए एवं ई–नीलामी में भाग लेने हेतु यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर लेना चाहिए। इसे केवल तभी खरीदा जा सकता है जब निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित धरोहर राशि जमा कर दी गयी हो।
3. ईएमडी का भुगतान रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III के पास 22.04.2020 तक मुहरबन्द लिफाफे में जमा करनी होगी। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4. यदि वे स्वयं या अपने प्रिंसिपल की ओर से बोली लगा रहे हैं तो पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण एवं पहचान प्रमाण, ई–मेल आईडी। बाद के मामले में उन्हें अपने प्राधिकार जमा करने अपेक्षित हैं और चूक करने पर उनकी संविदा अस्वीकार कर दी जायेंगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी का प्रतिनिधान/अटार्नी सुनिश्चित करते हुए कोई अन्य दस्तावेज तथा ऐसे जमा की कम्पनी की रसीद/काउंटर फाइल कथित सेवा प्रदाता या सीएच बैंक के पास ई–मेल या अन्य साधन द्वार कथित तिथि तक पहुँच जानी चाहिए और इसकी एक हार्ड कॉपी रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–III के पास जमा करनी होगी।
5. सम्भावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं। सम्भावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स सी–1 इण्डिया प्र.लि., उद्योग विहार, फेज 2, भवन सं. 301, गुरुग्राम, हरियाणा (भारत), दूरभाष : 91 7291981124/25/26 सम्पर्क व्यक्ति श्री विनोद चौहान, मोबाइल नं. : 9813887931 ई–मेल : support@bankeauctions.com वेबसाइट : https://www.bankeauction.com से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं।
6. किसी पूछताछ तथा सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए इच्छुक क्रेता सीएच बैंक के अधिकारी : रितुपमा चक्रवर्ती, मोबाइल नं. 805850833 से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. सम्भावित संविदाकारों को अपनी संविदाएँ जमा करने से पूर्व बिक्री के नियम एवं शर्तों के विस्तृत विवरण हेतु वेबसाइट https://www.bankeauction.com देखने की सलाह दी जाती है।
8. सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। संविदाकार अपनी बोली रु. 50,000/– के गुणक में बढ़ायेंगे।
9. संपत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार तथा जो है यही है" पर की जा रही है।
10. सफल बोलीदाता को ईएमडी के समायोजन के पश्चात अपनी अन्तिम संविदा राशि की बिक्री कार्यवाही कार्यवाही का 25% अगले बैंक कार्यदिवस को 3.00 बजे अप. तक ऊपर पैरा 3 में वर्णित के अनुसार कथित खाते में जमा करनी होगी। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है तो अगले प्रथम कार्यालय दिवस पर।
11. सफल/उच्चतम बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15वें दिन या उससे पूर्व अन्तिम संविदा राशि का 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में वर्णित के अनुसार निर्धारित माध्यम में। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त क्रेता को रु. 1000/– तक 2% तथा 1000 से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क रजिस्ट्रार, डीआरटी–III, दिल्ली के पक्ष में देय डीडी/पे आर्डर द्वारा रिकवरी अधिकारी–I, डीआरटी–II के पास जमा करना होगा।
12. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक करने की स्थिति में बिक्री के खर्चे को डेफ्रे करने के बाद, अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं सरकार के पक्ष में जमा राशि जब्त कर ली जायेगी तथा चूक करने वाले क्रेता उस संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग के लिये दावे करने से वंचित हो जाएंगे। बिक्री की नयी उद्घोषणा के निर्गमन के पश्चात सम्पत्ति की पुनः बिक्री की जायेगी। पुनः क्रेता अपनी अन्तिम संविदा राशि तथा बाद में बेचने पर प्राप्त राशि के बीच किसी कमी या अन्तर की भरपाई के लिए भी उत्तरदायी होंगे।
13. रिकवरी अधिकारी को किसी संविदा या संविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताइे ई–नीलामी को आस्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी है।
14. असफल संविदाकार/रों को अपनी ईएमडी के रिफंड के लिए आरसी की सुनवाई की निर्धारित तिथि को या इससे पूर्व डीआरटी–III की रजिस्ट्री में पहचान प्रमाण के साथ एक आवेदन करने के लिए निर्देशित किया जाता है जिसे तदनुसार आरसी की अनुगामी अनुसूची/परवर्ती तिथि पर वापस किया जायेगा।
15. सीएच बैंक जहाँ सम्पत्ति स्थित है तथा सीडी निवास करता है उस स्थानीय क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले समाचार–पत्रों में अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में ई–नीलामी सूचना प्रकाशित करेगा। सीएच बैंक पैम्फलेट बाँटकर तथा ड्रम आदि बजाकर नीलामी की तिथि तक व्यापक प्रचार करेगा और इस अधिकरण को सूचित करेगा।
16. सीएच बैंक के काउंसेल को यहाँ ऊपर पैरा की पुष्टि के प्रमाणन का निर्देश दिया जाता है।

मामले को बिक्री उद्घोषणा की सेवा के शपथपत्र दाखिल करने तथा भावी कार्यवाही के लिए 27.03.2020 को सूचीबद्ध किया जाये।

दस्ती।

(अनिल कुमार यादव), वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-III, दिल्ली

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

ओ.बी.सी (भारत सरकार का उपक्रम)

सर्कल ऑफिस, दिल्ली नार्थ वैस्ट
द्वितीय तल, हर्षा भवन, क्नॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001

लॉकर्स को तोड कर खोलने हेतु सूची

सार्वजनिक सूचना

हमारे बैंक की वेबसाइट **www.obcindia.co.in** के होम पेज पर प्रदर्शित सूची के अनुसार विभिन्न लॉकर धारियों ने लॉकर अनुबंध के नियम एवं शर्तें पूरी नहीं की हैं और उनका लॉकर किराया 3 वर्ष से अधिक से अतिदेय है। इन परिस्थितियों के अंतर्गत, हम लॉकर तोड़कर खोलने के लिए बाध्य हैं और एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तिगण यह सूचना जारी होने के पश्चात 15 दिन के भीतर शाखा में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कार्यसमय के दौरान आएं, जिसमें असफल रहने पर, हम 15 दिन पश्चात लॉकर तोड़कर खोलने के लिए बाध्य होंगे तथा आगे कोई सूचना दिए बगैर, लॉकर में रखी वस्तुएं सार्वजनिक नीलामी में बेची जाएगी तथा इस संबंध में वहन किए गए खर्चे तथा बकाया किराया और अन्य लागतें नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि से वसूल की जाएंगी।

क्र.सं.	शाखा कोड	शाखा का नाम	लॉकर नं.	लॉकरधारक का नाम
1	22	कीर्ति नगर	CC48	प्रभा गरेला
2	22	कीर्ति नगर	DD1636	रमेश प्रभाकर
3	22	कीर्ति नगर	FF435	अजीत सिंह
4	22	कीर्ति नगर	FF1800	सुदेश सोहानग
5	22	कीर्ति नगर	GG507	प्रकाश को देखें
6	22	कीर्ति नगर	BB1090	कार्तिक मेहता
7	22	कीर्ति नगर	GG1761	रश्मि ओबेरॉय
8	84	वजीरपुर	AA18	रामदन
9	84	वजीरपुर	FF87	दुर्गा देवी
10	84	वजीरपुर	HH365	ईश्वरी देवी
11	84	वजीरपुर	CC168	सुपर
12	222	नारायणा	BB177	सोहन पुरी
13	222	नारायणा	DD281	श्री दिगंबर जैन समाज
14	328	G.T.K. रोड, दिल्ली	AA362	किरण कुमार दुवा
15	328	G.T.K. रोड, दिल्ली	BB116	सुरिंदर ओबेरॉय
16	328	G.T.K. रोड, दिल्ली	EE047	रेखा मल्होत्रा
17	328	G.T.K. रोड, दिल्ली	AA346	निर्मल भटनागर
18	419	विशाल एन्क्लेव	BB3068	उषा आहूजा
19	419	विशाल एन्क्लेव	HH691	सम्पूरन सिंह
20	419	विशाल एन्क्लेव	BB3133	अजीत सिंह साहनी
21	419	विशाल एन्क्लेव	CC63	पूजा चढ्ढा रूवा
22	419	विशाल एन्क्लेव	AA2818	एस.सोहन सिंह जटला और राज कु
23	419	विशाल एन्क्लेव	HH623	फूल वीटी और अनिल सचदेवा
24	419	विशाल एन्क्लेव	HH664	ज्योतिका छाबड़ा
25	419	विशाल एन्क्लेव	CC46	परवीन कुराना
26	419	विशाल एन्क्लेव	GG958	मदन लाल तलवार और संजीव ताला
27	419	विशाल एन्क्लेव	EE0771	संजय मेहता
28	419	विशाल एन्क्लेव	CC18	जतिंदर कौर और बलदेव सिंह
29	419	विशाल एन्क्लेव	DD570	दीपक अरोड़ा और ज्योति अरोड़ा
30	419	विशाल एन्क्लेव	HH636	महेन्द्र सहगल और आशा सहगल
31	419	विशाल एन्क्लेव	HH691	संपूरन सिंह और परमजीत कौर
32	419	विशाल एन्क्लेव	HH702	टिम्मी सैनी और स्वर्ण सिंह
33	419	विशाल एन्क्लेव	EE718	तारा देवी और राजिंदर क मेहता
34	419	विशाल एन्क्लेव	EE787	मोहिंदर जुनेजा और सुमन जुनेजा
35	419	विशाल एन्क्लेव	FF888	संजय सचदेवा और ज्योति सचदेवा
36	419	विशाल एन्क्लेव	GG895	विमल बाली और के एल बाली
37	419	विशाल एन्क्लेव	GG979	शकुंतला भसीन और सरिता चौधरी
38	419	विशाल एन्क्लेव	AA2810	बृजमोहन और मधु
39	419	विशाल एन्क्लेव	AA2812	सतीश कुमार और इन्द्रजीत
40	419	विशाल एन्क्लेव	BB3145	कुसुम और सूफी
41	420	टैगोर उद्यान	RR2757	सुदर्शन कुमार और नजु
42	420	टैगोर उद्यान	QQ1362	रोहित एशा
43	420	टैगोर उद्यान	II716	पवन चोपड़ा
44	420	टैगोर उद्यान	CC235	शिखा सूरी
45	464	पालम	AA126	तारिफ सिंह
46	464	पालम	AA167	काशी राम
47	725	जनकपुरी	AA567	राकेश सेठी
48	725	जनकपुरी	AA81	परमजीत सिंह
49	725	जनकपुरी	AA47	मोहित तलवार
50	849	प्रशांत विहार	AA50	राहुल दीवान
51	849	प्रशांत विहार	EE377	संजय अरोड़ा
52	849	प्रशांत विहार	GG507	मनोजा को देखें
53	876	एल यू पीतमपुरा	HH1248	मोनिका साहनी
54	876	एल यू पीतमपुरा	OO1534	सी पी गुप्ता
55	876	एल यू पीतमपुरा	KK1358	विकास अग्रवाल
56	876	एल यू पीतमपुरा	BB956	संजीव गोयल
57	876	एल यू पीतमपुरा	CC998	दिनेश गोयल
58	876	एल यू पीतमपुरा	MM1458	उषा अरोड़ा
59	876	एल यू पीतमपुरा	MM1481	पूनम बंसल
60	876	एल यू पीतमपुरा	CC1005	योगध्यान अरोड़ा
61	876	एल यू पीतमपुरा	KK1381	अरुण कुमार पोद्दार
62	917	डेरवाल नगर	HH02800661	जनक राज
63	917	डेरवाल नगर	HH02800713	राजीव कुमार रस्तोगी
64	917	डेरवाल नगर	JJ0280013	नवरूप खन्ना
65	917	डेरवाल नगर	EE02800435	सीमा गुप्ता
66	917	डेरवाल नगर	II02800258	विक्रम चोपड़ा
67	917	डेरवाल नगर	GG02800629	तेजिंदर पलसिंह और सुखविंदर कौर
68	917	डेरवाल नगर	HH02800653	प्रतिमा शर्मा
69	917	डेरवाल नगर	BB02800165	जसप्रीत सेठी
70	917	डेरवाल नगर	CC02800224	यादव विरेंद्र
71	917	डेरवाल नगर	EE02800393	आनंद राजे
72	917	डेरवाल नगर	GG02800567	पलविंदर सिंह
73	917	डेरवाल नगर	DD02800343	प्रकाश कौर
74	917	डेरवाल नगर	GG02800585	विनय प्रकाश मोहन
75	917	डेरवाल नगर	CC02800246	संजय कुमार सिंह
76	917	डेरवाल नगर	DD02800339	कैलाश मोंगिया
77	917	डेरवाल नगर	FF02800482	अग्रवाल टिन
78	917	डेरवाल नगर	GG02800549	संजय अग्रवाल
79	917	डेरवाल नगर	BB02800148	कंचन गुप्ता
80	0917	डेरवाल नगर	DD02800322	हरचरण सिंह
81	0917	डेरवाल नगर	AA0280004	महावीर गर्ग
82	0917	डेरवाल नगर	EE02800436	पी. लता
83	0917	डेरवाल नगर	EE02800441	हरप्रीत सिंह
84	0917	डेरवाल नगर	FF02800468	हरप्रीत सिंह
85	0917	डेरवाल नगर	GG02800552	जनेश चंद
86	0917	डेरवाल नगर	DD02800287	करमजन सिंह
87	0942	रानी बाग	AA86	गुरदीप सिंह
88	0942	रानी बाग	BB144	विनोद कुमार
89	0942	रानी बाग	EE363	रितु रानी
90	0942	रानी बाग	EE358	संदीप मित्रा
91	0942	रानी बाग	BB157	रितु मेहता
92	0942	रानी बाग	DD290	इंदु गुप्ता
93	1103	डाबड़ी रोड पालम	AA68	शिलभोनी मीत्तन
94	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	DD342	दर्शन रानी और सुनील कुमार
95	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	GG536	जसविंदर कौर
96	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	CC248	निशा जुनेजा
97	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	EE364	सुनीता अग्रवाल और राजिंदर अग्रवाल
98	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	II815	मंजू शर्मा
99	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	II650	तरुण कुमार
100	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	FF422	प्रभात पाण्डेय
101	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	BB147	सुनील मेदरानी
102	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	FF398	जीतेंद्र और आशु
103	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	II634	प्रीति बढ़वान
104	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	JJ751	राकेश शर्मा
105	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	JJ725	सुमन गुप्ता
106	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	DD322	रितु चपल और परवीन चपल
107	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	GG531	सतीश गाहवा
108	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	BB177	जोगिंदर कौर और गुरप्रीत कौर
109	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	EE346	सरिता नंदराजोग
110	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	HH560	तारा कुमारी
111	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	GG540	एस.के. नाग जाओ
112	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	AA42	चंदर मोहन
113	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	HH568	सुरेश कुमार (केवल 2016–17 के लिए भाग–वसूली)
114	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	CC200	रमन कुमार और सीमा कुमार
115	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	HH578	अनु
116	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	HH559	रणजीत सिंह
117	1116	पंजाबी बाग पश्चिम	AA75	राजेन्द्र पाल गुप्ता और कमल गुप्ता
118	1145	नई दिल्ली – पुष्पांजलि एन्क्लेव	CC183	हर्ष अरोड़ा
119	1145	नई दिल्ली– पुष्पांजलि एन्क्लेव	DD177	हर्ष अरोड़ा
120	1250	नई दिल्ली–विकासपुरी	AA26	समित बनर्जी
121	5014	शालीमार बाग	CC228	तनु सहगल
122	5014	शालीमार बाग	FF484	विवेक
123	5014	शालीमार बाग	AA21	रमेश कुमार अग्रवाल
124	5014	शालीमार बाग	BB116	नीलम गुप्ता
125	5014	शालीमार बाग	BB95	सुरेश चंद जैन
126	5014	शालीमार बाग	CC217	नीलम गुप्ता
127	5014	शालीमार बाग	DD303	संगीता अरोड़ा
128	5014	शालीमार बाग	DD354	छगन बंसल
129	5014	शालीमार बाग	EE374	प्रदीप जैन
130	5043	निरंकारी कॉलोनी	AA84	दीपक गुलाटी
131	5043	निरंकारी कॉलोनी	DD1021	मनमोहन सिंह ओबराय
132	5043	निरंकारी कॉलोनी	BB218	मनोज गौतम
133	5043	निरंकारी कॉलोनी	CC332	अशोक कक्कड़
134	5043	निरंकारी कॉलोनी	AA64	कमलेश
135	5043	निरंकारी कॉलोनी	DD1052	अलका शर्मा
136	5043	निरंकारी कॉलोनी	AA12	गुरबख्श लाल
137	5043	निरंकारी कॉलोनी	DD1012	संजीव कुमार
138	5043	निरंकारी कॉलोनी	DD1031	संत सुदर्शन मोगा
139	5043	निरंकारी कॉलोनी	DD1046	इंद्रजीत सिंह गुलाटी
140	5059	एनके बागरोडिया पी बी स्कूलर	KK903	मधु गुप्ता
141	5059	एनके बागरोडिया पी बी स्कूलर	MM1027	आर एस रायजादा
142	5059	एनके बागरोडिया पी बी स्कूलर	BB136	राज कुमार बंसल
143	5059	एनके बागरोडिया पी बी स्कूलर	GG607	विजय कुमार शर्मा
144	5059	एनके बागरोडिया पी बी स्कूलर	NN1088	केवल कौल
145	5152	किरोड़ीमल कॉलेज	BB36	जेटेक्स हैवलूक
146	5206	नई दिल्ली–एनके बगरोडिया एस सी एच द्वारका	AA26	फ्रैंकलाइन हिमांद्री सेन
147	5208	रोहिणी सेक्टर 5	DD39	सुजाता शर्मा
148	5208	रोहिणी सेक्टर 5	DD43	सुजाता शर्मा
149	5208	रोहिणी सेक्टर 5	BB91	वैशाली अग्रवाल
150	5229	नई दिल्ली–एम आर वी स्कूल द्वारका		सचिन आनंद

कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट नं. 5, सेक्टर–32, इंस्टीट्यूशनल एरिया गुरुग्राम –122001

www.readwhere.com

कोरोना से जंग

अब दुनिया का कोई महाद्वीप नहीं बचा है जहां कोरोना वायरस न पहुंच चुका हो। ज्यादातर देश अब इस महामारी का सामना कर रहे हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। जिस तेजी से यह वायरस और देशों में फैलता जा रहा है, उससे लग रहा है कि इस महामारी से निपट पाना फिलहाल आसान नहीं है। यूरोप और अमेरिका के बाद अब तंजानिया, सोमालिया से लेकर लाइबेरिया और बेनिन जैसे अफ्रीकी देशों में कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सभी अफ्रीकी देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया है, ताकि पूरे महाद्वीप में इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। पिछले एक हफ्ते में इक्कीस अफ्रीकी देशों में कोरोना संक्रमित मरीजों का पता चला है। इटली और स्पेन में जिस तेजी से लोग मर रहे हैं, वह चिंताजनक है। स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा पांच सौ और इटली में एक हजार से ज्यादा हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी भी इससे अछूते नहीं हैं। हालात बता रहे हैं कि चीन के बाद सबसे ज्यादा कहर यूरोप में बरपा है। दुनिया का सबसे ताकतवर और हर तरह की संपन्नता का दावा करने वाले अमेरिका की हालत भी खराब है, जहां अब तक साठ से ज्यादा लोग इस वायरस संक्रमण से मर गए और तीन हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।

समस्या ज्यादा गंभीर इसलिए हो रही है कि न तो इस बीमारी का इलाज पता है, न अभी तक इसकी दवा कोई बन पाई है, सब कुछ बचाव संबंधी उपायों पर ही निर्भर है। भारत में हालांकि रोजाना कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और देश में अब तक तीन लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। संक्रमित लोगों और मृतकों की संख्या अभी बड़ी भले न हो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसे फैलने से रोकने की है। अभी तक कोरोना संक्रमण के ज्यादातर मामले उन्हीं लोगों में पाए गए हैं जो उन देशों से लौटे हैं जहां कोरोना फैल चुका है। इसलिए सरकार का सबसे ज्यादा जोर दूसरे देशों से आने वाले लोगों को रोकने और संदिग्ध मरीजों की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाने पर है। यूरोपीय देशों, तुर्की, ब्रिटेन, फिलीपीन, मलेशिया जैसे देशों से लोगों के भारत आने पर पाबंदी लगा दी गई है।

केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर इस संकट से निपटने के लिए बचाव के जो उपाय किए जा रहे हैं, उनसे इस वायरस को फैलने से एक हद तक रोकने में मदद मिलेगी। जैसे देशभर में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है, ज्यादातर शहरों में सिनेमाघर, मॉल, जिम आदि को बंद कर दिया गया है, ताकि किसी एक जगह पर भीड़भाड़ न हो। देश के सभी ऐतिहासिक स्मारकों को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में तो किसी भी तरह के आयोजन में पचास से ज्यादा लोग एक स्थान पर जमा नहीं हो पाएंगे। इस तरह के सख्त कदमों को लेकर लोगों को परेशानी जरूर हो सकती है और ये कदम बेतुके भी लग सकते हैं, लेकिन बचाव के लिए ये जरूरी भी हैं और लोगों को इनका पालन करने में सहयोग भी करना चाहिए। अगला एक महीना हर तरह से सभी के लिए ज्यादा चुनौती भरा है। अभी भारत में ईरान, इटली जैसे हालात इसलिए नहीं बने हैं कि संदिग्धों की जांच और उन्हें सबसे अलग रखने का बड़ा और जरूरी कदम उठाया गया है। कोरोना से निपटने में लगे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और बचाव दलों की चिंता यही है कि जिन लोगों में संक्रमण का संदेह है, उनका पता चल सके और जांच हो सके।

स्त्री का हक

एक महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब स्त्री और पुरुष के बीच बराबरी की मांग पर आधारित एक अहम लड़ाई को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिला अफसरों को स्थायी कमीशन पाने का हकदार होने के पक्ष में फैसला दिया था। अब नेवी यानी नौसेना में भी अदालत ने महिलाओं के हक में फैसला सुनाते हुए साफ लहजे में कहा कि जब केंद्र सरकार ने एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया तो उसके बाद नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। यों इसके पहले महिलाओं की भर्ती को लेकर जिस तरह के अवरोध थे, वे भी महज सामाजिक पूर्वाग्रहों पर आधारित थे और उसे हटाना एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उन अवरोधों पर विचार करके उन्हें खत्म किया गया, तो लैंगिक स्तर पर भेदभाव वाली परंपरा को कायम रखने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसे आग्रहों को मानने से इनकार किया और बराबरी के हक में फैसला दिया तो इसे व्यवस्था में बदलाव को जगह देने की प्रक्रिया कहा जा सकता है।

विडंबना यह है कि एक लोकतांत्रिक और विकासमान समाज में जहां सरकारों और समूचे सत्ता-संस्थानों को अपनी ओर से सामाजिक गैर-बराबरी के पैमानों को खत्म करके समानता आधारित समाज की जमीन मजबूत करने की पहलकदमी करनी चाहिए, वहीं कई बार इसके खिलाफ दलीलें पेश करके जड़ता और यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश की जाती है। पहले सेना में और फिर नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मसले पर सरकार ने जैसा संकीर्ण रुख अपनाया, वह अफसोसजनक है। अदालत में सरकार ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का विरोध करने के लिए सामाजिक स्तर पर पारंपरिक मानसिकता, पूर्वाग्रहों का ही हवाला दिया! मसलन, सरकार का कहना था कि रूसी जहाजों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं होने की वजह से नौसेना में महिलाओं को समुद्री ड्यूटी नहीं दी जा सकती। सवाल है कि किसी व्यक्ति या महिलाओं को अवसर देने के लिए कसौटी के तौर पर किसी जहाज में ढांचागत कमी और संसाधनों के अभाव को बहाना कैसे बनाया जा सकता है? अदालत ने भी इस पर हैरानी जताई और कहा कि सशस्त्र बलों में लैंगिक समानता नहीं देने के लिए एक सौ एक बहाने नहीं हो सकते।

यों भी महिलाओं ने मौका मिलने पर अमूमन हर मोर्चे पर अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ यह साबित किया है कि वे किसी भी मामले में कमतर नहीं हैं, बल्कि बेहतर ही हैं। ऐसे में खुद सरकार की ओर से महिलाओं को महज स्थायी कमीशन से वंचित रखने के लिए उनकी शारीरिक सीमाओं का हवाला देना विचित्र दलील थी। इसलिए स्वाभाविक ही शीर्ष अदालत ने केंद्र की दलील को सीधे तौर पर लैंगिक रूढ़ियों का मामला बताते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बता कर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद भेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके पहले भी सरकार ने ज्यादातर पुरुष सैनिकों के ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने और उनके किसी महिला के आदेश के तहत काम करने की मुश्किलों का हवाला दिया था। लेकिन क्या ये प्रश्न महज प्रशिक्षण की कामयाबी या नाकामी से जुड़े हुए नहीं हैं? प्रतिकूल स्थितियों का सामना करने के मकसद से क्षमता का विकास, अभ्यास और कौशल से लेकर पिछड़ी सोच वाले पुरुषों के भीतर लैंगिक बराबरी का मानस तैयार करना बहुस्तरीय प्रशिक्षण से संभव है। यथास्थिति बनाए रख कर ऐसी मानसिकता और पूर्वाग्रह में कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता।

कल्पमेधा

अगर घरों में अतिथि का सत्कार नहीं हो,
तो वे श्मशान बन जाएंगे।
- ख़लील जिब्रान

ज्ञान-विज्ञान की जननी संस्कृत

रमेश पोखरियाल 'निशंक'

प्राचीन भारत के ही एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी भास्कराचार्य द्वितीय ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी, कालांतर में जिसे पूरी दुनिया ने जाना। संस्कृत की दर्शन परंपरा में संसार में सर्वाधिक चिंतन मनन हुआ। इसी दर्शन परंपरा में महान दार्शनिक कपिलमुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। ऋषि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान पर भी काम किया और उनका परमाणु आविष्कार प्रसिद्ध है।

संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और यह भारत की संस्कृति का मूल आधार भी है। इसीलिए संस्कृत को भारत की आत्मा कहा जाता है। यह भाषा ही समस्त भारतवर्ष को एकसूत्र में बांध कर रखती है। संस्कृत दुनिया की प्राचीनतम भाषा ही नहीं, अपितु संसार के ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान का अक्षय स्रोत है। जो विपुल ज्ञान भंडार संस्कृत में है, उसे देश की प्रगति और मानवता के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। संस्कृत के बारे में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में लिखा कि 'यदि कोई मुझसे पूछता है कि भारत के पास बहुमूल्य खजाना क्या है और इसके पास सबसे बड़ी धरोहर क्या है, तो मैं बेहिचक कह सकता हूं कि वह खजाना संस्कृत भाषा और उसमें निहित समस्त वांगमय है। यह एक महत्त्वपूर्ण विरासत है। यह जब तक सक्रिय रहेगी और हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगी, तब तक भारत की आधारभूत बुद्धिमत्ता बनी रहेगी।' संस्कृत के बारे में इंग्लैंड के विद्वान और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फोर्ट विलियम के न्यायाधीश सर विलियम जोन्स ने 1786 में कहा था कि संस्कृत भाषा की प्राचीनता जो भी हो, यह एक अद्भुत संरचना है। यह ग्रीक भाषा से अधिक परिपूर्ण, लैटिन भाषा से अधिक समृद्ध और इन दोनों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और मनोहारी है। संस्कृत भाषा के विषय में इसी प्रकार से विश्व के महान विद्वानों ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं और इसके ज्ञान-विज्ञान को संपूर्ण विश्व के लिए विशेष उपकारी अमूल्य धरोहर माना है।

विश्व में भारत की संस्कृत परंपरा विशिष्ट एवं प्राचीनतम है। संस्कृत की इसी परंपरा में प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक आयुर्वेदाचार्य चरक ऋषि हुए, जिन्होंने ईसा के तीन सौ वर्ष पूर्व रक्त प्रभाव आदि के संबंध में अपनी विशिष्ट व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। इसका मतलब यह है कि सदियों पहले जो ज्ञान और विज्ञान दुनिया में फैला या ज्ञात हुआ, वह प्राचीनतम काल से हमारी संस्कृत परंपरा में विद्यमान था। विलियम हार्वे को विश्व इसका प्रथम प्रस्तोता कहता है। वैदिक युग की विशिष्ट उपलब्धि चिकित्सा के क्षेत्र में रही है। संस्कृत के आयुर्वेदाचार्यों ने शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है, जिसे अभी 'पोस्टमार्टम' कहा जाता है। शरीर में सूक्ष्म जीवों की उपस्थित तथा रोग पैदा करने वाले आनुवंशिक कारकों के सिद्धांत का उन्हें विशिष्ट ज्ञान था। संपूर्ण दुनिया में सुश्रुत को 'शल्य-चिकित्सा' का जनक माना जता है। उन्होंने ही त्वचारोपण (प्लास्टिक सर्जरी) की शल्य क्रिया का विकास किया। प्राचीन भारत की जो चिकित्सा संपदा है, उसी को चरक ऋषि ने आयुर्वेद कहा है और इसी को उन्होंने अपनी 'चरक-संहिता' में विस्तृत रूप से प्रतिपादित किया है।

वैदिक ऋषियों द्वारा प्राकृतिक वातावरण पर विस्तृत चिंतन किया गया है, जिसमें प्रकृति संवर्धन, संरक्षण, प्रकृति के साथ समन्वय, मौसम परिवर्तन की चुनौतियां आदि विशेष सम्मिलित हैं। दुनिया में जो गणित है, जो रेखा गणित और ज्यामिति है, इसका पर्याप्त विकास सबसे पहले यदि दुनिया में हुआ तो वह वैदिक युग में भारत में हुआ। वैदिक काल के लोग खगोल-विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान रखते थे और संस्कृत भाषा से यह ज्ञान पूरी दुनिया ने लिया। वैदिक भारतीय वैज्ञानिकों को सत्ताईस नक्षत्रों का ज्ञान था। उनमें वर्ष, महीने और दिन के रूप में समय का विभाजन करने की पूरी ताकत और क्षमता थी। आचार्य लगध नाम के ऋषि वैज्ञानिक ने लगभग 1352 ईसा पूर्व में 'ज्योतिष वेदांग' में तत्कालीन खगोलीय ज्ञान को व्यवस्थित किया था। भारत के प्राचीन गणितज्ञ बोधायन ने लगभग 1200 ईसा पूर्व में जिस प्रमेय की व्याख्या की है, उसको आज सारी दुनिया स्वीकार करती है। महान ज्योतिर्विद और गणितज्ञ आर्यभट्ट भी इसी धरती पर पैदा हुए और संस्कृत-संस्कृति को उन्नत किया। आर्यभट्ट ने 400 ईस्वी में दशमलव दिया। महर्षि भारद्वाज ने विश्व में सर्वप्रथम विमान विद्याविषयक ग्रंथ की रचना की थी, जिस पर दुनिया की विशिष्ट संस्थाओं द्वारा बहुत सारे अनुसंधान और शोध किए जा चुके हैं। वैदिक काल में भारत में बीजगणित, ज्यामिति, रेखागणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि का विकास उत्कर्ष पर था। भारत के ऋषि-मुनि और आचार्य उस समय के महान वैज्ञानिक थे। प्राचीन भारत के ही एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी भास्कराचार्य द्वितीय ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज की थी, कालांतर में जिसे पूरी दुनिया ने जाना। संस्कृत की दर्शन परंपरा में संसार में सर्वाधिक चिंतन मनन हुआ। इसी दर्शन परंपरा में महान दार्शनिक कपिलमुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। ऋषि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान पर भी काम किया और उनका परमाणु आविष्कार प्रसिद्ध है। इससे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की दूरदर्शिता परिलक्षित होती है। आचार्य चाणक्य द्वारा प्रतिपादित 'अर्थशास्त्र' दुनिया का सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिस पर दुनियाभर में शोध हुए और आज भी हो रहे हैं।

संस्कृत ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान की भाषा है। विद्वानों के मतानुसार भारत में विज्ञान का उदय लगभग पांच हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु घाटी के लोगों की वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोगों के प्रमाणों से संस्कृत भाषा की प्राचीनता और समृद्धता का पता चलता है। अनेक खोजें, आविष्कार न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में संस्कृत में ही हुए हैं। संस्कृत भाषा से ही विश्व की अनेक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। विश्व की अधिकांश भाषाओं में संस्कृत भाषा के शब्द मिश्रित हैं, जो उनके व्यावहारिक प्रयोग को सरल करने में सहायक हैं। संस्कृत भाषा हमारी भारतीय भाषाओं को भी बहुत सशक्त करती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 251 में स्पष्टतः उल्लेख है कि 'हम भारतीय भाषाओं को सशक्त करेंगे और भारतीय भाषाओं के विकास और समृद्धि के लिए संस्कृत अहम भूमिका निभाएगी।'

यह संस्कृत की ही विशिष्टता और सुंदरता है कि यदि संस्कृत में 'आकाशम' बोलते हैं, तो हिंदी में 'आकाश', तेलुगु में 'आकाशमु' और कन्नड़ में 'आकाशवु' बोलते हैं। इसी प्रकार संस्कृत में यदि 'भूमिः' बोलते हैं, तो हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में भी 'भूमि' ही बोलते हैं। यदि संस्कृत में 'नमस्कारः', तो हिंदी में 'नमस्कार' तेलुगु में 'नमस्कारमु', कन्नड़ में 'नमस्कार' और उड़िया में भी 'नमस्कार' ही बोलते हैं। यदि संस्कृत में 'प्रसादः' बोलते हैं, तो हिंदी में 'प्रसाद', तेलुगु में 'प्रसादमु', कन्नड़ और उड़िया में भी 'प्रसाद' ही बोलते हैं। इस प्रकार से सभी भारतीय भाषाओं में साठ से सत्तर फीसद तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत समाहित है। उड़िया भाषा में जो क्रिया-पद हैं, वे मूलतः संस्कृत भाषा मूलक हैं। संस्कृत में यदि 'कुर्वन्ति' बोलते हैं, तो उसी को उड़िया में 'करुद्धन्ति' बोलते है। संस्कृत में यदि 'धरन्ति' बोलते हैं तो उड़िया में 'धरुद्धन्ति' बोलते हैं। संस्कृत में 'कथयन्ति' बोलते हैं तो उड़िया में 'कहूद्धन्ति' बोलते हैं। इस प्रकार अनुसंधान पूर्वक देखने पर संस्कृत भाषा का विपुल शब्द भंडार भारतीय भाषाओं में दृष्टिगोचर होता है।

संस्कृत से अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना करने पर अनेक मौलिक समानताओं को देखा जा सकता है। इस तथ्य को वैश्विक संदर्भ में देखने पर संस्कृत की अनेक पाश्चात्य भाषाओं में अंतः समानताएं ज्ञात होती हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान के अध्ययन में विद्वानों ने संस्कृत की ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं से समानता को प्रदर्शित किया है और संस्कृत भाषा को ही तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक माना है। अंग्रेजी और संस्कृत में भी की अनेक समानताएं स्पष्टतः दिखाई देती हैं, जिनके आधार पर संस्कृत से अंग्रेजी की उत्पत्ति मान सकते हैं। जैसे मां को संस्कृत में 'मातर' बोलते हैं तो अंग्रेजी में उसी को 'मदर' बोलते हैं। बेटी को संस्कृत में 'दुहितर' बोलते हैं, तो अंग्रेजी में 'डॉटर' बोलते हैं। इस प्रकार से देखा जाए, तो दुनिया की दर्जनों भाषाओं में संस्कृत का विपुल शब्द भंडार व्याप्त है।

(लेखक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं।)

खौफ की हवा

संगीता कुमारी

यह सत्य है कि हम कितने भी खुशहाल और तंदुरस्त रहें, मगर पड़ोसी अगर बीमार, आतंकी या संक्रामक बीमारी से ग्रस्त हो तो हमारे घर पर भी दूषित हवाओं का कुछ असर अवश्य दिखाई देगा। पड़ोसी नापसंद हो तो घर बदला जा सकता है, मगर जब देश की बात होती है, तब पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता। उसे केवल समझाने और सुधारने का प्रयास ही किया जा सकता है। जब तक जीवन है, तब तक मनुष्य अपनी बुद्धि से किए गए अपने नए-नए प्रयोगों से साबित करता रहेगा कि वह जानवरों से अधिक बुद्धिमान है। प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों होते हैं। यह तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह क्या करना चाहता है। उन्हीं में से कुछ नकारात्मक प्रयोग का परिणाम है इबोला, कोरोना जैसे घातक जानलेवा रोग और वायरस!

अब वह समय चला गया जब ऐसा कहा जाता था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब तो बहुत सारे आविष्कार बीमारी फैला कर उपचार के नाम पर धन कमाने के मकसद से किए जाते हैं। आतंक समाप्ति के नाम पर नए-नए हथियारों का आविष्कार आतंक फैलाने के लिए किए जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो विश्वभर के वैज्ञानिक क्यों नहीं प्रदूषण के खिलाफ कुछ ऐसा आविष्कार कर लेते, ताकि लोगों का दम नहीं घुटे! छोटे-छोटे बच्चों को स्वच्छ हवा लेने के लिए ऑक्सीजन या मास्क का सहारा नहीं लेना पड़े! स्वच्छ हवा स्वच्छ ही रहती। स्वच्छ हवा को दूषित करने के बाद अब शहरों के अमीर घरानों के घरों में हवा को स्वच्छ करने की मशीन आमतौर पर देखी जा सकती है। यानी प्रकृति की शुद्ध हवा को दूषित करके उसे स्वच्छ करने के लिए धन कमाया जा रहा है। जिसे भी दमा की दिक्कत है, वे लोग रुपए खर्च करके उस मशीन को खरीद सकते हैं। जिस देश में गंगा जैसी पवित्र नदी हो, वहां भी पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। काश कि कोई ऐसा उपाय किया जाता कि घर-घर, गांव-कस्बे और शहर-शहर में स्वच्छ पेयजल मिलता!

दुनिया मेरे आगे

ऐसे आविष्कार का क्या फायदा कि बीमारियां बुरी तरह से पैर पसार लें। शहर के शहर उजाड़ दें। आज कोरोना वायरस के कारण लोगों के हृदय में वेदना की टीस जख्म बन रही है। अफसोस कि उस जख्म का इलाज अभी बाकी है। कोई मरीज को स्पर्श नहीं कर सकता! ओह! सोच कर ही दिल दहल उठता है कि चीन के वुहान शहर में कितना खौफ पसर गया था। आतंकवादी बम से प्रहार करके शहर में तबाही मचाते हैं, दहशत का माहौल बनाते हैं। कोरोना ने भी विश्व के ज्यादातर देशों में दहशत मचा रखा है। लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से बच रहे हैं। गले मिलने से परहेज कर रहे हैं। कोरोना 'अदृश्य आतंकवादी' के समान है, जो दिखता नहीं है, मगर उसका हमला बड़ा है। उसमें 'चेन रिएक्शन' यानी एक से दूसरे में फैलने का सिद्धांत काम करता है। कई बार दिमाग में खयाल आता है कि शायद ऐसी बीमारियों के खोजकर्ता पहले बीमारी फैलाते हैं, फिर उसका टीका ईजाद कर विश्व भर के देशों में उसे बेच कर धन कमाते हैं। 'मरता क्या न करता' वाला हाल होकर सभी मुंहमांगी कीमत देकर दवा खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब बाजारवाद में लोभ का विकराल रूप कितना भयानक दिखता है!

कोराना वायरस की चीन के वुहान शहर से जो यात्रा शुरू हुई थी, वह अब विश्व भर में फैल चुकी है। अब तक कोरोना वायरस के करीब पौने दो लाख मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। भारत के अनेक राज्यों में अब तक लगभग सवा सौ मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसका इतना घना प्रकोप है कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने और छूने से भी बच रहे हैं। इस भयानक बीमारी के कारण विदेश से आने वाले भाई-बंधुओं का खुल कर स्वागत नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके ठीक होने तक उनसे दूरी बनाई जा रही है।

कभी प्रदूषण के कारण तो कभी संक्रमित बीमारी के कारण मानव जीवन में समय अंतराल में ग्रहण पड़ जाता है। आखिर ऐसे आविष्कार होते ही क्यों हैं, जिनसे जनता किसी न किसी कारण परेशानी में पड़ जाती है। सकारात्मक और नकारात्मक में भेद करते हुए ही किसी चीज को बनाना चाहिए। वर्तमान समय में विश्व एक बहुत बड़ा कुटुम्ब जैसा हो गया है। एक के घर में लगा छौंका की धौंक पड़ोसी के घर आसानी से पहुंच जाती है। अगर छौंका कुछ ज्यादा ही तीखा हो या जल जाए तो उसकी धमक दूर तक हवा के साथ पहुंच जाती है। कह नहीं सकते कि आतंक तेरे चेहरे के नकाब कैसे-कैसे हैं! कहीं बम, बंदूक, गोली तो कहीं संक्रमण के छोटे-छोटे छल्ले हैं। बेगुनाहों का दर्द आतंक का सीना क्यों नहीं चीरता! छद्म में छिपे को वीरता नहीं, हैवानी कहते हैं। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस का फैलना कुदरत से मिले वरदानों के इस्तेमाल की मनमानी हैं, जो समूची पृथ्वी की सुरक्षा के लिए घातक है।

आईने में समाज

हमारे समाज में दलितों की खेदजनक स्थिति अभी भी आंकड़ों में स्पष्ट है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए न्यायपालिका को अपने अधिकारों को बनाए रखने की आवश्यकता है। भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की जिंदगी को संचालित करने वाली जातीय व्यवस्था पिछले करीब दो हजार सालों से ऐसे ही चली आ रही है, लेकिन इस व्यवस्था के भीतर जातियों का बंटवारा तकनीकी-आर्थिक तौर पर और सियासी उठा-पटक की वजह से बदलता रहा है। वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बहस के बीच है। हालांकि पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता, मगर इस पर विचार करना अति आवश्यक है। अनेक अध्ययनों यह उभर कर सामने आता रहा है कि ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक में आज भी छुआछूत विभिन्न स्तरों पर कायम हैं। इसके बरक्स अक्सर ही सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षाओं में आरक्षण को खत्म करने के मुद्दे उठते रहे हैं।

सन 1947 में देश को मिली स्वाधीनता के सात दशक के बाद भी समाज ऊंच-नीच की अमानवीयता और भेदभाव की मानसिकता से ग्रसित है। समाज में व्यवहार के स्तर पर तो बहुत कुछ दिखता है, लेकिन शासकीय विभागों में जितने पद हैं, उनमें दलितों का प्रतिनिधित्व आज भी बहुत कम है। वहीं मलिकाना हक की बात की जाए तो जमीन, उद्योग और साक्षरता में भी प्रतिनिधित्व उतना नहीं है, जितना होना चाहिए। इसी तरह, उच्च शिक्षा में दलितों का हिस्सा बहुत कम है। यह बेवजह नहीं है कि नागरिक अधिकारों तक उनकी आसानी से पहुंच नहीं हो पाती है। दलितों के बीच गरीबी और कुपोषण की स्थिति भयावह है और वे एक बार फिर समाज के हाशिये पर जाते दिख रहे हैं। सन 2018 के आंकड़ों के अनुसार जेलों में सबसे अधिक दलित वर्ग के ही कैदी बंद हैं। दूसरी ओर, कृषि क्षेत्र में व्यापक भेदभाव देखने को मिलता है। दलितों के पास ग्रामीण क्षेत्र में कुल संपदा का महज पांच फीसद है, जबकि जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब इक्कीस फीसद है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब हो रहे हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2013 तक दलितों के खिलाफ अत्याचार के 54257 मामले दर्ज थे। हालांकि यह संख्या दर्ज मामलों की हकीकत बताता है। जमीनी स्तर पर तस्वीर ज्यादा त्रासद है। व्यवहार में सच यह है कि आज भी दलितों से कोई सामान बाजार में खरीदने से कतराते है लोग। जातिगत भेदभाव व छुआछूत का आचरण भी परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए, जिससे समाज में वंचित तबकों को उनका अधिकार मिल सके और सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम हो सके।

● *करन कुमार खोईया, ग्वालियर, मध्यप्रदेश*

चेतना पर परदा

'अंधविश्वास का जाल' (लेख, 29 मार्च) पढ़ा। आज जबकि हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, विश्व में हमारे डॉक्टर, इंजीनियर सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, वही आज भी अंधविश्वास की जड़ें कमजोर होने के बजाय और गहरी होती जा रही हैं। इसके प्रमाण हमें अक्सर ही देखने को मिल जाते हैं। जादू-टोना के नाम पर कई मौकों पर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती रहती हैं और हमें अंधविश्वास के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। इस तरह के अंधविश्वास का एक कारण है बिना किसी प्रमाण या तर्क के किसी भी बात पर भरोसा करने की हमारी प्रवृत्ति। कहीं न कहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव स्पष्ट नजर आता है। आज बाबाओं की हरकतों की खबरें खूब सामने आ रही हैं कि किस तरह वे लोगों को आस्था और भक्ति के नाम पर बरगलाते हैं और उनकी चेतना पर परदा डाल कर उनके विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील कर देते हैं।

विडंबना यह है कि कई तरह के ठगी, हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों में लिप्त होने वाले ऐसे कुछ बाबाओं की हकीकत सामने आने के बावजूद लोग विचार करने की जरूरत नहीं समझते। यह एक जटिल स्थिति है, जिससे निपटने के लिए सरकार को रास्ता निकालना ही होगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अंधविश्वास विकास और तरक्की के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। जाहिर है, न केवल सामाजिक संगठनों, बल्कि खुद सरकार की ओर से भी शिक्षा पद्धति में अंधविश्वास के खिलाफ पाठ शामिल करने के साथ-साथ व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अन्यथा अंधविश्वास की वजह से होने वाली ठगी से लेकर हत्या या फिर बलि जैसी बर्बर घटनाएं हमारे तमाम विकास पर सवाल उठाती रहेंगी।

● *साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

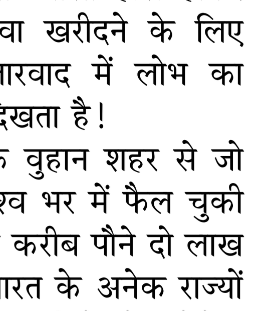

अमेरिका की जवाबदेही

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अमेरिका ने कोरोना टीका पर काम कर रही जर्मन कंपनी क्योरवैक को भारी रकम देकर केवल अमेरिका के लिए संभावित टीके और उसके रिसर्च को हथियाने की कोशिश की है। जर्मन सरकार अमेरिकी कोशिश को रोकने में लगी है। जर्मनी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि भविष्य में किसी टीके पर किसी एक देश का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। याद रहे, अमेरिका ने सैकड़ों नाजी वैज्ञानिकों को जर्मनी से बचा कर अपने देश ले जाकर उनके रिसर्च का फायदा उठाया। उसके बम, चांद की यात्रा और सेटेलाइट तकनीक के पीछे नाजी वैज्ञानिक थे। अब एक बार फिर ट्रंप और डीप स्टेट ऑपरेशन पेपरक्लिप चलाना चाहते हैं। दुनिया को अमेरिका पर दबाव डालना चाहिए कि वह कोरोना की पूरी जानकारी दे और बताए कि उसके यहां इसका पहला मामला कब आया था!

● *भूपेंद्र सिंह रंगा, पानीपत, हरियाणा*

पेड़ बचाएं

यह हम सभी जानते हैं कि वृक्षों की पत्तियां इस मौसम के अभिवादन के लिए जमीन पर बिछ जाती हैं, वहीं टेसू के फूल खिलने लगते हैं। सूखे पहाड़ों पर बिना पत्ती के वृक्ष अपनी वेदना किसे बताएं? बारिश होगी तभी इन वृक्षों पर हरियाली अपना डेरा फिर से जमा सकेगी, बस इन्हें इंसान काटे नहीं तब। वृक्षों से ही जंगल, पहाड़ों का सौंदर्य है। वृक्ष ही इंसान के मददगार और अंतिम पड़ाव तक के साथी होते हैं और पशु-पक्षियों को आसरा प्रदान करते हैं। इसलिए बिना पत्तियों के वृक्षों को बेजान समझ कर किसी भी समय नहीं काटें। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वृक्ष संपूर्ण जीव-जगत के लिए जीवन हैं। इनके बिना समूची धरा में जीवन रह पाना मुमकिन नहीं होगा।

● *संजय वर्मा 'दृष्टि', मनावर, धार*

www.readwhere.com

श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजा

गणगौर वैसे तो है राजस्थान का मुख्य त्योहार, लेकिन इसकी जय-जयकार सुनाई देती है कोलकाता के बड़ाबाजार अंचल में। चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से शुरू हुआ 18 दिवसीय त्योहार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलेगा। गणगौर राजस्थान व सीमावर्ती राज्य का एक त्योहार है, जो चैत्र में मनाया जाता है। गणगौर के दौरान कुवांरी लड़कियां श्रेष्ठ वर व विवाहित महिलाएं वर की सलामती के लिए शिव (इसर) और पार्वती (गौरी) की पूजा करती हैं।

5 साल से रोजगार के इंतजार में युवा

राजीव जैन
जयपुर।

राजस्थान

सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे बेरोजगार युवाओं के सपने सरकार एक ही झटके में खत्म करने में लगी हुई है। राजस्थान में ऐसा ही मजाक विद्यालय सहायक के पदों की भर्ती में हुआ है। प्रदेश में विद्यालय सहायक के 33 हजार पदों के लिए पांच साल पहले करीब 12 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। इस भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है पर सरकार ने हाल में विधानसभा में एक सवाल के उत्तर में कहा कि यह भर्ती निरस्त हो चुकी है।

इस पद के लिए आवेदन करने वाले युवा समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला उनके हक में आएगा और सरकार भर्ती की प्रक्रिया अपनाएगी।

राज्य में करीब पांच साल पहले 21 जुलाई 2015 को राज्य सरकार ने संविदा पर काम कर रहे विद्यार्थी मित्रों के समायोजन के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत सरकार ने 33 हजार 493 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें 12 लाख 3 हजार 13 आवेदकों ने आवेदन किया था। इस भर्ती मामले में शुरू से ही पेंच फंसा रहा और मामला अदालतों में पहुंचा।

पूर्व सरकार के दौरान सन 2013 में 27 हजार विद्यार्थी मित्रों के लिए 33 हजार शिक्षा सहायक पद के लिए भर्ती निकाली गई। इसमें अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का प्रावधान किया गया। इसके तहत एक साल के अनुभव पर 10, दो साल के अनुभव पर 20 और तीन साल के अनुभव पर 30 अंक देने का प्रावधान किया गया। इन्हीं बोनस अंकों को लेकर विवाद पैदा हो गया। विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उस दौरान सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने विवाद दूर करने के मकसद से शिक्षा सहायक का नाम बदल कर विद्यालय सहायक के नाम से नई भर्ती का एलान कर दिया। इसमें वर्ष के अनुभव के आधार पर बोनस अंक घटाते हुए साक्षात्कार का प्रावधान कर उसके लिए 15 अंक रख दिए। यह भर्ती भी पुरानी भर्ती की तरह विवादों में फंस गई। इस भर्ती में सबसे ज्यादा विवाद बोनस अंकों को लेकर रहा और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में अब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। इसके बावजूद सरकार ने अब इसे निरस्त करके बेरोजगारों के सपने चूर कर दिए। इस भर्ती के जरिए ही सरकार के पास आवेदकों के शुल्क से 25 करोड रूपए जमा हो गए हैं। इस भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे बेरोजगार युवा अब सरकार के मंत्रियों और अफसरों के चक्कर काट रहे है पर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है।

विद्यालय सहायक की भर्ती का इंतजार कर रहे युवा आवेदकों ने निराश होकर अब धरने प्रदर्शन करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के संयोजक अशोक सिहाग का कहना है कि सरकार की लापरवाही के चलते विद्यालय सहायक भर्ती अटकी हुई है। अदालत में ही पांच साल से मामला लंबित है। विद्यालय सहायक पद के इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं पर सरकार की तरफ से उन्हें किसी तरह की राहत मिलती नहीं दिख रही है। इस भर्ती को निरस्त करने की कभी सूचना भी जारी नहीं की गई और न ही शुल्क लौटाने की कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई। सरकार की तरफ से इस मामले को कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला देख रहे है। कल्ला का कहना है कि विद्यालय सहायक भर्ती का विज्ञापन सन 2015 में निकला था। उसके बाद संभवतया विवादों के चलते ही मामला अदालत में पहुंचा। इस भर्ती को पूर्व की सरकार ने ही निरस्त कर दिया था। भर्ती से जुड़े सभी प्रकरणों का अध्ययन करवाया जा रहा है। आवेदकों को राहत देने के लिए सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी और और भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी।

प्रदेश में विद्यालय सहायक के 33 हजार पदों के लिए पांच साल पहले करीब 12 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है पर सरकार ने हाल में विधानसभा में एक सवाल के उत्तर में कहा कि यह भर्ती निरस्त हो चुकी है।

2013 में शिक्षा सहायक की निकली थी भर्ती

2013 में 27 हजार विद्यार्थी मित्रों के लिए 33 हजार शिक्षा सहायक पद के लिए भर्ती निकाली गई। इसमें अनुभव के आधार पर बोनस अंकों का प्रावधान किया गया। एक साल के अनुभव पर 10, दो साल के अनुभव पर 20 और तीन साल के अनुभव पर 30 अंक देने का प्रावधान किया गया। इन्हीं बोनस अंकों को लेकर विवाद पैदा हो गया। सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। इसके बाद सरकार ने विवाद दूर करने के मकसद से शिक्षा सहायक का नाम बदल कर विद्यालय सहायक के नाम से नई भर्ती का एलान कर दिया

राजस्थान से कोलकाता तक गणगौर की गूंज

पूजन के लिए जाती महिलाएं

शंकर जालान
कोलकाता।

बंगाल

कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। कोलकाता का बड़ाबाजार इलाका मिनी राजस्थान कहलाता है। कोलकाता का हृदयस्थल कहे जाने वाले बड़ाबाजार की बात ही निराली है। यहां रहने वाले ज्यादातर लोग राजस्थान या सीमावर्ती राज्यों के निवासी हैं, लिहाजा यहां राजस्थान का हर पर्व धूमधाम व उत्साह से मनाया जाता है, जितना की मरुधरा पर। इन्हीं त्यौहारों में से एक है गणगौर यानी गवरजा यानी इसर-गौरी (शंकर-पार्वती) की पूजा। गणगौर वैसे तो है राजस्थान का मुख्य त्यौहार, लेकिन इसकी जय-जयकार सुनाई देती है कोलकाता के बड़ाबाजार अंचल में।

चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से शुरू हुआ 18 दिवसीय त्यौहार चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलेगा। इस दौरान कुंवारी कन्याएं सुयोग्य व श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए इसर-गौरी की पूजा करती हैं। गणगौर राजस्थान व सीमावर्ती राज्य का एक त्यौहार है, जो चैत्र में मनाया जाता है। गणगौर के दौरान कुवांरी लड़कियां श्रेष्ठ वर व विवाहित महिलाएं वर की सलामती के लिए शिव (इसर) और पार्वती (गौरी) की पूजा करती हैं। पूजा करते हुए दूब से पानी के छांटे देते हुए गोर गोर गोमती गीत गाती हैं।

पौराणिक व व्रत कथा

एक समय की बात है, भगवान शंकर, माता पार्वती व नारदजी के साथ भ्रमण के लिए निकले। वह चलते-चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। ग्राम कि निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पूजन को पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी।

थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान सोने-चांदी के थालो में सजाकर सोलह श्रृंगार करके शिव और पार्वती के सामने पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा- तुमने सारा सुहाग रस तो निर्धन वर्ग की स्त्रियों को ही दे दिया। अब इन्हें क्या दोगी ? पार्वती जी बोली प्राणनाथ ! उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा। किंतु मैं इन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी, इससे वो मेरे सामान सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव-पार्वती पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीर कर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया, जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया।पार्वती जी ने कहा तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर, माया मोह से रहित हो जाओ और तन, मन, धन से पति की सेवा करो। तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने चली गई । स्नान करने के पश्चात बालू की शिवजी की मूर्ति बनाकर उन्होंने पूजन किया।

कोरोना से बचाव के नुस्खे बताए स्वामी ने

सुनील दत्त पांडेय
देहरादून।

उत्तराखंड

इस समय पूरी दुनिया में डर का वातावरण बनाने वाले कोरोना वायरस से बचने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव ने कई देसी नुक्ते बताए हैं। साथ ही स्वामी रामदेव का कहना है कि इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। योग और आयुर्वेद में इस वायरस से बचने के लिए कई उपाय हैं। उन्होंने पतंजलि शोध संस्थान हरिद्वार में किए गए अनुसंधानों के हवाले से कहा कि योग और देसी जड़ी-बूटियों से मनुष्य अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इतना अधिक बढ़ा सकता है कि कोरोना जैसा विषाणु सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।

उन्होंने दावा किया कि पतंजलि योगपीठ के शोध संस्थान में एक ऐसा देसी सैनिटाइजर तैयार किया है जिसको हाथों और मुंह में लगाने से किसी भी तरह का वायरस निष्प्रभावी हो जाता है। इस लेप में तुलसी, नीम, गिलोय और कपूर शामिल है।

योग गुरु का कहना है कि कोरोना विषाणु से सिर्फ सावधानी ही बचा सकती है। उनका कहना है कि इस वायरस अब तक छह हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 70 हजार से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। अब तक इस वायरस पर जितने भी शोध हुए हैं उनसे चार बातें सामने आई हैं कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और जो अस्थमा, दमा, सांस, हृदय, मधुमेह जैसे रोगों से रोग ग्रस्त हैं। उन्हें अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पांच प्राणायामों भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी और उद्गीत करके अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए और इन प्राणायामों के अलावा इन अश्वगंधा, शतावरी और सफेद मूसली के रसायन का चूर्ण लेना चाहिए जो मनुष्य की शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को निश्चय ही बढ़ाएगा।

स्वामी रामदेव ने दावा किया है कि उनके शोध संस्थान में गहन शोध के बाद यह तथ्य सामने आया है कि कोरोना वायरस का प्रोटीन मनुष्य के शरीर के प्रोटीन में मिलने से केवल अश्वगंधा चूर्ण ही सबसे ज्यादा प्रभावकारी है और अश्वगंधा रसायन कोरोना वायरस और मनुष्य के शरीर के प्रोटीन के बीच में सुरक्षा दीवार की तरह खड़ा रहता है और मनुष्य जीवन को कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से रोकता है।

गिलोय तुलसी नीम का रस मिलाकर पीने से मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। साथ ही सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है और फागुन के महीने में आंवले के फल में पूर्ण रसायन समावेश करते हैं, इसलिए फागुन के महीने का आंवला तुल्य कहा गया है और जो मनुष्य में प्रतिरोधक क्षमता कई गुना बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए रोज सुबह खाली पेट आंवले का फल, आंवले का रस या च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए।

पतंजलि अनुसंधान संस्थान में कोरोना वायरस से बचाव के रास्ते बताते हुए योग गुरु स्वामी रामदेव।

योग गुरु का कहना है कि कोरोना से सिर्फ सावधानी ही बचा सकती है। अब तक इसपर जितने भी शोध हुए हैं उनसे चार बातें सामने आई हैं कि जिन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और जो अस्थमा, दमा, सांस, हृदय, मधुमेह जैसे रोगों से रोग ग्रस्त हैं।

ई कचरा बना बड़ा रोड़ा

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली।

देश

सतत व टिकाऊ विकास के रास्ते में ई कचरा एक बड़ा रोड़ा बन कर उभर रहा है। दुनिया भर में पैदा होने वाले ई-कचरे का चार फीसद फीसद हिस्सा भारत का। भारत में यह कचरा पैदा करने वाले शहरों में दिल्ली का स्थान दूसरा है। भारत की सिलिकान वैली के नाम से जाने जाने वाले शहर बंगलुरू का स्थान तीसरा है। यह स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख खतरा बन रहा है। पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम चुके ई- कचरे के निबटान व प्रबंधन के लिए एक जिम्मेदार व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई जा सकी है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एसोचैम-केपीएमजी की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में हर साल जितना ई-कचरा पैदा होता है उसका बड़ा हिस्सा फीसद भारत में पैदा होता है। ई-कचरा में कंप्यूटर उपकरणों का लगभग 70 फीसद हिस्सा होता है। कंप्यूटर उपकरणों के बाद घरों से पैदा होने वाले ई-कचरे में दूरसंचार उपकरणों -फोन (12 फीसद), बिजली के उपकरण (आठ फीसद)और चिकित्सा उपकरण (सात फीसद) भी शामिल है।

ई-कचरा पैदा करने वाले भारत के शहरों की इस सूची में मुंबई सबसे ऊपर है जहां हर साल1,20,000 टन ई- कचरे का उत्पादन होता है। उसके बाद दिल्लीका नंबर आता है, जहां 98,000 टन ई-कचरे का उत्पादन होता है जबकि तीसरे स्थान पर बेंगलुरू है जहां 92,000 टन ई-कचरे का उत्पादन होता है। लैंडफिल में पाए जाने वाले करीब 70 फीसद भारी धातु ई-कचरे में आता है।

टॉक्सिक्स लिंक के सहायक निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा कि एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में, हम सभी को ई- कचरे के जिम्मेदार निपटान के लिए योगदान करना होगा और हमें मरम्मत के अधिकार जैसे वैसे अधिकारों की मांग करनी होगी जो अभी अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने ई-कचरा निपटान की समस्या से निपटने के लिए नियमन की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके।

सिन्हा ने भारत में ई- कचरे की समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों से कई उदाहरण दिए। उन्होंने उपभोक्ताओं की जिम्मेदारियों के साथ-साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) जैसे विभिन्न प्राधिकरणों के नियमों व उनकी भूमिकाओं और पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के बारे में भी विस्तार से बताया। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को संक्षेप में ई कचरा कहा जाता है।

अनकही पाबंदियों की चहारदीवारी तोड़तीं लड़कियां

तमन्ना अख्तर
चंडीगढ़।

हरियाणा

हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूंह जिले की लड़कियां अब अनकही पाबंदियों की चहारदीवारी तोड़ रही हैं। इन लड़कियों ने न केवल खुद स्कूल-कॉलेज जाने का सिलसिला शुरू किया, बल्कि अब सोशल मीडिया पर सक्रिय हो अन्य लड़कियों का भी मार्गदर्शन करने की हिम्मत दिखा रही हैं। सेल्फी विद डॉटर से जुड़ी इन लड़कियों ने बड़े गर्व से अपने इस संघर्ष की कहानी साझा की। उनका कहना है कि इससे पहले गांव की महिलाओं पर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर लगाने या सक्रिय रहने पर अनकही पाबंदी थी।

अपने फैसले खुद लूंगी

जिले नूंह के समीपवर्ती साकरस गांव में शहनाज बानो का अकेला पढ़ा-लिखा परिवार है। सीटैट, एसटैट की परीक्षा पास कर शहनाज (25) अब नौकरी तलाश रही हैं। 'देखो जी मेरा घर है अंगूठा छाप। पढ़ने की जो यह लहर शुरू हुई है इसका सारा श्रेय मेरी बड़ी बहन कुलसुम बानो को जाता है। घर वालों से छुप-छुप कर वह स्कूल जाती थीं और इस तरह उसने पांचवी तक पढ़ाई की।

बानो ने बताया कि कागजी परीक्षा से बड़ी परीक्षा उनकी बहन ने घर आकर दी। काफी चिल्लम चिल्ली के बाद आखिर पापा ने मंजूरी दे ही दी। बानो ने बताया, 'मेरे पिता पेशे से किसान है। हमारी पढ़ाई से गांव वासियों को हमेशा दिक्कतें होती रहीं। वे पापा के कान भरने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कभी तुम्हारी बेटियां देखना भाग जाएंगी तो कभी इतना पढ़ा कर भी क्या कर लेंगी.. ढोएंगी तो आखिर में गोबर ही। तब मैंने उनको जवाब दिया कि अगर पढ़ लिखकर गोबर भी ढोना पड़े न तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जिऊंगी।'

उन्होंने बताया कि वह महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करना चाहती हैं। उनका मानना है, 'जबतक खुद जागेंगे नहीं तबतक दूसरा अपको अंधेरे की ओर धकेलता ही रहेगा। अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ता है।' बानो गांव की 12 वीं कक्षा तक की लड़कियों को घर पर पढ़ाती हैं। इस दौरान एकबार ऐसी लड़कियों के लिए आगे की पढ़ाई की वकालत करने पर गांव वालों ने कहा कि तुम खुद तो पढ़ नहीं रही और इनकी वकालत कर रही हो, इस पर बानो ने उनके जवाब में एमए उर्दू में दाखिला लिया ताकि इन लड़कियों की पढ़ाई जारी रहे।

शहनाज मेवात की उन पांच लड़कियों में से जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी लगाई है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन द्वारा कराई गई स्क्रीनिंग में 1000 लड़कियों में इन पांच लड़कियों का चयन हुआ है। इस संदर्भ संस्थान के संस्थापक सुनील जागलान कहते है, 'ये पांचों सिर्फ बागी नहीं बल्कि बदलाव लाने की उम्मीद है। शहनाज को मैं आने वाले पंचायत चुनाव के लिए खड़ा करवाऊंगा। ऐसी बुलंद आवाज लोगों के सामने आनी चाहिए।'

बागी हैं और बदलाव लाकर दिखाएंगे

दुनिया से लड़ना आसान है लेकिन जब अपने परिजनों से लड़ने की नौबत आ जाए तो इंसान बार-बार टूटता है। अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने का हक हमारे यहां किसी को नहीं दिया गया है। जो इक्का-दुक्का समाज से लड़कर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने का जज्बा रखते हैं उन्हें क्या पता कि पीछे छूटे उनके परिजन उसका खामियाजा भुगतेंगे।

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही 20 साल की अरस्तुन आरा हालांकि बड़ी मजबूती से यह बात कहती हैं पर उसकी छोटी-छोटी आंखों में तैरते बड़े-बड़े सपनों को आकार देने के लिए अपनों के हाथ न मिलने का मलाल उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। आरा बताती है कि बड़ी बहन के प्रेम विवाह के बाद उनकी जिंदगी दोजख के समान हो गई थी। सात भाई-बहनों में वह दूसरे नंबर पर है।

बकौल आरा, मुझे पढ़ाई करनी थी। छिपते-छिपाते किसी तरह स्कूल शिक्षा खत्म की लेकिन मुझे वहां रुकना नहीं था। मेरा छोटा भाई राशिद, उसने मुझे सपने देखने की हिम्मत दी। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगा ताकि मेरी पढ़ाई के लिए पैसे का जुगाड़ हो सके।

अरस्तुन

रिजवाना

शहनाज बानो

जिले नूंह के समीपवर्ती साकरस गांव में शहनाज बानो का अकेला पढ़ा-लिखा परिवार है। सीटैट, एसटैट की परीक्षा पास कर शहनाज (25) अब नौकरी तलाश रही हैं। 'देखो जी मेरा घर है अंगूठा छाप। पढ़ने की जो यह लहर शुरू हुई है इसका सारा श्रेय मेरी बड़ी बहन कुलसुम बानो को जाता है। घर वालों से छुप-छुप कर वह स्कूल जाती थीं और इस तरह उसने पांचवी तक पढ़ाई की।

www.readwhere.com

मंत्रालय आगंतुकों के पास जारी कराना बंद करें : कार्मिक विभाग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

केंद्र सरकार ने कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को सरकारी भवनों में प्रवेश स्थान पर लोगों के लिए तापीय जांच यंत्र लगाने और आगंतुकों को अस्थायी एवं विजिटर पास जारी करना तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का मंगलवार को आदेश जारी किया।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कोरोना विषाणु को फैलने से रोकने के लिए कई कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि हाथों के लिए विषाणु नाशक और साबुन की नियमित आपूर्ति जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए। कार्मिक विभाग ने कहा कि फ्लू जैसे लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तियों को उपयुक्त इलाज कराने और पृथक रहने आदि की सलाह दी जाती है। कार्मिक विभाग ने कहा कि सभी मंत्रालयों एवं विभागों को सभी जरूरी कदम उठाने की सलाह दी गई है, जिनमें सरकारी भवनों के प्रवेश स्थान पर शरीर के तापमान की जांच करने का उपकरण लगाने, हाथों के लिए विषाणु नाशक अनिवार्य रूप से रखने, बाहरी लोगों को आने से हतोत्साहित करने और तत्काल प्रभाव से आंगतुकों को अस्थायी पास जारी करने को स्थगित करना शामिल है।

इसमें कहा गया है कि केवल उन्हीं आगंतुकों को इजाजत दी जाएगी, जिनके पास उस अधिकारी की उपयुक्त इजाजत हो जिनसे वे मिलने वाले हैं। आदेश में अधिकारियों को गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। उन्हें यथासंभव वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बैठकें करने के अलावा, बैठकें या तो पुनर्निधारित करने या उसमें भाग लेने वालों की संख्या में कमी करने को कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि आधिकारिक ईमेल पर जरूरी पत्राचार किया जाए और जहां तक संभव हो अन्य कार्यालयों में फाइलें एवं दस्तावेज भेजने से बचा जाए। जहां तक व्यावहारिक हो, कार्यालय भवन के प्रवेश बिंदु पर ही डाक प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि सरकारी भवनों में सभी व्यायामशालाओं, मनोरंजन केंद्रों और बाल शाला को बंद किया जाना चाहिए तथा कार्यस्थल, खासतौर पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली चीजों को उपयुक्त रूप से साफ किया जाए तथा बार-बार स्वच्छ किया जाए।

आदेश में छुट्टियां देने में उदारता बरतने को कहा गया है। यह कहा गया है कि एहतियाती उपाय के तहत जब कभी स्व-पृथक रखे जाने का अनुरोध मिले, अवकाश की मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों को छुट्टी मंजूर करने की सलाह दी जाती है। आदेश में सभी अधिकारियों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने और सांस लेने में समस्या या बुखार की जांच कराने को कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अस्वस्थ महसूस होने पर उन्हें अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को सूचित करने के बाद फौरन ही कार्यस्थल छोड़ देना चाहिए और घर में पृथक रहने के दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में कोरोना विषाणु महामारी घोषित

जम्मू, 17 मार्च (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कोरोना विषाणु संक्रमण को महामारी घोषित करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति इस रोग के रोकथाम एवं उपचार से जुड़े आदेशों का पालन नहीं करेगा उससे कानून के तहत निपटा जाएगा।

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु के आदेश पर वित्तीय आयुक्त (स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा विभाग) द्वारा जारी चार पन्नों की अधिसूचना में यह घोषणा की गई है। इस केंद्र-शासित प्रदेश में अबतक तीन व्यक्तियों के कोरोना विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए इस केंद्र-शासित प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सरकार द्वारा चार से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाते हुए निषेधाज्ञा लागू करने के साथ सामान्य जनजीवन करीब करीब ठहर गया है।

सरकार पहले ही सभी शिक्षण संस्थानों, मल्टीप्लेक्सों, सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉलों, फुड कोर्टों, पार्कों और गार्डनों, क्लबों एवं सड़क किनारे खाने-पीने की चीजें बेचने वालों पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा चुकी है।

महामारी रोग अधिनियम के तहत नियमों की घोषणा करते हुए अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर महामारी रोग (कोविड-19) विनियमाली, 2020 इस पूरे केंद्रशासित प्रदेश में तत्काल प्रभावी होगी। अधिसूचना में कहा गया है, निगरानी कर्मी यदि उपयुक्त समझते हैं तो उन्हें ज्वर, खांसी या सांस संबंधी घटनाओं निगरानी या भौतिक परीक्षण के लिए ऐसे परिसरों के मालिकों को तर्कसंगत मौका देने के बाद वहां प्रवेश करने का अधिकार होगा। अधिसूचना में कहा गया, ऐसे सभी व्यक्ति निगरानी, निरीक्षण, पूछताछ और परीक्षण में सहयोग करने और सभी संभव सहायता करने के लिए बाध्य होंगे।

अधिसूचना के अनुसार जिलाधिकारी इन निगरानी र्किमयों को नियुक्त करेंगे जिन्हें संदिग्ध व्यक्तियों को घर के अंदर ही पृथक रूप से रखने या उसे पृथक सुविधा में ले जाने का निर्देश देने, व्यवस्था करने का अधिकार होगा।

अधिसूचना में कहा गया है कि लेकिन यदि किसी परिसर के मालिक या कोविड-19 का संदिग्ध या सत्यापित व्यक्ति घर में अलग से रखने, संस्थाना में अलग से रखने जेसे रोकथाम या उपचार के कदमों से इनकार करता है या फिर निगरानी र्किमयों एवं अधिकारियों से सहयोग नहीं करता है। तो उस पर सीआरपीसी, 1973 की धारा 133 के प्रावधान लगेंगे। जरूरी समझने पर मजिस्ट्रेट किसी बाध्यकारी कार्रवाई का आदेश जारी कर सकते हैं।

गोगोई के मनोनयन पर कांग्रेस ने कहा, न्यायपालिका पर आघात किया गया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कांग्रेस ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा में मनोनयन को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि इस सरकार ने न्यायपालिका पर बहुत ही गंभीर आघात किया है।

पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र की राजग सरकार ने पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के उस कथन का भी ख्याल नहीं रखा जिसमें उन्होंने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के बाद पदों पर नियुक्ति का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह कहना चाहती है कि हमारे सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक स्तंभ न्यायपालिका पर आघात किया गया है। इसका किसी व्यक्ति विशेष या न्यायमूर्ति गोगोई से संबंध नहीं है। इसका नीति, सिद्धांत और 70 साल से चले आ रहे नियम से संबंध है। सिंघवी ने कहा-हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका एक तरफ होकर काम करती है और कार्यपालिका व विधायिका दूसरी तरफ होते हैं। संविधान में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह धारणा कुछ वर्षों से बन रही थी कि हमारी कार्यपालिका के आक्रमण से

न्यायपालिका पर कार्यपालिका के हमले की धारणा और मजबूत होगी : सिंघवी
सेवानिवृत्त होने के छह साल बाद राज्यसभा पहुंचे थे जस्टिस रंगनाथ मिश्र

न्यायपालिका में कमजोरी आ रही है। यह धारणा और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मिथ्या प्रचार किया जा रहा है कि हमने भी ऐसा किया था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा का उदाहरण दिया जाता है। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि प्रधान न्यायाधीश का पद छोड़ने के कई वर्ष बाद वह राज्यसभा पहुंचे थे। लेकिन गोगोई के मामले में कुछ महीने का समय है। इससे पहले एक प्रधान न्यायाधीश को राज्यपाल बनाया गया था। कांग्रेस नेता ने जेटली के एक बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि कम से कम हमारी नहीं सुनते तो अपनों की सुनिए। लेकिन ऐसा नहीं किया। आपने अपने लोगों की बात नहीं मानी और लंबी विरासत और सिद्धांत का उल्लंघन किया। दरअसल, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। गोगोई 17 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

मूडीज ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाया

पेज 1 का बाकी

वित्तीय राहत पैकेज, नीतिगत दर में कटौती, नियामकीय छूट समेत राहत के कई उपाय किए हैं, हालांकि वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम इन उपायों के असर को कम कर देंगे।

मूडीज के उपाध्यक्ष (वरिष्ठ क्रेडिट अधिकारी) बेंजामिन नेल्सन ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामलों के सामने आने से आर्थिक वृद्धि की दर सुस्त होगी। इसका उन कुछ मुख्य क्षेत्रों पर बुरा वित्तीय असर पड़ेगा, जो मुक्त आवाजाही पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और लोगों की मुक्त आवाजाही पर निर्भर क्षेत्र जैसे यात्री विमानन, नौवहन, आतिथ्य सत्कार, रहना-ठहरना, क्रूज लाइनर, रेस्तरां आदि सबसे अधिक जोखिम में हैं। एजंसी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता के कारण वैश्विक वाहन कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। कुछ चुनिंदा भौगोलिक क्षेत्रों में खेल और खाद्य से इतर के खुदरा क्षेत्र भी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर हैं, इस कारण ये भी प्रभावित हो रहे हैं। मूडीज के एक अन्य उपाध्यक्ष रिचर्ड मोरावेट्ज ने कहा कि कंपनियां वायरस के संक्रमण से कितना बचाव कर पाती हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि संक्रमण कब तक रहने वाला है। हम सतर्क करते हैं कि जिस तरह से दिन-प्रतिदिन चीजें घट रही हैं, समय के हिसाब से प्रभाव का हमारा आकलन भी बदलता रहेगा

सरकार के दिशा निर्देश के बाद भी शाहीनबाग में धरना जारी

पेज 1 का बाकी

यहां नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रही महिलाओं से मुख्य सड़क मार्ग को खाली करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस पहल को दरकिनार कर दिया।

इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शाहीनबाग की मुख्य सड़क पर बैठी महिला प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए कई बार आ चुके हैं। शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन से करीब 100 मीटर दूर स्थित चौराहे पर पुलिस और महिला प्रदर्शनकारियों के बीच यह बातचीत हुई। यहां पुलिस की ओर से स्थानीय एसएचओ व एक आला अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से करीब 20 महिलाएं इस वार्ता में शामिल हुईं।

महिलाओं से बातचीत के दौरान पुलिस ने कहा कि पिछले कई महीनों से यहां प्रदर्शन हो रहा है, इस दौरान आपको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप मुख्य सड़क मार्ग खाली करके किसी और स्थान को अपने प्रदर्शन के लिए चुनें। लेकिन खबर लिखे जाने तक इस बाबत कोई प्रगति नहीं हुई थी।

प्रदर्शनकारियों की समिति के एक सदस्य ने कहा कि प्रदर्शन स्थल पर इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। यहां यथा स्थिति बरकरार है। हां, उन्हें सरकार के उस सर्कुलर की जानकारी जरूर है जिसमें पचास से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा रहने पर हिदायत है। लेकिन इस बाबत हमारे बीच कोई फैसला नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से मांगा जवाब

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर कमलनाथ सरकार से बुधवार तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता के पीठ ने स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और विधानसभा के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किए और कहा कि इस मामले में बुधवार को सवेरे साढ़े दस बजे सुनवाई की जाएगी। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एनपी प्रजापति द्वारा कोरोना वायरस का हवाला देते हुए सदन में शक्ति परीक्षण कराए बगैर ही सोमवार को सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित किए जाने के तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान और सदन में प्रतिपक्ष के नेता व भाजपा के मुख्य सचेतक सहित नौ विधायकों ने सोमवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को 16 मार्च को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने अपने आदेश में कहा- हमने याचिकाकर्ताओं (चौहान और अन्य) की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सौरभ मिश्रा, एडवोकेट को आन रिकार्ड को सुना। नोटिस जारी किया जाए। स्थिति की तात्कालिकता को देखते हुए नोटिस का जवाब 18 मार्च, 2020 को सवेरे साढ़े दस बजे तक देना है। पीठ ने चौहान को अपनी याचिका की प्रति की राज्य सरकार, अध्यक्ष और अन्य पक्षकारों को नोटिस की तामील करने के पारंपरिक तरीके के अलावा ई-मेल पर भी इसे देने की छूट दी।

यही नहीं, पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपने वाले कांग्रेस के 16 बागी विधायकों को चौहान की याचिका में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन दायर करने की भी अनुमति प्रदान की।

डॉक्टर भी संक्रमण की चपेट में

पेज 1 का बाकी

ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

कर्नाटक में मंगलवार को संक्रमण के दो नए मामले सामने आने के बाद राज्य में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इस संख्या में एक मृतक भी शामिल है। कलबुर्गी के उपायुक्त शरत बी ने कहा कि 63 साल के डॉक्टर को परिवार के सदस्यों के साथ ही घर में पृथक रखा गया है और उन्हें विशेष पृथक वार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है।

परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु ने ट्वीट किया- कर्नाटक में कोविड-19 के दो नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमित लोगों की संख्या 10 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमितों में एक 20 साल की युवती है, जिसने हाल में ब्रिटेन की यात्रा की थी। दूसरा करीब 60 साल का व्यक्ति वह है जो पिछले हफ्ते देश में सबसे पहले इस वायरस से जान गंवाने वाले कलबुर्गी के 76 साल के बुजुर्ग के संपर्क में आया था।

इससे पहले सोमवार को संक्रमित पाया गया 32 साल की व्यक्ति इस महीने ही शुरुआत में लंदन होते हुए अमेरिका से लौटा था। वह राज्य का आठवां व्यक्ति था जिसमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। वह पहले घर में पृथक रखा गया था और अब उसे विशेष पृथक वार्ड में भेजा जा रहा है

भारत ने चीन व पाक का साझा बयान खारिज किया

पेज 1 का बाकी

कहा गया, 'दोनों पक्षों ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर चर्चा की। पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी चिंताओं, रुख और मौजूदा अत्यावश्क मुद्दों समेत ताजा घटनाक्रमों से चीनी पक्ष को अवगत कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इससे संबंधित मुद्दे देश के आंतरिक मामले हैं।

शपथ के बाद विस्तार से चर्चा करूंगा : गोगोई

पेज 1 का बाकी

दिल्ली जाऊंगा।' उन्होंने कहा, 'पहले मुझे शपथ लेने दीजिए, इसके बाद मैं मीडिया से इस बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा कि मैंने यह पद क्यों स्वीकार किया और मैं राज्यसभा क्यों जा रहा हूं।' सोमवार को एक गजट अधिसूचना में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक मनोनीत सदस्य का पद रिक्त होने पर इस सीट के लिए गोगोई को मनोनीत किया।

गोगोई को मनोनीत किए जाने को लेकर सियासी गलियारों और अन्य हलकों में भी चर्चा है। गोगोई पिछले साल नवंबर में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह इस पद पर करीब 13 महीनों तक रहे। राज्यसभा के लिए मनोनयन की हो रही आलोचना पर गोगोई ने एक स्थानीय समाचार चैनल को बताया, 'मैंने राज्यसभा के लिए मनोनयन का प्रस्ताव इस दृढ़विश्वास की वजह से स्वीकार किया कि न्यायपालिका और विधायिका को किसी बिंदु पर राष्ट्र निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'संसद में मेरी मौजूदगी विधायिका के सामने न्यायपालिका के नजरिए को रखने का एक अवसर होगी।' इसी तरह विधायिका का नजरिया भी न्यायपालिका के सामने आएगा।

तीसरी मौत, हरियाणा में पहला मामला; नोएडा में दो मामले

पेज 1 का बाकी

संक्रमित होने के अलावा उनको स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं भी थीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मुंबई में सार्वजनिक परिवहन चलता रहेगा। सरकारी दफ्तरों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 50 फीसद क्षमता के साथ सरकारी कार्यालयों को काम करने की इजाजत देने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर लोग गैर जरूरी यात्रा करने से नहीं बचते हैं, तो ट्रेन और बस सेवाओं को बंद करने जैसे कड़े फैसले लेने होंगे।

वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 29 वर्षीय एक महिला के कोरोना विषाणु से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह महिला गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है और हाल ही में उन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा की थी। राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक के मुताबिक वह अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद उसके नमूने पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में जांच के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट में उन्हें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक दो मामलों में से एक मरीज सेक्टर 100 में रहने वाली महिला हैं, जो हाल ही में फ्रांस से लौटी थीं। महिला को पृथक वार्ड में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि दूसरा मरीज सेक्टर 78 का का रहने वाला है। संक्रमित पाए जाने के बाद उसे भी अस्पताल के अलग कमरे में रखा गया है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता

पेज 1 का बाकी

न्यायापालिका में आम आदमी के विश्वास को हिला कर रख दिया है। पत्रकारों ने जब जोसफ से इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने आरोप लगाया कि गोगोई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता के 'पवित्र सिद्धांतों से समझौता' किया।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने कहा कि गोगोई जब मीडिया में राज्यसभा की सीट स्वीकार करने के बारे में अपना विस्तृत बयान देंगे उसके बाद ही वह अपने विचार व्यक्त करेंगे। पूर्व न्यायाधीश जोसफ ने कहा, मेरे मुताबिक, राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनयन को पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किए जाने ने निश्चित रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आम आदमी के भरोसे को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका भारत के संविधान के मूल आधार में से एक है।

नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन मंजूर

पेज 1 का बाकी

सकते और इनके लिए समान अवसर की जरूरत है।

पीठ ने कहा कि देश की सेवा करने वाली महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने से इनकार करने पर न्याय को नुकसान होगा। पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा वैधानिक अवरोध हटा कर महिलाओं की भर्ती की अनुमति देने के बाद नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन प्रदान करने में लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता। पीठ ने केंद्र की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि नौसेना में शार्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को समुद्र में जाने की ड्यूटी नहीं दी जा सकती है क्योंकि रूस में निर्मित जहाजों में उनके लिए अलग से वाशरूम नहीं है। पीठ ने कहा कि इस तरह की दलीलें केंद्र की 1991 और 1998 की नीति के विपरीत हैं। इन्हीं नीतियों के तहत केंद्र ने नौसेना में महिला अधिकारियों को शामिल करने पर लगी कानूनी पाबंदी हटा ली थी। शीर्ष अदालत ने कहा- जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थाई कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। पीठ ने नीति के तहत 2008 से पहले नौसेना में शामिल की गई महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने पर पड़ने वाले प्रभाव को निरस्त कर दिया। पीठ ने सेवानिवृत्त हो चुकी उन महिला अधिकारियों को पेंशन का लाभ भी प्रदान किया जिन्हें स्थाई कमीशन नहीं दिया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि नौसेना में महिला अधिकारियों ने सेना के लिए ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

'सीएए से किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं'

पेज 1 का बाकी

प्रदान नहीं करता है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को इस कानून के अंतर्गत विर्निदिष्ट तरीके से ही नागरिकता प्रदान की जाएगी। केंद्र की ओर से गृह मंत्रालय में निदेशक बीसी जोशी ने यह हलफनामा दाखिल किया है।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने का निश्चय किया था लेकिन उसे इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। संशोधित नागरिकता कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के उन सदस्यों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर, 2014 तक यहां आ गए थे। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल और राजस्थान सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का सहारा लेते हुए वाद दायर किया है। जबकि इंडियन यूनियन मुसलिम लीग, माकपा, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के जयराम रमेश, द्रमुक मुन्नेत्र कषगम, एआइएमआइएम, भाकपा और कई अन्य संगठनों ने 160 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की हैं

प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए

पेज 1 का बाकी

10 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। ऐसा पश्चिम रेलवे जोन के छह संभागों- मुंबई, वडोदरा, अमदाबाद, रतलाम, राजकोट और भावनगर में किया गया है। इन संभागों में ढाई सौ रेलवे स्टेशन हैं।

अधिकारियों के अनुसार दक्षिण रेलवे जोन के केवल चेन्नई में ही प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ा दिया गया है। मध्य जोन के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। इस जोन में पांच संभाग- मुंबई (सीएसटी), भुसावल, नागपुर, सोलापुर और पुणे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोना विषाणु के मद्देनजर भीड़ नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय स्तर पर किया गया है।

मार्च, 2015 को रेलवे ने संभागीय रेलवे प्रबंधकों को विशेष परिस्थितियों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की दर 10 रुपए से बढ़ाने का अधिकार दे दिया था। अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र ही कुछ और रेलवे जोन ऐसा कर सकते हैं।

बजट सत्र में कोई कटौती नहीं

पेज 1 का बाकी

प्रहलाद जोशी ने बैठक के बाद कहा कि बजट सत्र की अवधि कम नहीं की जाएगी और यह पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार तीन अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से मुकाबला करने में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत व योगदान की सराहना की। वहीं, सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से छोटे-छोटे समूहों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने व 15 अप्रैल तक कोई विरोध प्रदर्शन आयोजित करने से बचने की सलाह दी।

प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के संबंध में जागरूकता फैलाने व सकारात्मक योगदान के लिए मीडिया की काफी प्रशंसा की। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के संदर्भ में किए गए कार्यों को सामने लाने से डॉक्टरों, नर्सों, नगरपालिका कर्मियों, हवाईअड्डा कर्मियों, सीआइएसएफ व अग्रिम मोर्चे पर जुटे लोगों का मनोबल बढ़ता है। रूडी के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे में हमें कोविड-19 से मुकाबला करने के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले विभिन्न लोगों का भी अभिनंदन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी स्तर पर विभिन्न प्राधिकार समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि कोविड-19 नहीं फैले। रूडी के कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री ने पार्टी सांसदों से कहा कि शनिवार व रविवार को जब वे अपने क्षेत्र में जाएं तो कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री के हवाले से बताया कि मीडिया ने काफी सकारात्मक रूप से इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। पार्टी संसदीय दल की बैठक में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्द्धन ने कोरोना वायरस से निपटने में सरकार के प्रयासों के बारे में बताया।

दरअसल

54 हजार लोग सामुदायिक निगरानी में : हर्षवर्धन

पेज 1 का बाकी

इन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में कुल 54 हजार लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा जा रहा है और लोगों को पृथक सुविधा में रखे जाने के दौरान स्वास्थ्यकर्मी उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना विषाणु के रोगियों के उपचार में रेट्रोवायरल औषधियों के उपयोग के बारे में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के वैज्ञानिक दुनिया भर के वैज्ञानिकों से संपर्क बनाए हुए हैं। पृथक केंद्रों में समुचित सुविधा नहीं होने की खबरों से जुड़े एक पूरक प्रश्न पर उन्होंने कहा, 'ऐसी खबरें अपवाद हैं।

रूसी उप प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रद्द

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी त्रुतनेव की इस महीने होने वाली भारत यात्रा को कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते रद्द कर दिया गया है। रूस के राजनयिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संसाधन समृद्ध 'फार ईस्ट एंड आर्कटिक' क्षेत्रों में भारत की भागीदारी पर चर्चा को आगे ले जाने के लिए इस महीने के अंत में रूस के उप प्रधानमंत्री एक बड़े शिष्टमंडल के साथ भारत आ रहे थे।

www.readwhere.com

सदन से बाहर आसन पर सवाल ठीक नहीं : लोकसभा अध्यक्ष

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि सदन से बाहर आसन पर सवाल करना ठीक नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया था कि जानबूझकर कर्ज अदायगी नहीं करने वाले चूककर्ताओं के संदर्भ में पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया गया और बतौर सांसद उनके अधिकार का संरक्षण नहीं किया गया।

लोकसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को मछलियों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाने के विषय पर कई सदस्यों द्वारा पूरक प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि अगर एक प्रश्न में 15 मिनट लग जाएं तो फिर कैसे होगा। उन्होंने किसी सदस्य का नाम लिए बगैर कहा कि आपके सदस्य कहेंगे कि 12 बजे के बाद पूरक प्रश्न पूछने नहीं दिया गया। बाहर आसन पर सवाल करना ठीक नहीं है। दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान जानबूझकर कर की अदायगी नहीं करने वाले 50 चूककर्ताओं के नाम पूछते हुए पूरक प्रश्न किया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जवाब में कहा कि कांग्रेस नेता राजनीति कर रहे हैं। बाद में गांधी ने संसद परिसर में दावा किया कि चूककर्ताओं को लेकर लोकसभा में पूरक प्रश्न पूछने नहीं दिया गया और उनके अधिकार का संरक्षण नहीं किया गया।

तमिलनाडु का अधिकार छीना : राहुल गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में मंगलवार को हिंदी भाषा के संदर्भ में द्रमुक सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलने को लेकर आरोप लगाया कि अध्यक्ष ओम बिरला ने तमिलनाडु का अधिकार छीना।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि तमिलनाडु के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया जाना तमिल लोगों और तमिलभाषियों एवं तमिल भाषा पर आक्रमण है। गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत कर आरोप लगाया कि कल मैंने सवाल किया था कि जानबूझकर कर्ज अदायगी नहीं करने वाले 50 चूककर्ताओं के नाम बताए जाएं। फिर मुझे दूसरा पूरक प्रश्न पूछने नहीं दिया गया जो मेरे हक बनता था।

विरोध के बीच कंपनी संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कुछ विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन से संबंधित एक विधेयक पेश किया। सदन में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सरकार गैर-समाधेय (नॉन कंपाउंडेबल) अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर करने पर विचार नहीं कर रही। आर्थिक मामलों में धोखाधड़ी समेत गंभीर जुर्म नॉन कंपाउंडेबल अपराध की श्रेणी में आते हैं जिनमें जुर्माना आदि देकर नहीं छूटा जा सकता।

जम्मू-कश्मीर में अभी 450 लोगों को जेलों में रखा गया है : केंद्र

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू-कश्मीर में इस समय लगभग 450 लोगों को विभिन्न जेलों में रखा गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में ए गणेशमूर्ति के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

उन्होंने जम्मू-कश्मीर सरकार से मिली सूचना के हवाले से बताया कि शांति और अमन-चैन भंग करने वाले अपराधों व राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने और लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पत्थरबाजों, शरारती तत्त्वों, सक्रिय अलगाववादियों आदि सहित लगभग 450 लोगों को इस समय एहतियातन हिरासत में लिया है।

पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि पर कांग्रेस, द्रमुक का बहिर्गमन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 मार्च।

कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के बजाय उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेस और द्रमुक सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार पर आम उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दोनों दलों के सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर सदन से वाकआउट किया।

शून्यकाल में सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह मामला उठाया कि कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद अब यह करीब 35 डालर प्रति बैरल हो गया है लेकिन इसका लाभ आम उपभोक्ता को देने के बजाय मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर करीब तीन रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

शाखा कार्यालयः एनआईटी-5, फरीदाबाद (नीलम सिनेमा हॉल के पीछे) टेली.: 0129-2415880, ईमेलः bo0167@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, एनआईटी फरीदाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित रूप में ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक/गारन्टर(रों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक, एनआईटी फरीदाबाद शाखा के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

ऋणधारक(कों)/गारन्टर(रों) का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण (स्वामी/मार्टगैजर का नाम)	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	मांग सूचना तिथि
ऋणधारकः मै. अग्रवाल प्रॉवीजन स्टोर, 222, मोरा मिल्स मैन मार्केट के सामने, बल्लभगढ़, हरियाणा, प्रॉप. रविन्दर कुमार, एच. नं. 222, मैन मार्केट, वार्ड नं. 7, बैना बारा, बल्लभगढ़, हरियाणा गारटरोंः 1) श्री शिवम गुप्ता 2) श्रीमती संगीता गुप्ता (गारन्टरों का सामूहिक पता) एच. नं. 222, मैन मार्केट, वार्ड नं. 7, बैना बारा, बल्लभगढ़, हरियाणा	बनिया बड़ा बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़ एवं जिला फरीदाबाद, माप 47.6 वर्ग यार्ड्स में स्थित सम्पत्ति सं. 222, वार्ड नं. 7 का ईएम जो रविन्दर कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश, एच. नं. 222, मैन मार्केट, वार्ड नं. 7, बनिया बाड़ा, बल्लभगढ़, हरियाणा	28.08.2019 को रु. 2656369.09 (रुपये छब्बीस लाख छप्पन हजार तीन सौ उन्हत्तर एवं पैसे नौ मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर लागत तथा ब्याज आदि	16.11.2019 कब्जा की तिथि 16.3.2020

तिथिः 18.3.2020, स्थानः फरीदाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

सिंडिकेट बैंक SyndicateBank

शाखा कार्यालय बल्लभगढ़, हरियाणा-121004
दूरभाष नं. : 0129-2300991,2211710,
ई-मेल : br.8220@syndicatebank.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) एवं 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत चल आस्तियों की बिक्री।

एतद्वारा जनसामान्य को विशेष रूप से कर्जदार/रों तथा जमानती/यों को सूचना दी जाती है कि सिंडीकेट बैंक के पास बंधक/प्रभारित नीचे उल्लिखित सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पहले ही भौतिक कब्जा कर लिया गया था, की बिक्री भावी ब्याज, प्रभारों तथा लागतों आदि सहित नीचे वर्णित प्रतिभूत लेनदार के नीचे वर्णित कर्जदारों तथा जमानतियों से बकायों की वसूली के लिए नीचे वर्णित के अनुसार ''जहाँ है जैसे है, जो कुछ है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर 17.04.2020 को की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि निम्नलिखित के अनुसार होगी :

कर्जदारों तथा जमानतियों का नाम तथा पता तिथि सहित बकाया राशि	चल आस्तियों का विवरण (स्वामी/बंधककर्ता का नाम)	आस्तियों का आरक्षित मूल्य जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी जमा करने हेतु खाता संख्या एवं आईएफएस कोड
कर्जदार : मैसर्स एस.एस. इंजीनियरिंग प्रोप. श्री संजय शर्मा पता : प्लॉट सं. 10, निकट डिस्पोजल गुरुद्वारा रोड, जवाहर कॉलोनी, फरीदाबाद (हरि.) 12.12.2019 तक रु. 52,81,906.69 (रुपये बावन लाख इक्यासी हजार नौ सौ छः एवं भुगतान की तिथि तक उनहत्तर पैसे मात्र) तथा भावी ब्याज एवं लागतें।	1. पॉवर प्रेस, 2. ड्रिल मशीन सीको, 3. ग्राइण्डर मशीन बीएमटी, 4. छोटा जनरेटर, 5. स्पॉट वेल्डिंग मशीन-वेल्डमैन कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स, 6. कटर डाइ, 7. पंखे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, ड्रम, टेबल, कूलर, औंजार आदि मिश्रित मदें। स्वामी/जमानती/बंधककर्ता : एस.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स	रु. 2,12,000/- रु. 21,200/- 15-04-2020 11:00 बजे पूर्वा. से 4:00 बजे अप.	खाता सं. 82203020000017 सिंडिकेट बैंक, बल्लभगढ़ शाखा आईएफएस कोड SYNB0008220

ई-नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नलिखित है :

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : **17.04.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.**
संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : **16.04.2020 को 4.00 बजे अप**
न्यूनतम संविदा वृद्धि राशि : **रु. 20,000/- के गुणक में**
ई-नीलामी वेबसाइट पता : **https://syndicatebank.auctiontiger.net**
बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.syndicatebank.in में प्रावधानित लिंक देखें।

तिथि : 18.03.2020 स्थान : बल्लभगढ़ — अधिकृत प्राधिकारी, सिंडीकेट बैंक

इण्डियन ओवरसीज बैंक

पंजाबी बाग शाखा (0687), 1/52, नॉर्थ एवेन्यू रोड, पंजाबी, नई दिल्ली-110026

सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के तहत कर्जदारों/बंधककर्ताओं/जमानतियों की माँग सूचना
स्थानः पंजाबी बाग, नई दिल्ली **तिथिः 06.03.2020**

क्र.सं.	कर्जदार	क्र.सं.	जमानती
1.	**सुश्री महिमा चौधरी** ए-2/53, दूसरी मंजिल, एलआईजी फ्लैट्स, प्रतीक अपार्टमेंट, दिल्ली-63	2.	अप्रयोज्य

प्रिय महोदय/ महोदया
संदर्भः इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाबी बाग शाखा में आपकी साख सुविधाएं
1. आप, हमारे बैंक के ऊपर नामित ऋणधारक ने हमारी पंजाबी बाग शाखा से निम्न साख सुविधाएं प्राप्त की हैंः
बकाए के साथ साख सुविधाओं का विवरण इस प्रकार हैः

क्र.सं.	साख का प्रकार	सीमा	ब्याज की दरें (ओवरड्यू ब्याज सहित) तथा रेस्ट्स	05.03.2020 तक कुल बकाया
1.	सावधि ऋण (चार पहिया) ऋण सं. 068703452000071	रु. 31,00,000/- (रुपये इकतीस लाख मात्र)	9.15%	रु. 32,45,298/- (रुपये बत्तीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ अट्ठानबे) अनडेबिटेड ब्याज + दण्डात्मक ब्याज (यदि कोई हो)
			कुल	रु. 32,45,298/- (रुपये बत्तीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ अट्ठानबे) अनडेबिटेड ब्याज + दण्डात्मक ब्याज (यदि कोई हो)

क्रम सं. 1 में सन्दर्भित नामधारी कर्जदार ने दिनांक 13.06.2019 को दृष्टिबंधक विलेख क्रियान्वित किया है और इसके द्वारा सहमत ब्याज, प्रभारों आदि सहित सकल साख सीमा हेतु कर्जदारों द्वारा इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी समय या उसके पश्चात किये गये व्ययों हेतु माँग पर गारंटी शुदा भुगतान तथा दायित्वों और देनदारियों के भुगतान निर्धारित किये गये।
नीचे वर्णित आस्तियों द्वारा साख सुविधाएँ दृष्टिबन्धक के माध्यम से प्रतिभूत की गयी थीं जो कर्जदार संख्या 1 के नाम पर है।
आपने समय-समय पर आपके द्वारा क्रियान्वित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से नीचे के लेन-देनों के तहत देनदारियों के विषय में सूचित किया।
2. उपरोक्त साख सुविधाओं के लिए बैंक के पक्ष में प्रतिभूतियों का विवरण इस प्रकार हैः

प्रतिभूति की प्रकृति	प्रतिभूतियों का विवरण
दृष्टिबन्धक	वाहन ऑडी ए-3 का दृष्टिबन्धक

3. स्वीकृत शर्तों के अनुसार मूलधन ऋण/ ब्याज के भुगतान में उपर्युक्त कर्जदारों द्वारा की गई चूक के उपरांत भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों तथा निर्देशों के अनुसार 30.11.2019 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि) को आपके ऋण खाता को गैर-प्रचालन संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। आपकी खाता को नियमित करने के लिए हमारे द्वारा आपको बार-बार स्मरण दिलाए जाने के बावजूद आपने उस पर ब्याज सहित अधिशेष ऋणों को पुनर्भुगतान नहीं किया है।
4. क्यूं कि क्रम सं. 1 में आप ऊपर नामित ऋणधारक ऊपर वर्णित विभिन्न प्रतिभूतियों के द्वारा विधिवत प्रतिभूत साख सुविधाओं के संदर्भ में देयताओं को पूरा करने में विफल रहे हैं तथा आपकी खाता का गैर-प्रचालन परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकरण के उपरांत हम एतद् द्वारा आप क्रम सं. 1 को दी गई अपनी अग्रिमों को वापस लेते हैं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत आपको सूचित करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ऊपर पैरा 1 में वर्णित रु. 32,45,298/- (रुपये बत्तीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ अट्ठानबे) + अनडेबिटेड ब्याज + दण्डात्मक ब्याज (यदि कोई हो) एवं उपर्युक्त तिथि से भावी ब्याज की कुल राशि का बैंक को भुगतान कर अपनी संपूर्ण देयताओं को निष्पादित करें।
5. उपर्युक्त नामधारी कर्जदार सं. 1 ने कर्जदारों द्वारा ली गयी साख सुविधाओं के लिए पुनर्भुगतान/गारंटी हेतु शपथ-पत्र दिया है तथा साथ ही उपर्युक्त कथित साख सुविधाओं को प्रतिभूत करने के लिए इसमें उल्लिखित सम्पत्तियों को भी दिया है। चूँकि कर्जदारों ने पुनर्भुगतान में चूक की है अतः कर्जदार/ बन्धककर्ता/ जमानती गारंटी के सन्दर्भ में बैंक के बकाया कुल ऋण/साख सुविधाएँ रु. 32,45,298/- (रुपये बत्तीस लाख पैंतालीस हजार दो सौ अट्ठानबे) + अनडेबिटेड ब्याज + दण्डात्मक ब्याज (यदि कोई हो) अदा करने के उत्तरदायी हैं और एतद्वारा हम सुश्री महिमा चौधरी के विरुद्ध जमानत का अवलम्ब करता है तथा इस सूचना की प्राप्ति की तिथि के साठ दिनों के भीतर कथित राशि अदा करने के लिए कहता है। कृपया परामर्श पर ध्यान दें कि जमानतियों का दायित्व कर्जदारों के दायित्व के साथ-साथ है।
5. हम श्री आदित्य शंकर एवं श्रीमती शालिनी (कर्जदार) को पुनः सूचित करते हैं कि भुगतान की तिथि तक ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ उक्त संपूर्ण राशि के भुगतान में विफल होने पर हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत हम कानून में निहित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेंगे।
6. हम सुश्री महिमा चौधरी को पुनः सूचित करते हैं कि ब्याज तथा प्रभारों आदि सहित उपर्युक्त राशि के भुगतान में असफल होने पर हम कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त सभी या किसी अधिकारों का उपयोग करेंगे।
7. कृपया ध्यान रहे कि ऋणधारक तथा गारंटर आगे के ब्याज तथा चार्जेज आदि के साथ बकाए का भुगतान करने के लिए पृथक अथवा संयुक्त रूप से कानूनी तौर पर उत्तरदायी हैं।
8. कृपया ध्यान रहे कि संपूर्ण भुगतान तक प्रत्येक साख सुविधाओं के लिए स्वीकृत दरों तथा रेस्ट्स पर ब्याज बढ़ती रहेगी।
9. आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (13) के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार हमारी पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण/ स्वत्व-त्याग/ स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली में शामिल प्रावधानों का गैर-अनुपालन/ उल्लंघन एक अपराध है जिसके लिए अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत कैद एवं/ अथवा जुर्माने का प्रावधान है।
10. क्रम सं. 1 पर सन्दर्भित कर्जदार ने ऋण को प्रतिभूत करने के लिए दृष्टिबन्धक विलेख क्रियान्वित किया है और इसलिए हम कर्जदारों को अपनी माँग के अनुसार बकायों का पुनर्भुगतान करने का परामर्श देते हैं क्योंकि हमें आपकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर अपने बकायों की वसूली के लिए आपसे अग्रिम का अलग से आह्वान करने, कानून के अनुसार तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है।
11. साथ ही, हम आप सभी को यह भी सूचित करते हैं कि यदि निर्धारित समय में खाता को नियमित नहीं किया गया/ बकाए का भुगतान नहीं किया गया तथा यदि भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा आपको जान-बूझकर चूककर्ता घोषित कर दिया गया तो बैंक को आपके नाम, पते, चूक के विवरणों, बकायों आदि के साथ वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध सभी उपायों को शुरू करने के अतिरिक्त भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार समाचार पत्र(त्रों) में
12. हम आपको यह भी सलाह देते हैं कि यह मांग सूचना पूर्वाग्रह-रहित है तथा इसे उक्त बकाए की वसूली के साथ ही साथ आप पर बकाया तथा आपके द्वारा देय राशि के संदर्भ में आगे पुनः मांग करने के किसी अन्य अधिकारों अथवा उपचारों के छूट के रूप में नहीं माना जाए।
13. पुनः आपका ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अधिकृत प्राधिकारी
इण्डियन ओवरसीज बैंक

कोरोना पर जागरूकता जरूरी : मिश्र

जयपुर : कोरोना वायरस को लेकर देश में राजस्थान का राजभवन भी पूरी तरह से सक्रिय होकर लगातार जागरूकता फैलाने में जुटा हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र का कहना है कि कोरोना वायरस को फैलाव से रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उनका कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। **(जनसत्ता ब्यूरो)**

सार्वजनिक उद्घोषणा

दिवाला तथा दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के साथ पठित विनियमन 31(2)

उजाला पम्प्स प्र.लि.- परिसमापन में (CIN: U29120DL1992PTC176351) के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) 2016 (''विनियमन'') के विनियमन 31 के अनुसार एतद्द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा कम्पनी के सभी शेयरधारकों के लिये जारी की जाती है कि कम्पनी के स्टेकधारकों की सूची 16 मार्च, 2020 को नई दिल्ली में माननीय एनसीएलटी, विशेष पीठ, कोर्ट II के पास दाखिल कर दी गई है। कोई भी शेयरधारक स्टेकधारकों की सूची प्राप्त करने के लिये ईमेल द्वारा परिसमापक से सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनेश सूद
(IBBI पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP/N00046 (2016-17/10091)
उजाला पम्प्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
यूजीएफ, 1/15, तिलक नगर (पीएनबी तिलक नगर के निकट, नई दिल्ली-110018
ईमेलः ujalapumps.liquidation@gmail.com

बिक्री सूचना

हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रॉलिंग्स लिमिटेडः परिसमापन में
परिसमापकः श्री काशी विश्वनाथन शिवरमण
परिसमापक का पता : ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
ई-मेल आईडीः assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, haridwar.iron@aaainsolvency.com
मो.: 8800865284, (श्री पुनीत सचदेव/ श्री वसीम)/ 011-46664619 (श्री हर्ष गुप्ता)
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री

ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 18 मार्च, 2020 को 3.00 बजे अप. से 7.00 बजे अप. तक (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

हरिद्वार आयरन एंड इस्पात रॉलिंग्स लिमिटेड (परिसमापन में) जो आदेश तिथि 17 सितम्बर, 2019 के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण प्रधान पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक के परिसमापन सम्पदा का भाग है, के स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री। यह बिक्री परिसमापक द्वारा ई-नीलामी प्लेटफार्म https://aaa.auctiontiger.net के द्वारा की जायेगी। **(आईएनआर)**

परिसम्पत्तियां	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धि मूल्य
प्लॉन्ट एवं मशीनरी, खसरा नं. 595, 596, 597, 602, 603, 608, 609 एवं 610,श्री सीमेन्ट के पीछे, ग्राम अकबरपुर ऊड, तहसील, लस्कर, जिलाः हरिद्वार	ए	5.58 करोड़	50 लाख	2 लाख

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:
1. ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता M/s mjunction Services. Limited (mjunction) के द्वारा ''जैसा है जहां है'' तथा ''जो भी वहां है'' आधार पर आयोजित होगी।
2. परिसम्पत्ति के विवरणों, ऑन-लाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, प्रतिज्ञापत्र, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाईटः www.mjunction.com पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री राजदीप दत्ता +91-8336925974, ज्योति शंकर नायक, 8336939633, rajdeep.datta@mjunction.in/ Jyoti.Nayak@mjunction.com, (यूआरएल लिंकः https://www.mjunction.com पर इस प्लेटफार्म पर जायें जहां ई-नीलामी में भाग लेने के लिये प्रत्येक बोलीदाता को विशिष्ट यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध कराई जायेगी।
3. अपनी बोली जमा करने से पूर्व इच्छुक बोलीदाताओं को अपने स्वयं के खर्चे पर सम्पत्ति के टाइटल, यदि कोई हो, स्थानीय करों के बकायों, बिजली एवं पानी के शुल्कों, रखरखाव शुल्कों, आदि परिसम्पत्तियों से संबंधित अपना स्वतंत्र जाँच कर स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिये। संभावित बोलीदाता श्री पुनीत सचदेव/श्री वसीमः +91-8800865284 से सम्पर्क कर पूर्व अनुमति के साथ साईट पर उपरोक्त सम्पत्तियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाताओं को ''हरिद्वार आयरन एंड इस्पात रॉलिंग्स लिमिटेड- परिसमापन में'', खाता नं. 7413364385, कोटक महिन्द्रा बैंक, आईएफएससी कोडः KKBK0000195, जी-5-13, प्लॉट नं. 1 एवं 2, बेसमेन्ट बी-4, लोकल शॉपिंग सेन्टर, पम्पोश एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश 1, नई दिल्ली-110048 के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक के डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा अथवा ''हरिद्वार आयरन एंड इस्पात रॉलिंग्स लिमिटेड-परिसमापन में'' के पक्ष में डीडी द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना होगा अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दिये गये रूप में प्रारूप ए अथवा प्रारूप बी में ईएमडी राशि का बैंक गारन्टी देना होगा।
5. इच्छुक बोलीदाता को 1) पहचान के प्रमाण, 2) वर्तमान पता- प्रमाण, 3) पैन कार्ड, 4) वैध ई-मेल आईडी, 5) लैंडलाइन एवं मोबाईल फोन नम्बर, 6) सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई शपथ-पत्र अथवा वचन की स्वतः सत्यापित प्रति के साथ ई-नीलामी में भागीदारी के लिये ईएमडी के साक्ष्य तथा भागीदारी के लिये अनुरोध पत्र जमा करना होगा। **ये सभी दस्तावेज 18.03.2020 के 12.00 बजे अप. से पूर्व नीचे दिये गये पते पर डाक या ई-मेल द्वारा परिसमापक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये। इच्छुक बोलीदाता को 13.03.2020 को 12.00 बजे अप. से पूर्व www.metaljunction.com पर ईएमडी जमा करने के विवरणों के साथ अपना केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा।**
6. पोर्टल (www.metaljunction.com) पर ई-नीलामी में भाग लेने के लिये योग्य बोलीदाता के नाम की पहचान परिसमापक द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता (mjunction) योग्य बोलीदाताओं को ई-मेल द्वारा यूजर आईडी तथा पास्वर्ड उपलब्ध करायेंगे।
7. यदि बोली ई-नीलामी की समापन समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो समापन समय असीमित विस्तारों के साथ स्वतः आगे पांच मिनट बढ़ जायेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया की समाप्ति पर उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उन्हें इस आशय की सूचना दी जायेगी जो परिसमापक द्वारा स्वीकृति के अधीन होगा।
8. सफल बोलीदाता की ईएमडी बिक्री मूल्य के भाग के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस लौटा दी जाएगी। **ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी।** परिसमापक सफल बोलीदाता के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे तथा सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी करने के 30 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि-ईएमडी) का भुगतान करना होगा। एलओआई में वर्णित समय-सीमा में सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि के भुगतान में चूक करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई संपूर्ण राशि (ईएमडी+अन्य कोई राशि) जब्त कर ली जाएगी।
9. सफल बोलीदाता को लागू होने वाले स्टाम्प शुल्कों/ अंतरण चार्ज, शुल्क आदि तथा अन्य सभी स्थानीय करों, शुल्कों, रैट्स, गणना चार्जेज, नीलामी की संपत्ति से संबंधित शुल्कों आदि का वहन करना होगा।
10. परिसमापक को उसका कोई भी कारण बताए बिना किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने अथवा ई-नीलामी को स्थगित/रद्द/निलम्बित करने तथा सम्पत्ति अथवा उसके किसी भी भाग को ई-नीलामी से वापस लेने का अधिकार है।
11. सम्पूर्ण बिक्री राशि के भुगतान पर केवल सफल बोलीदाता के नाम में ही बिक्री प्रमाणपत्र/ अनुबंध जारी की जाएगी तथा अन्य किसी नाम में नहीं।
12. यह बिक्री दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के प्रावधानों के अधीन होगी।
13. यदि एक से अधिक बोलीदाता ईएमडी जमा नहीं करते हैं तो परिसमापक को स्टेकधारकों से परामर्श कर नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने का सम्प्रभु अधिकार होगा।
14. कम्पनी के व्यवसाय तथा प्रचालनों का ड्यू डिलिजेन्स करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं को परिसमापक के माध्यम से कार्यरत कम्पनी द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित डैटा रूम (''डैटा रूम'') में प्रवेश दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलामी की तिथि तक डैटा रूम में जानकारी की एक्सेस दी जाएगी। इच्छुक बोलीदाता द्वारा डैटा रूम में एक्सेस तथा जानकारी का उपयोग समय-समय पर परिसमापक द्वारा निर्धारित की जाने वाली नियमों के अनुसार की जा सकेगी।

ई-नीलामी तिथि एवं समयः 18 मार्च, 2020, 3.00 बजे अप. से (5 मिनट के असीमित विस्तारों के साथ)

श्री काशी विश्वनाथन शिवरमण
हरिद्वार आयरन एण्ड इस्पात रॉलिंग्स लिमिटेड के मामले में परिसमापक
IBBI (पंजी.सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-18/11497)
तिथिः 16.3.2020
स्थानः दिल्ली
पताः ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-110048
assetsale1@aaainsolvency.in, assetsale2@aaainsolvency.in, sivarita68@yahoo.com
सम्पर्क व्यक्तिः 8800865284 (श्री पुनीत सचदेव/ श्री वसीम)

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,
1. मैसर्स हिन्दुस्तान ऑटो ट्रेडिंग
इसके साझेदार अंकित अरोड़ा, करन अरोड़ा के माध्यम से
दुकान नं. 13, सिटी होटल, बेसमेंट, बी.एन. रोड, लाल बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001, मोबाइल : +91-9616499999
साथ ही : 510/196-2, एलआईसी ऑफिसर्स क्वार्टर्स, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226007
साथ ही : 508/38, आरबीएल रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उ.प्र.
2. करन अरोड़ा
पुत्र एन.पी. अरोड़ा
दुकान नं. 13, सिटी होटल, बेसमेंट, बी.एन. रोड, लाल बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001, मोबाइल : +91-7388824988
साथ ही : फ्लैट सं. 403 एवं 404, शालीमार अपार्टमेंट, प्राग नारायण रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
साथ ही : लीज होल्ड पर निर्मित मकान, प्लॉट सं. 524/12 निगम सं. 510/196-2, एटीटीजी, न्यू सिविल लाइन्स स्कीम जिसे न्यू हैदराबाद लखनऊ भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश-226007
साथ ही : 510/196-2. एलआईसी ऑफिसर्स क्वार्टर, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226007
3. अंकित अरोड़ा
पुत्र एन.पी. अरोड़ा
दुकान नं. 13, सिटी होटल, बेसमेंट, बी.एन. रोड, लाल बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001, मोबाइल : +91-7388824988
साथ ही : फ्लैट सं. 403 एवं 404, शालीमार अपार्टमेंट, प्राग नारायण रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
साथ ही : लीज होल्ड पर निर्मित मकान, प्लॉट सं. 524/12 निगम सं. 510/196-2, एटीटीजी, न्यू सिविल लाइन्स स्कीम जिसे न्यू हैदराबाद लखनऊ भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश-226007

प्रिय श्रीमान/मैडम,
31.08.2017 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत भावी ब्याज सहित 12.03.2020 तक ऋण खाता सं. 7779259 में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात ''टीसीएफएसएल'' सन्दर्भित) का रु. 1,02,24,709.03/- (रुपये एक करोड़ दो लाख चौबीस हजार सात सौ नौ एवं तीन पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन के बावजूद अपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार टीसीएफएसएल के बकायों में चूक के चलते 9 अप्रैल, 2019 को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपको भावी ब्याज एवं लागत सहित रु. 1,02,24,709.03/- (रुपये एक करोड़ दो लाख चौबीस हजार सात सौ नौ एवं तीन पैसे मात्र) के कथित ऋण का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 12.03.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत वर्णित समस्त या किन्हीं अधिकारों का उपयोग नीचे वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

टी.जी. न्यू सिविल लाइन्स स्कीम, जिसे न्यू हैदराबाद भी कहते हैं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित लीज होल्ड प्लॉट सं. 524/12 (निगम सं. 510/196-2) पर निर्मित मकान, माप लगभग 1250 वर्ग फीट अर्थात 116.17 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 23.06.2014 में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित, अंकित अरोड़ा एवं करन अरोड़ा के पक्ष में क्रियान्वित, बुक सं. 1, जिल्द सं. 15468, पृष्ठ 267 से 306, क्रम सं. 10094 दिनांक 23.06.2014 में कार्यालय उपरजिस्ट्रार-II, लखनऊ में पंजीकृत। सम्पत्ति की सीमाएँ :
पूर्व : 20 फीट रोड
पश्चिम : 6 फीट चौड़ी लेन
उत्तर : प्लॉट सं. 524/11
दक्षिण : प्लॉट सं. 524/13

चूँकि आप लाभ हेतु जिस मूल पते पर निवास/व्यापारिक कार्य/व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस पर 12.03.2020 को भेजी गयी सूचना सर्व नहीं हुई, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देयताएँ अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीएसएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। आप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी विधि से अन्तरित नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 18.03.2020 — टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

अनुसूची II

प्रपत्र बी
सार्वजनिक उद्घोषणा
(भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 12 के अंतर्गत)

यू वी एक्स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**यू वी एक्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	12.2.2014
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U51909DL2014PTC264761
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालयः यू वी एक्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड जेए-809, 8वाँ तल, डीएलएफ टावर-ए, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नई दिल्ली-110025
6.	इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया समापन की तिथि	14.4.2020
7.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का परिसमापन शुरू होने की तिथि	11.3.2020 (माननीय एनसीएलटी आदेश तिथि 11.3.2020, दिनांक 16.3.2020 को प्राप्त हुई)
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नामः श्री राजेश कुमार गुप्ता पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308
9.	बोर्ड में पंजीकृत परिसमापक का पता तथा ईमेलः	पताः एफ-43, दिलशाद कॉलोनी ईस्ट, दिल्ली-110095 ईमेलः rgadv21@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पताः जी-22, निम्न भूतल, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014 ईमेलः uvepl.liquid@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	10.4.2020

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, (नई दिल्ली पीठ, कोर्ट II) ने 11.3.2020 को (किन्तु उक्त आदेश परिसमापक को 16.3.2020 को प्राप्त हुई) भारत दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 की धारा 33 के अंतर्गत यू वी एक्स्पोर्ट्स प्रा.लि. का परिसमापन शुरू करने का आदेश दिया है।
एतद्द्वारा यू वी एक्स्पोर्ट्स प्रा. लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 10 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 10.04.2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स प्रमाण के साथ व्यक्तिगत या डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जायेगा।

हस्ता./-
श्री राजेश कुमार गुप्ता
परिसमापक
तिथिः 16.03.2020 **मै. यू वी एक्स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड**
स्थानः दिल्ली IBBI/IPA-003/IP-N00198/2018-2019/12308

फार्म जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

{दिवाला तथा दिवालिया (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 36ए (1) के अंतर्गत}

संबंधित विवरण

1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	**शर्मा कैलिप्सो प्राईवेट लिमिटेड**
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	9.4.2019
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत हैं	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत
4.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U45400DL2009PTC189270
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	16सी, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली-110057, भारत
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	2.1.2020
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि	17.3.2020
8.	संहिता की धारा 25(2) (एच) के अंतर्गत प्रस्ताव आवेदकों की पात्रता उपलब्ध हैः	विवरण skpl.cirp2019@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
9.	धारा 29ए के अंतर्गत लागू होने वाले अयोग्यता का मानक उपलब्ध है।	विवरण skpl.cirp2019@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	1.4.2020*
11.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अस्थाई सूची जारी होने की तिथि	7.4.2020
12.	अस्थाई सूची के प्रति आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि	12.4.2020
13.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों की अंतिम सूची जारी होने की तिथि	22.4.2020
14.	संभावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजना के लिये सूचना मेमोरैण्डम, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा अनुरोध जारी होने की तिथि	12.4.2020
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना मेमोरैण्डम तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने का तरीका	क्रम सं. 8 के अनुसार योग्य संभाविा प्रस्ताव आवेदकों एवं नान-डिस्क्लोजर एग्रीमेन्ट/वचन निष्पादित करने के बाद ईमेल द्वारा अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में प्राप्त कर सकते हैं।
16.	प्रस्ताव योजना जमा करने की अंतिम तिथि	22.05.2020
17.	प्रस्तावकर्मी के पास प्रस्ताव योजना जमा करने का तरीका	मुहरबंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा हाथों-हाथ जिसके बाद ईमेल संपुष्टि की जायेगी।
18.	स्वीकृति के लिये निर्णायक प्राधिकरण के पास प्रस्ताव योजना जमा करने की अनुमानित तिथि	01.06.2020
19.	प्रस्ताव कर्मी का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नवजीत सिंह पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00314/2017-18/10578
20.	बोर्ड में यथा-पंजीकृत प्रस्ताव कर्मी का नाम, पता तथा ई-मेल	नवजीत सिंह 218-ए, 1ला तल, शॉप नं. 4, रामा मार्केट, पीतमपुरा, नई दिल्ली, ईमेलः navjit92ca@gmail.com
21.	प्रस्ताव कर्मी के साथ पत्राचार के लिये प्रयोग करने के लिये पता तथा ईमेल	नवजीत सिंह 903-906, 9वाँ तल, टावर-सी, यूनीटेक बिजनेस जोन, निर्वाणा कन्ट्री, सेक्टर-50, गुरुग्राम, हरियाणा-122018 ई-मेलः skpl.cirp2019@gmail.com
22.	विस्तृत विवरण उपलब्ध हैं	विवरण skpl.cirp2019@gmail.com पर ई-मेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है।
23.	फार्म जी के प्रकाशन की तिथि	17.03.2020

हस्ता./-
नवजीत सिंह
मानद अंतरिम प्रस्ताव कर्मी
शर्मा कैलिप्सो प्राईवेट लिमिटेड के मामले में
आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00314/2017-18/10578
ई-मेलः skpl.cirp2019@gmail.com

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

TATA 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,
1. नछतर सिंह पुत्र श्री गुरदीप सिंह, मकान नं. 2160, आशियाना सोसाइटी, सेक्टर 48-सी, चण्डीगढ़-160047, मोबाइल : +91-9569380028/9464773900
साथ हीः मकान नं. 9, ग्राम सादनपुर, पोस्ट जटवर, तहसील-नरायनगढ़, अम्बाला-134201
साथ हीः प्लॉट/ एससीएफ सं. 1, ओल्ड कालका रोड, पुलिस चौकी रोड, ग्राम लोहागढ़, सामने वाटर टैंक, एनएसी जिरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब-140603
2. करम सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, मकान नं. 2140, आशियाना एन्कलेव, सेक्टर 48-सी, बुरैल, चण्डीगढ़-160047, मोबाइलः +91-9569380028
साथ हीः मकान नं. 9, ग्राम सदनपुर, पोस्ट जटवर, तहसील-नरायनगढ़, अम्बाला-134201.
साथ हीः प्लॉट/एससीएफ सं. 1, ओल्ड कालका रोड, पुलिस चौकी रोड, ग्राम लोहागढ़, सामने वाटर टैंक, एनएसी जिरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब-140603
साथ हीः मकान नं. 2188, सेक्टर-79, मोहाली, पंजाब-160 055.
साथ हीः सामने नॉर्थ सेंचुरी मॉल, मेन रोड, खरार से चण्डीगढ़ रोड, खरार, पंजाब-140 301.
3. श्रीमती करमजीत कौर, मकान नं. 2160, आशियाना सोसाइटी, सेक्टर 48-सी, चण्डीगढ़-160047
साथ हीः मकान नं. 4, ग्राम सदनपुर, पोस्ट जटवर, तहसील-नरायनगढ़, अम्बाला-134201.
साथ हीः प्लॉट/एससीएफ सं. 1, ओल्ड कालका रोड, पुलिस चौकी रोड, ग्राम लोहागढ़, सामने वाटर टैंक, एनएसी जिरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब-140603
4. श्रीमती मंजीत कौर, मकान नं. 2160, आशियाना सोसाइटी, सेक्टर 48-सी, चण्डीगढ़-160047
साथ हीः मकान नं. 9, ग्राम सदनपुर, पोस्ट जटवर, तहसील-नरायनगढ़, अम्बाला-134201.
साथ हीः प्लॉट/एससीएफ सं. 1, ओल्ड कालका रोड, पुलिस चौकी रोड, ग्राम लोहागढ़, सामने वाटर टैंक, एनएसी जिरकपुर, जिला मोहाली, पंजाब-140603
साथ हीः मकान नं. 2188, सेक्टर-79, मोहाली, पंजाब-160 055.

प्रिय श्रीमान/ मैडम,
20.07.2015 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत भावी ब्याज सहित 11.03.2020 तक ऋण खाता सं. 5087454 में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात ''टीसीएफएसएल'' सन्दर्भित) का रु. 78,37,924.11/- (रुपये अठहत्तर लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौबीस एवं ग्यारह पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन के बावजूद अपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार टीसीएफएसएल के बकायों में चूक के चलते 7 जनवरी, 2020 को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपको भावी ब्याज एवं लागत सहित रु. रु. 78,37,924.11/- (रुपये अठहत्तर लाख सैंतीस हजार नौ सौ चौबीस एवं ग्यारह पैसे मात्र) के कथित ऋण का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 12 मार्च, 2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत वर्णित समस्त या किन्हीं अधिकारों का उपयोग नीचे वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

ग्राम लोहागढ़, हदबस्त सं. 46, एमसी जिरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर, मोहाली, माप 4 मरला, 7 सरसाही अर्थात 145 वर्ग गज पर स्थित खसरा नं. 1//24/2/2 (2-11), 4/13 (3-5), 4(6-2), 7(4-3), 8/2/217 (4-13), 13/1/8 (0-2), 14/1 (0-12), 26/1 (0-6), कित्ते 8 में निर्मित खेवट/ खतौनी सं. 47/49 का वाणिज्यिक प्लॉट, विक्रय विलेख दिनांक 16.02.2011 में अधिक स्पष्ट रूप से वर्णित, करम सिंह नछतर सिंह के पक्ष में क्रियान्वित, सम्पत्ति की सीमाएँः
पूर्वः खाली प्लॉट, पश्चिमः निर्मित
उत्तरः पार्किंग एवं रोड दक्षिणः सड़क

चूँकि आप लाभ हेतु जिस मूल पते पर निवास/ व्यापारिक कार्य/ व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस पर 12 मार्च, 2020 को भेजी गयी सूचना सर्व नहीं हुई, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देयताएँ अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीएसएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। आप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी विधि से अन्तरित नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली **अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 18.03.2020 **कृते टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

www.readwhere.com

फोर्ड और वॉल्वो कार्स ने दी अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

वाहन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर भारत के 10 हजार कर्मचारियों को घर से काम करने को कहा है। वॉल्वो कार इंडिया ने भी कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से घर से काम करने की सहूलियत देने की घोषणा की।

फोर्ड के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के हालिया दिनों के आकलन से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले के अलग दिशा में बढ़ जाने का पता चलता है। कंपनी लोगों को सुरक्षित रखने और अपने आसपास कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठा रही है। इसलिए फोर्ड इंडिया एंड ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज समेत 10 हजार से अधिक कर्मचारियों को सोमवार से (16 मार्च से) घर से काम करने को कहा गया है। यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी, जिनका काम कंपनी के संयंत्रों में आए बिना हो ही नहीं सकता है।

इससे पहले एक अन्य वाहन कंपनी वॉल्वो भी इसी तरह की घोषणा कर चुकी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि परिचालन जारी रखने के लिए जरूरी सूचना प्रौद्योगिकी संरचना की व्यवस्था कर दी गई है। तय बैठकें माइक्रोसॉफ्ट टीम या स्काइप के जरिए होंगी। कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों को संक्रमण से रोकने के लिए फरवरी में ही सारी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्राएं रद्द कर दी गई थीं। पिछले कुछ दिन में देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सौ के पार हो गई है।

शेयर बाजारों में गिरावट जारी सूचकांक 811 अंक गिरा

मुंबई, 17 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था के मंदी की तरफ बढ़ने की आशंका गहराती जा रही है। इसका असर शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव के रूप में दिख रहा है। इसी माहौल में मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में शुरुआती सुधार के बाद अंत में ढाई फीसद से अधिक की गिरावट रही।

आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के सरकारों और केंद्रीय बैंकों के नए कदमों के बावजूद कोरोना वायरस के कारण उथल-पुथल से बाजार का विश्वास डिग रहा है। विदेशी पूंजी की निकासी बढ़ने और रुपए की नरमी का भी बाजार के मनोबल पर असर बताया जा रहा है। बंबई शेयर बाजार का सूचकांक दिन में ज्यादातर समय बढ़त में रहने के बाद अंतिम समय में हुई जबरदस्त बिकवाली के कारण 810.98 अंक गिरकर 30,579.09 अंक पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी भी 230.25 अंक गिरकर 8,967.05 अंक पर आ गया। यह मार्च 2017 के बाद पहली बार हुआ है जब निफ्टी नौ हजार अंक के स्तर से नीचे आ गया है। कारोबारियों ने कहा कि विदेशी निवेशकों की निकासी जारी रहने और रुपए की नरमी बरकरार रहने का भी घरेलू शेयर बाजारों पर दबाव रहा।

सूचकांक की कंपनियों में आइसीआइसीआइ बैंक में सर्वाधिक 8.95 फीसद की गिरावट रही। इसके साथ ही इंडसइंड बैंक में 8.89 फीसद, बजाज फाइनेंस में 6.26 फीसद, कोटक महिंद्रा बैंक में 4.53 फीसद, एचडीएफसी में 4.74 फीसद और इन्फोसिस में 4.68 फीसद की गिरावट रही। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो मोटोकॉर्प, पावरग्रिड, मारुति सुजुकी और एशियन पेंट्स के शेयरों में तेजी रही। कारोबारियों ने कहा कि शुरुआत में सस्ते भाव पर निवेशकों की खरीदारी होने से शेयर बाजारों को तेजी मिली। हालांकि, शेयर बाजार इस तेजी को बचा नहीं सके और कोरोना वायरस के कारण आर्थिक मंदी की आशंका में लुढ़क गए।

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि दिन में ज्यादातर समय बढ़त में रहने के बाद कारोबार के अंतिम समय में शेयर बाजार गिर गए। वित्त क्षेत्र की कंपनियों में सर्वाधिक बिकवाली हुई। यूरोपीय बाजार और अमेरिका बाजार ने धारणा को और बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कहर से निजात मिलने के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतिगत उपायों का सीमित असर हो पा रहा है। ऐसे में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अधिक कदम उठाने की जरूरत है। बीएसई के बैंकिंग, वित्त, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और रीयल्टी समूह में 4.46 फीसद तक की गिरावट रही।

येस बैंक में एसबीआइ अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49 फीसद करेगा

मुंबई, 17 मार्च (भाषा)।

अधिसूचित पुनर्गठन योजना के तहत आज शाम 6 बजे तक हट जाएगी येस बैंक पर लगी पाबंदी। इसके बाद सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे बैंक के ग्राहक।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) दूसरे दौर के पूंजी समर्थन में येस बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 42 फीसद से बढ़ाकर 49 फीसद करेगा। एसबीआइ के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि स्टेट बैंक के पास येस बैंक के जो भी शेयर हैं, उसमें से तीन साल की तय बंधक अवधि से पहले एक भी शेयर नहीं बेचा जाएगा। वित्तीय संस्थानों से समर्थन योजना के तहत येस बैंक ने एसबीआइ समेत आठ वित्तीय संस्थानों से 10,000 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। इसमें एसबीआइ से उसे 6,050 करोड़ रुपए मिले हैं।

इसी बीच, येस बैंक के नामित मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा कि नकदी के मोर्चे पर वास्तव में कोई समस्या नहीं है और बैंक का पूरा कामकाज बुधवार की शाम से सामान्य हो जाएगा। कुमार ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि हमने पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए हैं। हमारे सभी एटीएम नकदी से भरे हैं। इसीलिए येस बैंक की तरफ से नकदी के मोर्चे पर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नकदी के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने जमाकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उन्हें अपनी जमा राशि को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि रोक हटने के बाद बैंक के सभी ग्राहक बैंक की पूरी सुविधाएं का लाभ उठा सकेंगे।

रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को अधिसूचित पुनर्गठन योजना के तहत यह पाबंदी 18 मार्च को शाम 6 बजे तक हट जाएगी। कुमार के अनुसार येस बैंक के केवल एक तिहाई ग्राहकों ने ही अपने खातों से 50,000-50,000 रुपए तक की निकासी की। पुनर्गठन योजना के बारे में कुमार ने कहा कि सरकार, आरबीआइ और अन्य वित्तीय संस्थानों के समर्थन से बैंक में संकट को 13 दिनों के भीतर दूर कर लिया गया।

भारतीय कंपनियों का विदेशों में निवेश फरवरी में 2.37 अरब डॉलर रहा

मुंबई, 17 मार्च (भाषा)।

घरेलू कंपनियों का विदेशों में निवेश फरवरी 2020 में 2.37 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी महीने में भारत की कंपनियों ने 2.36 अरब डॉलर का निवेश किया था। इस साल जनवरी में घरेलू कंपनियों ने अपनी विदेशी इकाइयों (संयुक्त उद्यम/पूर्ण अनुषंगी इकाइयों) में 2.23 अरब डॉलर का निवेश किया था।

आउटवार्ड फोरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ओएफडीआइ) के आंकड़े के अनुसार इस साल फरवरी में कुल निवेश 1.16 अरब डॉलर कर्ज के रूप में, 67.017 करोड़ डॉलर गारंटी के रूप में जबकि शेष 53.87 करोड़ डॉलर इक्विटी के जरिए निवेश किए गए। जिन कंपनियों ने निवेश किया, उनमें भारती एअरटेल और टाटा स्टील शामिल हैं।

भारती एअरटेल ने मारीशस में अपनी पूर्ण अनुषंगी में 97.892 करोड़ डॉलर किया। टाटा स्टील ने सिंगापुर में अपनी अनुषंगी में 16.219 करोड़ डॉलर और टाटा इंटरनेशनल ने 11.299 करोड़ डॉलर सिंगापुर में अपनी पूर्ण अनुषंगी इकाई में निवेश किए। कैलीज इन्फ्रास्ट्रक्चर ने ब्रिटेन में अपनी पूर्ण अनुषंगी में 8.112 करोड़ डॉलर का निवेश किया।

आरबीएल बैंक ने दोहराई वित्तीय स्थिति ठोस होने की बात

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

आरबीएल बैंक ने वित्तीय स्थिति को लेकर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है और कहा है कि उसकी स्थिति मजबूत है, उसके पास पर्याप्त पूंजी है, मुनाफे में है और उसकी संचालन व्यवस्था सशक्त है।

बैंक ने मंगलवार को कहा कि वित्तीय हालत और मजबूती को लेकर फैलाई जा रही अफवाहें तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। यह जान-बूझकर किया जा रहा है। इस बैंक ने पिछले हफ्ते भी अपनी स्थिति को लेकर बयान जारी किया था। बैंक ने कहा था कि उसके पास पर्याप्त पूंजी है और उसकी संपत्ति की गुणवत्ता में कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं हुआ है।

बैंक ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि बाजार में बड़े स्तर पर फैलाई जा रही अफवाहों और कयासों को देखते हुए हम 11 मार्च, 2020 के बयान को दोहराना चाहते हैं और फिर कहना चाहते हैं कि आरबीएल बैंक वित्तीय तौर पर मजबूत है, पूंजी से पूरी तरह लैस है, मुनाफे में है और हमारी संचालन व्यवस्था अच्छी है। बैंक ने सभी शेयरधारकों को ग्राहकों से कहा है कि वे इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दें।

डालर के मुकाबले रुपया तीन पैसे गिर कर 74.28 पर

मुंबई, 17 मार्च (भाषा)।

घरेलू रुपए की विनिमय दर उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में मंगलवार को तीन पैसे टूट कर 74.28 रुपए/डालर (अस्थायी) पर बंद हुई। शेयर बाजारों में भारी गिरावट जारी रहने और प्रतिभूतियों में लगी विदेशी पूंजी की निकासी तेज होने का असर रुपए की दर पर भी पड़ा है।

अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया 74.16 पर मजबूत खुला। दिन में एक समय रुपए की विनिमय दर 73.86 तक चढ़ गई थी। लेकिन रुपए की मजबूती बरकरार नहीं रही और एक समय डालर का भाव बढ़ कर 74.32 तक चला गया था। अंत में स्थानीय मुद्रा की दर पिछले बंद से तीन पैसे गिरकर 74.28 रुपए प्रति डालर रही। सोमवार को विनिमय दर 74.25 पर बंद हुई थी।

SBI
इंटरनेट बैंकिंग विभाग, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र

कृपया "वेब/मोबाइल पेजेज/स्क्रीन्स परफॉर्मेन्स मॉनिटरिंग के लिए सेवाओं की प्राप्ति" दिनांक 02.03.2020 के लिए आरएफपी सं. SBI/GITC/CGM(C&O)/INB/2020/691 दिनांक 02.03.2020 का संदर्भ लें. बोली- पूर्व पूछताछों पर बैंक के प्रतिसाद तथा **शुद्धिपत्र** को अपलोड किया गया है तथा इन्हें बैंक की वेबसाइट **https://www.sbi.co.in** पर 'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज' के अंतर्गत देखा जा सकता है.
बोलियां जमा कराने की अंतिम तिथि तथा समय : 31.03.2020 को दोपहर 3:00 बजे तक.
स्थान: नवी मुंबई — हस्ताक्षर
दिनांक: 18/03/2020 — उप महाप्रबंधक (इंटरनेट बैंकिंग विभाग)

BHARAT NIDHI LIMITED
Regd. Off: 1st Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone No. 011-43562982,
E-Mail ID:- bharatnidhi1@gmail.com Website :- www.bharatnidhi.com
CIN No. U51396DL1942PLC000644

NOTICE is hereby given that the following Shareholders of the Company holding fully paid up equity shares of Rs. 10/- each of the Company, has reportedly lost their respective Share Certificates and application has been made to the Company by them/their legal heir to issue duplicate share certificates:

Name of the Shareholder	Father/ Husband's Name	No. of Shares held	Folio No.
Amar Nath	Late Nand Lal	71	434
Late Sita Ram Jain	Late Sant Lal Jain	50	3384
Late Ladhu Ram	Late Vishan Das Kapoor	100	13018

Any person, who has a claim in respect of the said equity shares, should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from the date of issue of this notice, else the Company will proceed to issue duplicate certificates without further intimation.
For Bharat Nidhi Limited
Sd/-
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: March 17, 2020

फार्म संख्या INC - 25A
सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए विज्ञापन
कॉरपोरेट मामलों के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक मंत्रालय से पहले
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में
तथा
ACUMEN EDUCATION LIMITED d/s G-7 MODEL TOWN - III, NEW DELHI DL 110009 IN में अपना पंजीकृत कार्यालय होने के मामले में, जनसाधारण को आवेदक द्वारा सूचित किया जाता है कि बृहस्पतिवार, दिनांक 20 फरवरी, 2020 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपर्युक्त नियमों के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 14 के अंतर्गत कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने का इरादा है जिससे कंपनी का रूपांतरण प्रभावी हो सके। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस को कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तित स्थिति से उसके हितों को प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हितों और संबंधित विरोध का आधार बताते हुए हलफनामे के समर्थन से क्षेत्रीय निदेशक (बी-2 विंग, दूसरी मंजिल पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली- 110003) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को कॉपी प्रेषित करते हुए नीचे दिए गए पते पर अपनी आपत्तियां पंजीकृत डाक से पहुंचा या भेज सकते हैं।
ACUMEN EDUCATION LIMITED
के लिए और आवेदक की ओर से
हस्ता/-
अभिषेक आर्या DIN : 00755920 — दिनांक : 20.02.2020
एच - 1/2, मॉडल टाऊन - III, दिल्ली भारत - 110009. — स्थान : दिल्ली

UPSIDA — कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक, विद्युत खण्ड-द्वितीय
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ट्रान्स दिल्ली सिग्नेचर सिटी, गाजियाबाद के अपैरल पार्क में स्थित 6.0 एम.एल.डी. सीईटीपी प्लांट के संचालन हेतु 625 केवीए डी.जी. सेट की आपूर्ति एवं इन्सटालेशन कार्य हेतु डी.जी. निर्माता एजेन्सी एवं उनके द्वारा अधिकृत सप्लायर्स से रू0 63.00 लाख की धनराशि की अल्पकालीन ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 19.03.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से 26.03.2020 को सायं 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं। जिन्हें दिनांक 27.03.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। निविदा दाताओं द्वारा शपथ पत्रों की मूल प्रतियां दिनांक 30.03.2020 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय में जमा की जा सकती हैं। निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी निगम की **website: www.upsidc.com** पर स्थित ई-लिंक एवं यूपीएलसी की **website: http://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है।
प्रबन्धक, विद्युत खण्ड-प्रथम
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, गाजियाबाद

ब्रिज एंड रूफ कं. (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का एक उपक्रम)
CIN : U27310WB1920GOI003601
"कंकड़िया सेंटर", (4था एवं 5वां तल), 2/1 रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71
ई-निविदा आमंत्रण सूचना/ ईएनआईटी/ निविदा नं.: बी एंड आर/ एचओ/ ब्रिज-300 एम/ 51183/ उत्तराखंड/ ईपीसी- एनआईटी/01
"ईपीसी अनुबंध आधार पर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), उत्तराखंड सरकार, देहरादून, उत्तराखंड के लिये ग्राम नौगल, उत्तराखंड होते हुए पीरन कलियार से रामपुर चुंगी मंडी तक बाई-पास रोड (लगभग 2 कि.मी. लम्बाई) के साथ 300 एम स्पैन ब्रिज के निर्माण" कार्य के लिये निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रख्यात, साधन-संपन्न तथा अनुभवी पार्टियों से दो भाग बोली प्रणाली में ऑनलाइन लम्पसम दर बोलियां/ प्रस्ताव आमंत्रित है।
इच्छुक बोलीदाता को सरकार की ई-प्रॉपण प्रणाली में सूचीकरण एवं पंजीकरण कराना होगा तथा http://eprocure.gov.in पर लॉगिंग के माध्यम से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करना होगा।
शुद्धिपत्र/ संवर्धन, यदि कोई हो कंपनी की वेबसाईट http://www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टलः http://eprocure.gov.in पर ही प्रकाशित की जाएगी।
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथिः 7.4.2020 को या उससे पूर्व।

सार्वजनिक सूचना
यह सूचना सर्वसाधारण को मेरे क्लाइंट एचडीएफसी लिमिटेड की ओर से दी जा रही है जिन्होंने श्री अंबिकेश शुक्ला और श्री फरेंद्र नाथ शुक्ला की प्रॉपर्टी – फ्लैट नंबर 1811, 8 वीं मंजिल (छत अधिकार के बिना), दिव्यांश प्रथम, मोहिउद्दीनपुर, कनवानी, गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) गिरवी रख कर उन्हें ऋण प्रदान किया। मेरे क्लाइंट एचडीएफसी लिमिटेड के संज्ञान में यह आया है कि प्रॉपर्टी के ओरिजनल डॉक्युमेंट अर्थात् श्री अंबिकेश शुक्ला और श्री फरेन्द्र शुक्ला के पक्ष में तैयार 30.07.2014 दिनांकित बिक्री करार (बतौर 30.07.2014 दिनांकित डॉक्युमेंट नंबर 7487 पंजीकृत) गुम हो गया है। इस सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण से अपील की जाती है कि जिसे भी कथित डॉक्युमेंट मिले कृपया शाखा प्रबंधक, एचडीएफसी लिमिटेड, द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्म मार्ग, नई दिल्ली-110067 को वापस लौटा दें।
ऋषभ साहू (सलाहकार)
साहू एंड कंपनी
96, लॉयर्स चैंबर
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
नई दिल्ली -110003
दिनांक: 17 मार्च, 2020
स्थान: नई दिल्ली

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (वित्तीय सेवाएं विभाग)
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248171
प्रकाशन सूचना
IN O.A. No. 22 of 2020
ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमों 1993 के नियम 12 व 13 के साथ, पठित बैंक एवं वित्तीय संस्थान अधिनियम 1993 के अनुसार देय ऋण की वसूली की धारा 19(4) के तहत सूचना।
डीवाई.नं. 197 — दिनांक : 16.03.2020
एक्सिस बैंक लिमिटेड बनाम शिव सिंह एवं अन्य
सेवा में,
1. **शिव सिंह**, पुत्र मुखेश सिंह, निवासी ग्राम बिक्रमपुर (राना फार्म), तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-262401
2. **रूपिन्द्र कौर**, पत्नी राना महेन्द्र जीत सिंह, निवासी ग्राम बिक्रमपुर (राना फार्म), तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-262401
3. **समरदीप कौर**, पत्नी हरदीप सिंह, निवासी ग्राम बिक्रमपुर (राना फार्म), तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-262401
4. **सुखराज सिंह**, पुत्र अमरीक सिंह, निवासी ग्राम इब्नगर, तहसील बाजपुर, जिला उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड-262401

चूंकि उपरोक्त नामित आवेदक ने **रु0 33,35,613/- की वसूली** हेतु ओ.ए. नं0 22/2020 के माध्यम से आपको 19(4) के अन्तर्गत सम्मन जारी किया गया एवं ऋण और दिवालियापन अधिनियम 1993 की वसूली के लिए माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **दिनांक 11.03.2020** सूचीबद्ध की गयी।
चूंकि इस न्यायालय की संतुष्टि हेतु यह दर्शाया गया है कि आपको सामान्य ढंग से जानकारी देना सम्भव नहीं है। इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से आपको निर्देश देते हुये सूचना दी जाती है कि **दिनांक 29.04.2020 को प्रातः 10.30 बजे** आप व्यक्तिगत रूप से अथवा आपके लिखित प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा वकील के माध्यम से इस न्यायाधिकरण में उपस्थित हों।
इस बात पर ध्यान दें कि निर्धारित दिन पर इस न्यायाधिकरण के समक्ष आपकी उपस्थिति न होने की स्थिति में, इस मामले की सुनवाई व निर्णय आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जायेगा।
16 मार्च 2020 को मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मोहर के तहत दिया गया।
अधिकरण के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार,
ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
सीआईएन: L74899DL1970GOI005276 जीएसटीआईएन: 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय: कोर 7ए, हडको भवन, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003
दूरभाष (ईपीएबीएक्स): 011-24648160 फैक्स: 011-24625308
वेबसाइट: www.hudco.org
निविदा आमंत्रण सूचना
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों, एचएसएमआई तथा एचएसएमआई हॉस्टल में पुरानी मशीनों की खरीद के साथ चेहरे की पहचान तथा अंगुली चिन्ह की पहचान करने की विशेषता वाली स्टैंडअलोन बायो-मैट्रिक मशीनों की आपूर्ति करने, उसे लगाने, परीक्षण करने तथा चालू करने के लिए सेवा प्रदाता नियुक्त करना चाहता है। उपरोक्त निविदा से संबंधित सभी शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/संशोधन/तिथि-विस्तार/कोई भी स्पष्टीकरण हडको की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए हडको की वेबसाइट www.hudco.org देखें।

BEFORE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-III, DELHI
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
Notice under Section 19(4) of the Recovery of Debts Due to Banks & Financial Institutions Act, 1993 read with Rule 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules) 1993
In the matter of O.A. 877/2019
HDFC Bank Ltd. ...Applicant
Versus
M/s KTS Glass Industries Pvt Ltd. & Ors. ...Defendants
To,
D-1. M/s KTS Glass Industries Pvt Ltd. Through its Director Mr. Manish Sharma H.No. 343, Third Floor, (Plot No.3), Vardhaman Diamond Plaza, Motia Khan, Pahar Ganj, North Delhi, Delhi-55
D-2. Mr. Manish Sharma H.No. 343, Third Floor, (Plot No.3), Vardhaman Diamond Plaza, Motia Khan, Pahar Ganj, North Delhi, Delhi-55 Also at : 46, Near Flyover Ring Road, Vinoba Puri, Lajpat Nagar-2, South Delhi, New Delhi-24
Whereas the above named applicant has instituted a case against you & whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance in this Tribunal 22-04-2020 at 10.30 A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard & decided in your absence.
Given under my hand & seal of this Tribunal on this the 21-02-2020.
Seal — BY ORDER OF THE TRIBUNAL Assistant Registrar DRT-III, New Delhi

COURT NOTICE
Criminal Courts, Ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan Singh Judicial magistrate-1st class ludhiana
Next date, purpose of case, orders and judgements as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO:PBLD03-031288-2018
NEXT DATE: 23-04-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Pukhraj
Notice to: pukhraj s/o magna ram r/o dhatarwalon ki bhimasagar osian distt jodhpur rajasthan-342302 2. Magna ram r/o dhatarwalon ki bhimasagar osian distt jodhpur rajasthan-342302
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 23-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon To: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE
Criminal courts, ludhiana
In the court of Sh. Gurdarshan singh Judicial magistrate-1st class, ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-031277-2018
NEXT DATE: 23-04-2020
Kotak Mahindra Bank
V/s
Gandarava Siksha Samiti Gandarava
[illegible]
Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ /accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 23-04-2020 at 10.00 or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana JMIC LUDHIANA

दक्षिण मध्य रेलवे
द.म. रेलवे की निविदा सूचनाओं का विवरण हमारी वेबसाईट www.scr.indianrailways.gov.in पर देखी जा सकती है।
माह मार्च-2020 में विशेष ई-नीलामी के आयोजन का प्रस्ताव
मंडलों/स्क्रैप डिपो के लिये विशेष ई-नीलामी कार्यक्रम

ई-नीलामी तिथि	मंडल डिपो
19.03.20	सिकन्दराबाद, हैदराबाद, गुन्टाकाल, गुन्टूर, विजयवाड़ा नांदेड़, रायणापाडु तिरुपति
21.03.20	हैदराबाद
23.03.20	हैदराबाद
24.03.20	सिकन्दराबाद, विजयवाड़ा
30.03.20	सिकन्दराबाद, गुन्टाकाल गुन्टूर, विजयवाड़ा, नांदेड़, लल्लागुडा, रायणापाडु

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक
A0418/20 — सिकन्दराबाद
PUB/0329
निविदा की विस्तृत शर्तें/विवरणों तथा निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए कृपया वेबसाईट http://www.ireps.gov.in or www.scr.indianrailways.gov.in देखें।

पंजाब नैशनल बैंक — punjab national bank
शाखा : सम्भल शुक्ला मार्केट जिला-सम्भल, सर्किल ऑफिस : मुरादाबाद
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/चल सम्पत्ति हेतु)
वित्तीय अस्तियों एवं प्रवर्तन (प्रतिभूति) हित अधिनियम, 2002 के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(4) तथा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में अधिकृत प्राधिकारी ने नीचे तालिका में उल्लिखित तिथियों पर कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी।
कर्जदारों एवं जमानतियों के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों एवं जमानतियों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों एवं जमानतियों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार राशि तथा उस पर ब्याज के लिए पंजाब नैशनल बैंक के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार/जमानती का नाम	प्रतिभूत आस्ति(यों) का विवरण	सूचना में बकाया राशि 13(4)	माँग सूचना की तिथि/ कब्जा करने की तिथि
1) मैसर्स मुस्कान फ्लोर मिल्स (इसके साझेदार (i) मोहम्मत कामिल पुत्र वासीक हुसैन (ii) मो. वासिल पुत्र मोहम्मद कामिल के माध्यम से) खाता सं. 1831008700002859 एवं 183100IB00000235	इक्विटेबल बंधक भूमि एवं भवन, मोहम्मद कामिलपुत्र वासिक हुसैन के स्वामित्व में, क्षेत्रफल 520 वर्ग मीटर पुस्तक सं. 1 वॉल्यूम 7779 पृष्ठ 337/354 क्र.सं. 7120 दिनांक 06.06.2016 में पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार।	रु. 19,24,467/- माँग सूचना की तिथि + पूर्ण भुगतान तक भावी ब्याज एवं लागत	04.07.2019/ 13.03.2020

दिनांक : 14.03.2020
स्थान : सम्भल — (अधिकृत प्राधिकारी)

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (दक्षिण) I
जे-ब्लॉक मार्केट के सामने, साकेत, नई दिल्ली-110017
एनआईटी सं. 83/(एस-1) (2019-20)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1.	ईई(दक्षिण)-I के अंतर्गत मेहरौली कंस्टीच्युएन्सी में सी-9 तथा बी-5 एवं 6 वसंत कुंज सीवरेज पम्पिंग स्टेशनों का नवीकरण/मरम्मत	39009971	2020_DJB_189657_1) 16.3.2020	6.4.2020 3.00 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में एनआईटी के सभी नियमों एवं शर्तों के साथ अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./- (एल.एल. मीना)
विज्ञापन सं. जे.एस.वी. 2019-20/922 — कार्यपालक अभियंता (दक्षिण)-I

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया — Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
मेगा ई-नीलामी विक्री सूचना (सरफेसी एक्ट 2002 के अधीन)
परिसम्पत्ति वसूली शाखा, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
08.04.2020 को अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन बैंक के पास बंधक अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पढ़ा गया।
जैसा कि, आम जनता तथा उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित अचल सम्पत्ति को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित क्रेडिटर) के पास बंधक किया गया था जिस पर सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित क्रेडिटर) के अधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया गया है, जिसे "जैसा है जहाँ है", "जो है" तथा "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री दिनांक 08.04.2020 को वेबसाईट: https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अचल संपत्तियों का विवरण (रू. लाखों में)

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा फोन नं.	खाता का नाम	प्रत्याभूत परिसंपत्ती का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (रू.)	कब्जा की तिथि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	बोली वृद्धि राशि
1.	सविता विहार दिल्ली	श्री शशि प्रकाश सी. नं.: 9711167140	मैसर्स भास्कर एण्टरप्राईजेज	श्रीमती दर्शना रानी पत्नी स्वर्गीय श्री चरण दास के नाम पर गाँव घोण्डा गुजरन खादर, गली नं.16, भजनपुरा, शाहदरा, दिल्ली-110053 में स्थित आवासीय प्लॉट नं. सी-363/बी-1, आखिरी तल तक निर्माण अधिकार के साथ, खसरा नं.358 का भाग, परिमाप प्लॉट एरिया 75.24 वर्ग मीटर।	रू. 1,02,65,354/- + उसके बाद ब्याज एव अन्य खर्चे	06.03.2019 भौतिक कब्जा	₹ 72.00 लाख	₹ 7.20 लाख	₹ 0.50 लाख
2.	सविता विहार दिल्ली	श्री शशि प्रकाश सी. नं.: 9711167140	श्री राकेश चौधरी	श्री राकेश चौधरी पुत्र श्री हरि राम सिंह के नाम पर गाँव चन्द्रावली, मोती राम रोड, राम नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित सम्पत्ति सं. 01/2493 (तीसरा तल छत अधिकार के साथ) परिमाप 71.07 वर्ग मीटर अर्थात् 765 वर्ग फीट।	रू. 34,03,657/- + उसके बाद ब्याज एवं अन्य खर्चे	27.02.2019 भौतिक कब्जा	₹ 30.00 लाख	₹ 3.00 लाख	₹ 0.20 लाख

नियम एवं शर्तेः-
1. ई-नीलामी "जैसे है जहाँ है" तथा "जैसे है जो है आधार" पर की जा रही है।
2. प्रतिभूति परिसम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम में नहीं बेची जाएगी।
3. नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाएगी।
4. ई-नीलामी पोर्टल https://www.bankeauctions.com के माध्यम से 08 अप्रैल 2020 को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 1:00 बजे तक, 5 मिनट प्रत्येक के असीमित स्वतः विस्तार सहित, आयोजित की जाएगी।
5. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com के माध्यम से (यूजर आईडी एवं पासवर्ड https://www.bankeauctions.com पर नाम का पंजीयन कराते हुए निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं) लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड इस्तेमाल करते हुए धरोहर राशि जमा कराने के प्रमाण के साथ अपनी बोली जमा करा सकते हैं। धरोहर राशि एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाता : सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोराबजी भवन, 4/54, डी.बी. गुप्ता रोड, करोलबाग, नई दिल्ली-110005, खाता सं.3062155258 (आईएफएससी कोड: CBIN0280318) में 07.04.2020 को अप. 05:00 बजे से पूर्व (तिथि एवं समय) जमा करानी होगी। कृपया नोट करें कि चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में धरोहर राशि स्वीकार्य नहीं होगी। सम्पर्कः श्री विनोद कुमार-9813887931 (सपोर्ट ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com) तथा सम्पत्ति सम्बन्धी किसी भी पूछताछ के लिए सम्बन्धित शाखा/प्राधिकृत अधिकारी से उनके नाम के समक्ष वर्णित टेलीफोन नं. अथवा श्री डी.सी. लोहानी, मोबाइलः 9315433030 से सम्पर्क करें। नियमों एवं शर्तों के विवरणों के लिए कृपया देखें :- https://www.bankeauctions.com or www.centralbankofindia.co.in

सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिन की बिक्री सूचना
एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि, उस दिन तक के ब्याज तथा आनुषंगिक खर्चों सहित चुका दें, अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हुई, ब्याज एवं लागत सहित वसूल की जाएगी।
दिनांकः 18.03.2020 — प्राधिकृत अधिकारी,
स्थानः दिल्ली — सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एआरबी, करोल बाग, नई दिल्ली

कोरोना विषाणु के प्रकोप से यूरोप ठप

वुहान में संक्रमण के एक मामले के साथ चीन में 13 और लोगों की मौत

बेजिंग, 17 मार्च (भाषा)।

कोरोना विषाणु का केंद्र कहे जा रहे चीन के शहर वुहान में सोमवार को इसका महज एक मामला सामने आया। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि घातक बीमारी कोविड–19 का प्रकोप चीन में धीरे–धीरे कम हो रहा है लेकिन देश में 13 और लोगों की जान इससे चली गई जिसके बाद बीमारी के चलते मरने वालों की कुल संख्या 3,226 हो गई है।

वुहान में दिसंबर में सबसे पहले विषाणु का पता चला था। वुहान और पूरे हुबई प्रांत की सीमाएं 23 जनवरी से बंद पड़ी हैं और यहां यातायात के साथ ही आवाजाही पूर्ण प्रतिबंधित है। वुहान के स्वास्थ्य आयोग ने मंगलवार को बताया कि प्रांत में सोमवार को कोरोना विषाणु संक्रमण का एक मामला और 12 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई। नये मामलों के साथ हुबेई प्रांत में कुल 67,799 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आयोग ने बताया कि अस्पताल में भर्ती 8,004 मरीजों में से 2,243 की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है और अन्य 539 की हालत नाजुक है। सर्वाधिक प्रभावित इलाकों वुहान और हुबेई में विषाणु का प्रकोप घटने के साथ इन दोनों स्थानों पर तैनात हजारों चिकित्सा कर्मियों को क्रमबद्ध तरीके से वापस बुलाने की योजना की चीन ने सोमवार को घोषणा की। वहीं एक शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञ ने बताया कि कोरोना विषाणु का प्रकोप देश में लभगभ खत्म होने की तरफ है लेकिन इस बारे में पक्के तौर पर एक महीने बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि सोमवार को चीनी मुख्य भूभाग में संक्रमण के 21 नये मामले सामने आए जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। आयोग ने बताया कि 45 संदिग्ध मामले भी सामने आए हैं। सोमवार तक चीन में कुल 80,881 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें बीमारी से मरने वाले 3,226 लोग, इलाज करा रहे 8,976 मरीज और 68,679 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें सेहत में सुधार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस बीच, सोमवार को विदेश से संक्रमण लेकर आने वाले 20 मामले सामने आने के बाद ऐसे कुल मामले 143 पर पहुंच गए।

वाशिंगटन, 17 मार्च (एएफपी)।

- यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाएं 30 दिनों के लिए बंद
- ट्रंप ने लंबी लड़ाई के लिए आगाह किया

कोरोना विषाणु के प्रकोप के कारण यूरोप द्वारा अपनी सीमाएं सील करने के बाद फ्रांस में भी पूरी तरह आवाजाही प्रतिबंधित हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आने वाले समय में लंबी लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने नागरिकों को आदेश दिया कि वह मंगलवार से लेकर अगले 15 दिनों तक घरों में ही रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि गैर–जरूरी यात्राओं और सामाजिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैक्रों ने कहा कि यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाएं मंगलवार से लेकर अगले 30 दिनों के लिए बंद रहेंगी। अब तक 145 देशों में फैल चुके कोरोना विषाणु से दुनियाभर में मौतों का आंकड़ा सात हजार पार कर गया है जबकि संक्रमितों की संख्या 175,530 से ज्यादा हो गई है।

यूरोप में तेजी से फैल रहे कोरोना विषाणु के कारण फ्रांस ने भी इटली और स्पेन की तरह प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जो कि युद्ध के समय के अलावा शायद ही कभी देखे गए होंगे। दर्जनों देशों ने अपनी सीमाएं सील करने के साथ ही कर्फ्यू लगाने के अलावा अधिकतर सार्वजनिक कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। स्पेन और रूस ने सोमवार को अपनी सीमाएं सील कर दीं जबकि जर्मनी ने आवाजाही को लेकर कड़ी निगरानी शुरू की है।

वहीं, ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से कहा है कि एक साथ 10 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं हों। साथ ही न्यूयॉर्क और राजधानी वाशिंगटन में कड़े ऐहतियाती कदमों के साथ साथ बड़े पैमाने पर पृथक करने की प्रक्रिया जारी है। ट्रंप जनता को यह समझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वे संकट का पूरा उपाय कर रहे हैं। उन्होंने जनता से कहा है कि वे महामारी के खिलाफ महीनों लंबे चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार रहें। इस बीच, ट्रंप ने विषाणु के कारण अमेरिका के मंदी की ओर जाने की आशंका भी जताई।

ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका की ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया, कोविड–19 महामारी एक मानवीय त्रासदी और वैश्विक स्वास्थ्य संकट है, जो विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रमुख जोखिम है। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टैड्रोस एडनोम गैबरेयेसस ने हर संदिग्ध संक्रमण के मामले की जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चीन में दिसंबर में फैले कोरोना विषाणु ने दुनियाभर में कई जानें ली हैं और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं, ऐसे में हर संदिग्ध मामले की जांच जरूरी है। इस बीच, यूरोप में सर्वाधिक प्रभावित इटली में कोरोना विषाणु से दो हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन ने जहां सभी गैर जरूरी कार्यक्रमों और यात्राओं को रोकने की बात कही है, वहीं स्विट्जरलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जर्मनी ने तो सभी चर्च, मस्जिद और धार्मिक सभाओं को बंद करने के साथ ही गैर–जरूरी दुकानों तक को बंद करने के आदेश दे दिए हैं।

भारत में ताजमहल को भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश ने अधिकतर स्कूलों और मनोरंजन सुविधाओं को बंद कर दिया है।

मध्य–पूर्व में कोरोना विषाणु से सबसे बुरी तरह प्रभावित ईरान ने भी चार प्रमुख शिया तीर्थस्थलों को बंद कर दिया है। कनाडा ने भी फिलहाल अमेरिकियों को छोड़कर सभी विदेशियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं।

रूस ने कोरोना के संभावित टीके का परीक्षण शुरू किया

मॉस्को, 17 मार्च (एएफपी)।

रूसी वैज्ञानिकों ने कोरोना विषाणु (कोविड–19) से बचाव के लिए टीके के प्रारूपों का परीक्षण शुरू कर दिया है और जून तक एक प्रभावी प्रारूप पेश किए जाने की योजना है। सरकारी बायोटेक संस्थान के प्रयोगशाला प्रमुख ने यह जानकारी दी।

मंगलवार को प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रूस में कोरोना विषाणु से संक्रमण के अब तक 93 मामले सामने आए हैं। इबोला विषाणु के लिए टीकों पर पहले काम कर चुके साइबेरिया स्थित वेक्टर इंस्टीट्यूट के इलनाज इमातदीनोव ने सोमवार को वेस्ती नोवोसीबिर्स्क से कहा, प्रारूप तैयार कर लिए गए हैं। हमने प्रभावकारिता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जंतुओं पर प्रयोगशाला परीक्षण शुरू कर दिया है। जून में हम सर्वश्रेष्ठ नतीजे प्रदर्शित करने वाले एक या दो प्रारूप पेश करेंगे। रूस ने एहतियाती उपाय के तौर पर बुधवार से विदेशी नागरिकों के लिए सभी सीमाएं बंद करने की घोषणा की है।

सिंडीकेट बैंक पटेल नगर शाखा

SyndicateBank

7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, ईस्ट पटेल नगर शाखा, नई दिल्ली–110008
दूरभाष : 011–25727717, **फैक्स** : 011–25752545

परिशिष्ट–IV-A
[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा सार्वजनिक रूप से तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, का विक्रय 28.02.2020 तक प्रतिभूत लेनदार के बकाया रु. 48,22,763.27 (रुपये अड़तालीस लाख बाईस हजार सात सौ तिरेसठ एवं सत्ताईस पैसे मात्र) की वसूली हेतु 29.04.2020 को "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर **श्रीमती भारती** से की जायेगी।

आरक्षित मूल्य रु. 60,00,000.00 होगा तथा जमा धरोहर राशि रु. 6,00,000.00 होगी।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति अर्थात प्रथम एवं द्वितीय तल (छत के अधिकार सहित) बिल्ट अप एरिया 2241 वर्ग फीट, प्लॉट सं. 1822, गली नं. 41, जूर बाग, त्रिनगर, नई दिल्ली पर।

विक्रय की विस्तृत शर्तों एवं नियम के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **www.syndicatebank.in** में प्रावधानित लिंक देखें।

दिनांक : 17.03.2020 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — (सिंडीकेट बैंक)

TRANSCEND CONTRACTS PRIVATE LIMITED

8/99, Ground Floor Geeta Colony New Delhi- 110031
Mob -9811552871 Email: transcontracts@gmail.com

फॉर्म नम्बर आईएनसी-26

माननीय क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष (उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी के (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (क) पंजीकृत कार्यालय के दिल्ली प्रदेश से हरियाणा राज्य के परिवर्तन के मामले में

तथा

ट्रांसेंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड

(एक कंपनी जिसकी निगमन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हुआ है और जिसका पंजीकृत कार्यालय "8/99, ग्राउंड फ्लोर, गीता कॉलोनी, नई दिल्ली -110031" पर स्थित है)

...याचिकाकर्ता

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जो कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज II में परिवर्तन की पुष्टि चाहती है, जिसके तहत **5 फरवरी, 2020** को कंपनी की असाधारण आम सभा आयोजित की गई ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने में सक्षम बन सके। कोई व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हित के स्वरूप तथा विरोध के आधार के उल्लेखकारी शपथ-पत्र भरकर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरा तल पर्यावरण, भवन, सी.जी.ओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली -110003 के पतेपर इस सूचना प्रकाशन की तारीख के चौदह दिनों के भीतर सुपुर्द कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं। साथ ही इसकी एकप्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भी भेजनी होगी। "8/99, ग्राउंड फ्लोर गीता कॉलोनी, नई दिल्ली -110031"

आवेदक के लिए और उनकी तरफ से
ट्रांसेंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
अंकित मदान
(निदेशक)
(03512046)

दिनांक: 18.03.2020
स्थान: नई दिल्ली

COURT NOTICE

In the court of Sh. Gurdarshan singh Judicial magistrate- 1st class, ludhiana
Next date, purpose of case, orders and Judgments as well as other Case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana
CNR NO: PBLD03-031281-2018
NEXT DATE: 23-04-2020
Kotak Mahindra Bank
Vs
Gyanodai Vidhyapeeth Sanchalak Mandal
Notice no 1. Gyanodai vidhyapeeth sanchalak mandal bhunwar singh vill pattusar post reengus sikar sikar 332404 rajasthan 2. Bhunwar singh trustee of gyanodai vidhya peeth sanchalak mandal vill. pattusar post reengus sikar sikar 332404 rajasthan

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/ accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **23-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details logon for: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC LUDHIANA

प्रारूप संख्या यूआरसी–2

अध्याय XXI के भाग 1 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की सूचना का विज्ञापन
{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ख) और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4 (1) के अनुसरण में}

1. सूचना दी जाती है की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप धारा (2) के अनुसरण में **रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, कानपुर (उत्तर प्रदेश)** को आवेदन किया गया है की **आईटेक ईकॉमर्स एलएलपी**, एक एलएलपी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग 1 के तहत कंपनी को, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं :- **थोक व्यापार और आढ़त व्यापार, मोटर वाहनों और मोटरसाइकिलों को छोड़कर।**
3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप संगम और अनुच्छेद ज्ञापन की प्रतिलिपि का निरीक्षण **एलसीएफ, ए-5, सेक्टर - 4 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201301** स्थित कार्यालय में किया जा सकता है।
4. सूचना दी जाती है की यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर आपत्ति है तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर **रजिस्ट्रार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, (IICA), प्लॉट नंबर 6, 7, 8, सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुड़गांव (हरियाणा), पिन कोड- 122050,** पर भेज दें तथा इसकी एक प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर भी भेज दें।

आवेदक का नाम
हस्ता/-
खालिद इसर
नामांकित साझेदार
डीआईएन : 07615952

दिनांक : 18 मार्च 2020
स्थान : नौएडा

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड–248171

प्रकाशन नोटिस ओ0ए0 संख्या 387 / 2019

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब–सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय–समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीजर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 148 — दिनांक: 03.03.2020

पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स कुमार टेलीकॉम एवं अन्य

सेवा में,

1. मैसर्स कुमार टेलीकॉम एवं अन्य, प्रोपराइटर कविता गर्ग पत्नी आदेश गर्ग, कुमार निवास नेहरू मार्किट डाकपथर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
   द्वितीय पता: न्यू सब्जी मंडी, बत्तरा कॉम्प्लेक्स रोड, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. कविता गर्ग प्रोपराइटर मैसर्स कुमार टेलीकॉम एवं अन्य, मकान नं0 105, लेन नं0 1, द्रोणपुरी, जीएमएस रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
   द्वितीय पता: 24–ए द्वारिकापुरी, इंजीनियर एन्क्लेव, जीएमएस रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. दिनेश कुमार गर्ग पुत्र काली राम गर्ग, निवासी: 61 / 13, लक्ष्मण विहार, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।
4. मुकेश कुमार गर्ग पुत्र काली राम गर्ग, निवासी: 61 / 13, लक्ष्मण विहार, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।

जहाँ कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध **रू0 96,58,925 / –** की वसूली हेतु ओ0ए0 सं0 387 / 2019 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय न्यायाधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन / नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष **29.02.2020** को सूचीबद्ध किया गया था।

यह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से नाग नोटिस जारी किया जाना सम्भव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के जरिये दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 **21.04.2020** को 10.30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेण्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

सूचित हो कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 03 मार्च, 2020 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED

CIN- L29199DL1985PLC015796
Regd. Off.: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Phone No. 011-43502330, **Fax. No.** 0120-2462675
E-Mail id: compsect@udtltd.com, **Website:** www.udtltd.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates of the company are stated to be lost or misplaced or stolen:-

Sr. No.	Name of shareholder / purchaser	Share certificate Number	Distinctive No. From - To	No. of shares
1	Subhash Chand Shorewala/1077	2071 2072	174476-174575 174576-174625	100 50
2.	A M Agarwal/726	1317 1319 20384	110001-110100 110201-110250 10269264-10269413	100 50 150
3.	Manjulaben N Shah/8307	12325 12326	1210623-1210722 1210723-1210822	100 100
4.	Bhagwan dass DC Sancheti/378	605 606	51301-51400 51401-51450	100 50
5.	S L Pahuja/14136	23412	10903331-10903430	100
6.	Shrinivas P Shet/9654	17206 17382 17401 17402	1695311-1695410 1712911-1713010 1714811-1714910 1714911-1715010	100 100 100 100
7.	S Shantha Prabhu/9055	7214	721301-721400	100
8.	K R Prasunabhai/9057	6258 9114 9470	625701-625800 911301-911400 946901-947000	100 100 100
		Total		1700

Any person(s) who has a claim of lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company's Share Transfer Agent namely Alankit Assignments Limited, 3E/7, Alankit Height, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 within 15 days from the date of the notice, indicating the nature of claim or lien or interest of his objection in the said issue of duplicate share certificates through an affidavit otherwise the company will proceed to issue duplicate share certificate without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.

For United Drilling Tools Limited
Sd/-
P. K. Ojha
Company Secretary
FCS: 8698

Place: Noida
Date: 17.03.2020

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थी, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए आनुषंगी खर्च, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम / सह–कर्जदार का नाम / ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रु. में) / नियत तिथि	कब्जा की तिथि एवं प्रकार
1	कुलदीप सिंह / सुरिंदर कौर / एनएल0031/ एनडीएलएच00006685	रु. 32,55,580.19/- 11–जून–2019	सांकेतिक 13–मार्च–2020
सम्पत्ति का वर्णन : संपत्ति नं 8, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली। चौहद्दी : पूर्व–खाली भूमि, पश्चिम – संपत्ति नं. 8 ए और एमसीडी पार्क, उत्तर – संपत्ति नं. 7 और 9, दक्षिण – संपत्ति नं 9 ए 1।			
2	पूजा गुप्ता / नारायण दास गुप्ता एलबीडीईएल00001444834	रु. 8,75,100.96/- 27–अगस्त–2012	सांकेतिक 14–मार्च–2020
सम्पत्ति का वर्णन : ब्लॉक नं 16 में 19 वीं मंजिल पर फ्लैट नं 2003, यूनिटेक हैबिटेट, प्लॉट नं 06 पर स्थित सेक्टर- पीआई - II (एलिस्टेनिया एस्टेट) ग्रेटर नोएडा, यू.पी.। क्षेत्रफल - 1695 स्क्वायर फिट, पूजा गुप्ता के नाम पर चौहद्दी : उत्तर – ओपन स्काई, दक्षिण – ओपन स्काई, पूर्व–गैलरी, पश्चिम – ओपन स्काई।			
3	सरिता चौधरी / आजाद सिंह / डीईएलएचएल 17000119 / डीईएलएचएल17000131	रु. 2,13,28,363.43/- 28–नवंबर–2019	सांकेतिक 17–मार्च–2020
सम्पत्ति का वर्णन : मालवीय नगर एक्सटेंशन आवासीय योजना, जिसे साकेत के नाम से जाना जाता है में स्थित प्लॉट नं 60, ब्लाक –जे, भूतल और उसके सभी पीस और पार्सल साकेत, नई दिल्ली–110017 जो कि श्रीमती सरिता चौधरी और श्री आजाद सिंह के नाम से है। चौहद्दी : पूर्व–15 फीट सर्विस लेन, पश्चिम–80 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर–प्लॉट नं. 61, दक्षिण–प्लॉट नं. 59।			

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : दिल्ली — हस्ता / – प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 18-03-2020 — असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
Arcil
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–400028, फोन : + 91 2266581300
शाखा पता : द्वितीय तल, सेठी चैम्बर्स, प्लॉट नंबर 2, डीडीए लोकल शॉपिंग सेन्टर, निकट विद्या भवन गर्ल्स सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, एफ-ब्लॉक लेन, न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060, फोन : 011–46370444

न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

NHHFDL
New Habitat Housing Finance and Development Limited

पंजीकृत कार्यालय : न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, मैज़नाईन तल, एम–4, नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन पार्ट–II, नई दिल्ली–110049 कॉरपोरेट कार्यालय: सी–1 सैक्टर–3, नोएडा–201301, ईमेल– info@newhabitat.in, वेब: www.newhabitat.in
मोबाइल: +91-9654841478, फोन: +91 120 4180500 Extn: 1135

कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत **न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को माग नोटिस जारी किया था, जिसमें माग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 और 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार का नाम / सह–कर्जदार / गारंटर / लोन खाता नं.	सम्पत्ति का विवरण	माग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
श्री राघव कालरा और श्रीमती रेणु कालरा निवासी : ई–2 / 9 (पुराना प्लॉट नं. 9), शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 और: सी / ओ स्टूडेंट इन, सी–5 / 34, ब्लॉक–सी5, हौज़ खास एन्क्लेव, हौज़ खास, नई दिल्ली– 110016 और: 10–सी, हिल रोड, सिविल लाइन, दिल्ली–110054 और: 38, द्वितीय तल, बंगलो रोड, नॉर्थ रोड, दिल्ली–110054 और: प्रथम तल, 16–यूबी, जवाहर नगर, बंगलो रोड, कमलानगर, दिल्ली–110007	रिहायशी पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, निर्मित सम्पत्ति नं. ई–2 / 9 (ओल्ड प्लॉट नं. 9), क्षेत्रफल 63 वर्ग मी. (75 वर्ग गज) खसरा नं. 183, 185, 208 / 184 और 207 / 184 जोकि गांव नीमरी कच्ची अंगूरी के क्षेत्र में स्थित है, जिसे शास्त्री नगर, दिल्ली के रूप में जाना जाता है, चौहद्दी : पूरब में – सम्पत्ति नं ई–2 / 8, पश्चिम में – ई–2 / 9 का शेष हिस्सा, उत्तर में – ई–2 / 9 का शेष हिस्सा, दक्षिण में – 20फीट चौड़ा रोड	18-12-2019 / 12-03-2020	रु. 15,41,545/- (रु. पंद्रह लाख इकतालीस हजार पाँच सौ पैंतालीस मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित लोन खाता नं. NHS/N/HEA/NOI/1116/ 0004
श्रीमती रेणु कालरा और श्री राघव कालरा निवासी : ई–2 / 9 (पुराना प्लॉट नं. 9), शास्त्री नगर, दिल्ली–110052 और: सी / ओ स्टूडेंट इन, सी–5 / 34, ब्लॉक–सी5, हौज़ खास एन्क्लेव, हौज़ खास, नई दिल्ली– 110016 और: 10–सी, हिल रोड, सिविल लाइन, दिल्ली–110054 और: 38, द्वितीय तल, बंगलो रोड, नॉर्थ रोड, दिल्ली–110054 और: प्रथम तल, 16–यूबी, जवाहर नगर, बंगलो रोड, कमलानगर, दिल्ली–110007	रिहायशी पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, निर्मित सम्पत्ति नं. ई–2 / 9 (ओल्ड प्लॉट नं. 9), क्षेत्रफल 63 वर्ग मी. (75 वर्ग गज) खसरा नं. 183, 185, 208 / 184 और 207 / 184 जोकि गांव नीमरी कच्ची अंगूरी के क्षेत्र में स्थित है, जिसे शास्त्री नगर, दिल्ली के रूप में जाना जाता है, चौहद्दी : पूरब में – सम्पत्ति नं. ई–2 / 8, पश्चिम में – ई–2 / 9 का शेष हिस्सा, उत्तर में – ई–2 / 9 का शेष हिस्सा, दक्षिण में – 20फीट चौड़ा रोड	18-12-2019 / 12-03-2020	रु. 48,90,936/- (रु. अड़तालीस लाख नब्बे हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित लोन खाता नं. HSG/N/HEA/NOI/1015/ 0004

दिनांक: 12.03.2020, स्थान : नोएडा — प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण–I, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

आर. सी. सं. 185/19 — **बिक्री उद्घोषणा**

कार्पोरेशन बैंक बनाम मैसर्स क्रिसेंट मार्बल प्रा. लि.

बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993

सीडी1: मैसर्स क्रिसेंट मार्बल प्रा. लि., इसके निदेशक यूनिट द्वारा: के–41 / 42, शाहरुपुर सीएच, बलबीर सिंह मार्केट, मेन छतरपुर मन्दिर रोड, चंदन हुला, नई दिल्ली–110074

सीडी 2: श्री प्रदीप गोयल पुत्र श्री बुलाकी दास गोयल, जे –102, सैनिक फार्म, नई दिल्ली–110062 और: प्लॉट नं. 54, गांधी नगर, कॉलोनी हरिपर्बत वार्ड, आगरा, यूपी और: मकान नं. 25 / 46 डी, गांधी नगर कॉलोनी, आगरा यू.पी. और: बेसमेंट तल, डी–22, जीके एन्क्लेव– I, नई दिल्ली

जहाँ पर पीठासीन अधिकारी, **ऋण वसूली अधिकरण– I द्वारा वसूली प्रमाणपत्र सं 185 / 19, ओए सं 171 / 2016 दिनांकित 11.06.2019 के द्वारा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार वाद के शुरुआत से रु. 3,21,00,176.90 साथ में दिनांक 01-03-2016 से चुकौती की तिथि तक 17.10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार, साथ में खर्च लागत रु. 1,50,000 / – बकाया है।**

2. और जहाँ पर अधोहस्ताक्षर ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार अनुसूची में संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।
3. सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति ई–नीलामी के द्वारा वेबसाईट - **website https://bankauctions.in** पर **"ऑन लाईन इलैक्ट्रॉनिक बिडींग" के माध्यम से दिनांक 23.04.2020 को अपरा. 02.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक (अर्थात 03.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) किया जायेगा।**
4. उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री निम्नलिखितानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावे को जैसा अभी तक निर्धारित किया गया है।
5. यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अधोहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं।
6. बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण अथवा प्रयास नहीं करेगा।
7. आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री की जाएगी।

7.1 बिक्री उद्घोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रुटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अधोहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

7.2 **आरक्षित मूल्य रु. 2.10 करोड़ (रु. दो करोड़ दस लाख मात्र) के नीचे सम्पत्ति नही बेची जाएगी और धरोहर राशि (ईएमडी) रु. 21.00 लाख (रु. इक्कीस लाख मात्र)**

7.3 **इच्छुक निविदादाताओं को रु. 21.00 लाख (रु. इक्कीस लाख मात्र), धरोहर राशि पे आर्डर / डिमांड के रूप में, वसूली अधिकारी, डी आर टी– I, दिल्ली, खाता आर सी नं. 185 / 19 के पक्ष में दिल्ली में देय, दिनांक 21.04.2020 को सायं 03.00 बजे तक धरोहर राशि वसूली अधिकारी, डी आर टी– I, दिल्ली के ऑफिस में जमा करनी होगी। उसके उपरान्त प्राप्त धरोहर राशि (ई एम डी) विचारणीय नही होगी। सफल बोलीदाता के लिए उपरोक्त जमा को समायोजित कर दिया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि (ई एम डी) ई–नीलामी प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी, डी आर टी– I, दिल्ली के ऑफिस से वापस कर दी जाएगी।**

7.4 इच्छुक बोलीदाताओं जिन्होंने अपनी बोली (आरक्षित मूल्य से कम नही) साथ में दस्तावेज जैसे की पैन कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण इत्यादि दिनांक **21.04.2020** को सायं 03.00 से पहले **वसूली अधिकारी– I, डी आर टी– I, दिल्ली के ऑफिस में जमा** कर दी है, ही दिनांक **23.04.2020** को अपरा. 02.00 बजे से अपरा. 03.00 बजे तक होने वाली ई–नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोली यदि ई–नीलामी समाप्ति हेतु निर्धारित समय के अंतिम 5 मिनट में प्रस्तुत की जाती है तो उस दशा में ई–नीलामी बंद होने का समय 5 मिनट स्वतः बढ़ जायेगी।

7.5 निविदा राशि जहाँ से बिड राशि को बढ़ाया जाएगा **रु. 1,00,000 / – (रु. एक लाख केवल)** निविदा राशि पर अथवा निविदादाता द्वारा किसी विवाद पर सम्पत्ति के लिए नीलामी को तुरंत दोबारा प्रारंभ करवाया जाएगा।

7.6 किसी भी लॉट के सर्वोच्च / उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा बशर्ते की वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगाई गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

7.7 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 25 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण– I, दिल्ली, खाता आर सी नं.185 / 19 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे–ऑर्डर के द्वारा ऑन लाईन निलामी के 24 घण्टे के अंदर तैयार करना होगा और धरोहर राशि का समायोजित करने के पश्चात यह ऑनलाइन निलामी के बंद होने से तीन दिनों के भीतर रिकवरी अधिकारी के कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए, ऐसा ना करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

7.8 सफलतम / उच्चतम बोलीदाता सम्पत्ति बिक्री मूल्य की बकाया 75 प्रतिशत राशि **वसूली अधिकारी– I, डी आर टी– I, दिल्ली, खाता आर सी न. 185 / 19 के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / पे–ऑर्डर के द्वारा** सम्पत्ति की बिक्री की तिथि (उस दिन को छोड़कर) से 15वें दिन या उससे पहले **वसूली अधिकारी– I, डी आर टी– I, दिल्ली** के समक्ष जमा करेगा और यदि 15वें दिन रविवार या अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर (15 दिन के पश्चात) ऐसा किया जाऐगा। एवं 2 प्रतिशत रु. 1000 / – तक और उसके बाद शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पाउण्डेज फीस का भुगतान रजिस्ट्रार, ऋण वसूली अधिकरण– I, दिल्ली के पक्ष में जमा करवाना होगा (75 प्रतिशत शेष जमा राशि के मामले में यदि पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है तो उपरोक्तानुसार में वसूली अधिकारी के ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए)।

8. **यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नही किया जाता है, तो सम्पत्ति को बिक्री की नई उद्घोषणा के निर्गमन के बाद पुनः बेचा जाऐगा। बिक्री के खर्चो को चुकाने के बाद बची रकम यदि अधोहस्ताक्षरी इसे सही समझता है, तो सरकार के खाते में जब्त कर दी जायेगी तथा दोषी क्रेता सम्पत्ति के या उस राशि के किसी भी भाग जिसके लिए उसे बाद मे बेचा जा सकता है, के दावे जब्त कर लिए जायेंगें।**
9. सम्पत्ति की बिक्री **"जैसा है जहां है तथा जो कुछ भी वहां है के आधार"** पर की जाएगी।
10. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री प्रास्थगित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।

सम्पत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	अन्य सह मालिकों के नाम के सहित, बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, जहाँ सम्बन्धित सम्पत्ति डिफाल्टर या जो किसी अन्य व्यक्ति के सह–स्वामित्व में है।	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है।
(i)	मकान नं. 25 / 46 (पार्ट) खसरा नं. 54 में से, क्षेत्रफल 451.88 वर्ग मी., गाँधी नगर, हरिपरबत वार्ड, आगरा, सिटी, यू.पी में स्थित, फ्री होल्ड सम्पत्ति की चौहद्दी : उत्तर में – 5' चौड़ा सर्विस लेन, पूरब में – प्रवेश / 14' चौड़ा रास्ता, दक्षिण में – मकान नं. 54, पश्चिम में – सर्विस लेन	कोई सूचना नहीं		

मेरे समक्ष दिनांक 29.02.2020 को मौहर किया गया — हस्ता / – (संजू स्नेही), वसूली अधिकारी– I, डीआरटी– I, दिल्ली

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(भारत सरकार का उपक्रम)

ओ.बी.सी. मण्डल कार्यालय, गाजियाबाद, के–डी–13, कवी नगर गाजियाबाद–201002, फोन न. (0120)2702721; 4102944, ई–मेल: co.gzb@obc.co.in

नियम – 8 (1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांकों को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा की तारीख	बकाया राशि (रू. में) मांग सूचना के अनुसार
1	शाखा : बुलंदशहर — श्री रजनीश कुमार पुत्र राम चरण और सुनिता देवी पत्नी रजनीश कुमार	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट जोकि श्रीमती सुनिता देवी पत्नी रजनीश कुमार के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 108.53 वर्ग मी., मकान न. 124, वार्ड न. 150 और 184, मोहल्ला – देवीपुरा, नई आबादी, परगना, बरान, जिला बुलंदशहर में स्थित, दिनांकित 06.03.2009 बही नं. 1, जिल्द नं 1922, पेज नं. 31 से 54, क्रम 1650 सब रजिस्ट्रार II में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – डिगर मलिक 58'6फीट, पश्चिम में – स्वतंत्र कुमार 61'3फीट, उत्तर में – 18फीट चौड़ी रास्ता, भुजा 19'6फीट, दक्षिण में – 18फीट चौड़ा रास्ता, भुजा 19'6फीट	13-01-2020 / 17-03-2020	₹ 9,02,280.86 और भविष्य का ब्याज इत्यादि
2	शाखा : इन्दिरापुरम, गाजियाबाद — श्रीमती नीलम सिंह पत्नी दिलीप कुमार सिंह, गारंटर दिलीप कुमार सिंह	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट जोकि श्रीमती नीलम सिंह पत्नी दिलीप कुमार सिंह के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 33.444 वर्ग मी., फ्लैट नं. 438 चौथा तल (बिना छत के अधिकार), गंगोत्री अपार्टमेंट, कौशाम्बी, गाजियाबाद में स्थित, दिनांकित 31.07.2012, बही न 1, जिल्द न. 21749, पेज नं. 395 से 430, क्र.सं. 28225 सब रजिस्ट्रार -IV गाजियाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – साईट प्लॉन के अनुसार, पश्चिम में – साईट प्लॉन के अनुसार, उत्तर में – साईट प्लॉन के अनुसार, दक्षिण में – साईट प्लॉन के अनुसार	01-01-2020 / 16-03-2020	₹ 4,37,541.62 और भविष्य का ब्याज इत्यादि
3	शाखा : इन्दिरापुरम, गाजियाबाद — राम किशोर तिवारी पुत्र रामफेर तिवारी और रेखा तिवारी पत्नी राम किशोर तिवारी	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट जोकि श्री राम किशोर तिवारी पुत्र रामफेर तिवारी और रेखा तिवारी पत्नी राम किशोर तिवारी के नाम पर है, जिसका क्षेत्रफल 42.81 वर्ग मी., मकान नं. एफ–262, भूतल, नवनीकुंज, परगना लोनी, गाजियाबाद में स्थित, दिनांकित 11.08.2011, बही नं 1, जिल्द न. 7438, पेज नं. 177 से 210, क्र.सं. 7147 सब रजिस्ट्रार-III गाजियाबाद में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – 6.46 मी चौड़ा रोड, पश्चिम में – अन्य का मकान, उत्तर में – मकान नं. एफ–263, दक्षिण में – मकान न एफ–261	01-01-2020 / 12-03-2020	₹ 5,73,183.86 और भविष्य का ब्याज इत्यादि
4	शाखा : इन्दिरापुरम, गाजियाबाद — विनोद राणा पुत्र आर.पी. राणा, गारंटर कुमार राज पुत्र रमेश चंद	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी प्लॉट जोकि श्री विनोद राणा पुत्र श्री आर.पी. राणा के नाम पर है जिसका क्षेत्रफल 45.24 वर्ग मी., मकान न. के–175, भूतल पर ब्लॉक–के, सैक्टर–9, विजय नगर, गाजियाबाद में स्थित, दिनांकित 17.04.2013, बही न. 1, जिल्द न. 3488, पेज न. 149 से 192, क्र.सं. 2962, सब रजिस्ट्रार-V में पंजीकृत, चौहद्दी : पूरब में – मकान न. 174, पश्चिम में – मकान न. 178, उत्तर में – 6मी रोड, दक्षिण में – मकान नं. 176	01-01-2020 / 16-03-2020	₹ 4,78,068.86 और भविष्य का ब्याज इत्यादि

दिनांक 16-03-2020, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

www.readwhere.com

सरकार ने कहा, लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता

विदेशी पर्यटकों पर रोक का मामला

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस को लेकर चिंता के बीच विदेशी पर्यटकों पर लगाई रोक को लेकर सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और पर्यटकों पर रोक के कारण इस उद्योग को हुए नुकसान का आकलन वह बाद में करेगी।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार ने विदेशी पर्यटकों पर रोक लगा दी है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) संरक्षित स्मारकों व मंदिरों को भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, 'सदन इससे अवगत है कि हमारी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मैंने सभी पक्षों से बातचीत की है, हम नुकसानों का आकलन बाद में करेंगे।'

पटेल ने कहा कि कोरोना वायरस से निबटने के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा अन्य सभी मंत्रालय इसके साथ समन्वय कर काम कर रहे हैं। उनसे अन्य पूरक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि विदेशों में बरामद की गई ऐसी कलाकृतियों और मूर्तियों को क्या उनके मूल मालिकों को लौटा दिया गया है, जो चुरा ली गई थी। इस पर पटेल ने कहा कि ऐसी कलाकृतियों अथवा मूर्तियों के विदेश से बरामद होने के बाद विदेश मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई करता है।

सीकर में पिटाई से घायल बुजुर्ग की जयपुर में मौत

सीकर (राजस्थान), 17 मार्च (भाषा)।

सीकर जिले में कुछ लोगों की पिटाई से बुरी तरह घायल 70 वर्षीय बुजुर्ग की जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

अनुसूचित जनजाति समाज के मदन लाल की चार मार्च को कुछ लोगों ने लाठियों से पिटाई कर दी थी। इस सिलसिले में नीम के थाना में 8 मार्च को मामला दर्ज किया गया। सीकर पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने बताया कि कथित रूप से चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने लाल की पिटाई कर दी, उसकी मौत हो गई है। मामले के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में आरोपी लाल की लाठी से पिटाई करते दिख रहा है।

DETAILED PUBLIC STATEMENT IN TERMS OF REGULATIONS 4 READ WITH REGULATIONS 13, 14 AND 15(2) AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("TAKEOVER REGULATIONS") TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

KD LEISURES LIMITED

(Formerly Known as Vishvesham Investments and Trading Limited)
Registered Office: B-702, 7th Floor, Neelkanth Business Park, Kirol Village, Near Bus Depot,
Vidyavihar, West Mumbai - 400086 IN
E-mail: roc.viatl@gmail.com
CIN: L55100MH1981PLC272664
Website: www.kdgroup.co.in

Open offer **("Offer" / "Open Offer")** for acquisition of upto 8,42,400 **(Eight Lakh Forty Two Thousand Four Hundred)** fully paid-up equity shares of face value Rs. 10 each of KD Leisures Limited **(Formerly Known as Vishvesham Investments and Trading Limited) ("Target Company"),** representing 26.00% of the total voting equity share capital on a fully diluted basis expected as of the tenth (10th) working day from the closure of the tendering period of the Open Offer from all the Public Shareholders (as defined later) of the Target Company by Sunayana Investment Co. Ltd **("Acquirer")** at a price of INR 16.50 **(Rupees Sixteen and Fifty Paisa only)** per equity share.

This detailed public statement ("DPS") is being issued by Fast Track Finsec Private Limited, the manager to the Offer **("Manager" or "Manager to the Offer"),** for and on behalf of the Acquirer, in compliance with Regulations 4 read with Regulations 13(4) and 15(2) and other applicable Regulations of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto **("Takeover Regulations"),** and pursuant to the public announcement ("PA") sent to BSE Limited**("BSE"),** The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE") and to the Target Company on March 07, 2020 (Saturday) and filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on March 09, 2020 (Monday) in terms of Regulation 14(1) and 14(2) of the Takeover Regulations.

"Equity Shares" or "Shares" shall mean the fully paid-up equity shares of face value of INR 10/- each of the Target Company.

"Expanded Voting Share Capital" means the total voting equity share capital of the Target Company on a fully diluted basis expected as of the 10 (Tenth) Working Day from the closure of the Tendering Period for the Offer.

"Identified Date" means the date falling on the 10 (Tenth) Working Day prior to the commencement of the Tendering Period, for the purpose of determining the Public Shareholders to whom the letter of offer in relation to this Offer (the "Letter of Offer") shall be sent.

"Public Shareholders" mean all the equity shareholders of the Target Company excluding (i) the Acquirer and the PAC; (ii) parties to the SPAs (defined below); and (iii) the persons acting in concert or deemed to be acting in concert with the persons set out in (i) and (ii).

"Tendering Period" has the meaning ascribed to it under the Takeover Regulations.

"Working Day" means the working day of the Securities and Exchange Board of India.

I. ACQUIRER, SELLERS, TARGET COMPANY AND THE OFFER

A. Details of the Acquirer

Sunayana Investment Co Ltd

a. Sunayana Investment Co Ltd ("SICL") was incorporated March 19,1977 under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Gwalior. The Registered Office of SICL is situated at Part-B of 417, Chetak Centre Annex, Near Hotel Shreemaya, R.N.T. Marg, Indore Madhya Pradesh – 452001

b. Sunayana Investment Co Ltd was incorporated with the main object :
i) To finance industrial enterprises, and for that purpose lend and advance monies to entrepreneurs, promoters and industrial concerns on such terms and conditions and with or without security as may be thought appropriate.
ii) To carry on the business of an investment company and to buy, sell, underwrite, invest, in and acquire and hold shares, stocks, debentures, debenture-stock, bonds, obligations and securities issued or guaranteed by any company constituted or carrying on business in India or elsewhere and debentures, debenture-stock, bonds, obligations and securities, issued or guaranteed by any government, state, public body or authority, supreme, municipal, local or otherwise, firm or person whether in India or elsewhere and to deal with and turn to account the same, provided always that the Company shall not carry on the business of Banking as defined under the Banking Regulation Act, 1949.
iii) To acquire any such shares, Stocks, debentures, debenture-stock, bonds, obligations or securities by original subscription; participation in syndicates, tender, purchase, exchange or otherwise and to subscribe for the same, either conditionally or otherwise and to guarantee the subscription thereof and to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incident to the ownership thereof.
iv) To give guarantees, and carry on and transact every kind of guarantee and counter guarantee business and in particular to guarantee the payment of any principal moneys, interest or other moneys secured by or payable under any debentures, bonds, debenture-stock, mortgages, charges, contracts, obligations and securities, and the payment of dividends on and the repayment of the capital of stocks and shares of all kinds and descriptions.

c. The details of Board of Directors of Sunayana Investment Co Ltd are:

S.No	Name	DIN
1	Shivkumar Verma	06948640
2	Vijay TikkannaUlidra	06948648
3	Anita Azad Bohat	07846487
4	Subhash DinkarHelonde	07847650

d. As on the date of this DPS, Acquirer does not hold any position(s) on the board of directors of the Target Company.
e. As on the date, Acquirer is listed on Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) and on Calcutta Stock Exchange Limited (CSE).
f. The Acquirer does not belong to the Promoter and Promoter Group of the Target Company.
g. Mr.Pankaj Baid (M.No. 307424), Proprietor, M/s Pankaj Baid & Associates Chartered Accountants firm registration number 329176E, having office at 32 Ezra Street, South Block, 8th Floor, Room No 812 A, Kolkata - 700001. has certified vide certificate dated March 16th, 2020 that the net-worth of Acquirer as on March 31st, 2019 is INR 449,304,000 (Forty Four Crore Ninty Three Lakh Four Thousand only) which can be used for the acquisition of shares of the Target Company under the Offer.
h. Acquirer doesn't belong to any group.
i. Acquirer doesn't control and manage other entity.
j. Neither the Acquirers nor any of the entities with whom they are associated, are in Securities related business and registered with SEBI as a Market Intermediary.
k. As on date of this DPS, Acquirer does not have any interest / relationship in the Target Company nor does he hold any shares of the Target Company, except in terms of the proposed acquisition as contemplated vide the SPA (as defined later).
l. Acquirer has sufficient resources to fulfil the obligation under this Offer.
m. Acquirer is not on the list of 'wilful defaulters' issued by any bank, financial institution, or consortium thereof in accordance with the guidelines on willful defaulters issued by SEBI.
n. Acquirer has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") or under any of the regulations made under the SEBI Act.
o. Brief audited financial data of Sunayana Investment Co Ltd for the Last 3 financial year are given hereunder:

(In Lacs)

Particulars	31/03/2019	31/03/2018	31/03/2017
Total Revenue	37.36	50.54	2101.41
Net Income	5.87	18.61	(2.95)
EPS (Rs.)	0.03	0.08 (0.01)	
Net Worth	4493.04	4487.17	4468.56

B. Details of Seller

• M/s Kalpak Vora HUF

a. Kalpak Vora HUF (Seller) represent by its Karta Mr. Kalpak Ajay Vora aged about 36 years having PAN as ADNPV2420P under the Income Tax 1961 presently residing at 1004, Parvati Heritage Cama Lane, Ghatkopar, West Mumbai - 400086 and part of the promoter group of the Target Company.
b. Seller is a part of Promoter & Promoter Group of the Target Company.
c. Seller has not been prohibited by SEBI from dealing in securities, in terms of direction issued under Section 11B of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or under any of the regulations made under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
d. As on the date of PA, Seller holds 1,50,000 equity shares representing 4.63% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of the SPA (as defined later), Seller has agreed to sell its entire shareholding of 1,50,000 equity shares, representing 4.63% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company.
e. Pursuant to the Share Purchase Agreement ('SPA') entered on March 07, 2020, the Acquirer have agreed to acquire 150000 Equity Shares of Face Value of INR 10/- (Rupees Ten only) each at a price of INR 16.50/-(Rupees Sixteen & Fifty Paisa Only) per share representing 4.63 % of the Equity Share Capital/Voting Capital from the following Shareholder of the Target Company (hereinafter referred as "Seller"/"Selling Shareholder"

Sr. No.	Name Pan and Address	Part of Promoter Group	Pre Transaction		Post Transaction	
			No of Shares	%	No of Shares	%
1	Kalpak Vora HUF	Yes	150000	4.63	0	

C. Details of the Target Company- KD Leisures Limited (Formerly Known as Vishvesham Investments and Trading Limited)

1. KD Leisures Limited (Formerly Known as Vishvesham Investments and Trading Limited),, a company originally incorporated as a Public Limited company under the Companies Act, 1956 vide certificate of Incorporation dated April 01, 1981 as Vishvesham Investments & Trading Limited in the union territory of Delhi and a Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Delhi and thereafter the Registered Office of the Company was shifted to Mumbai. The CIN No. of the Company is L55100MH1981PLC272664.
2. Presently, Registered Office of the Target Company is situated at B-702, 7th Floor, Neelkanth Business Park, Kirol Village, Near Bus Depot, Vidyavihar West Mumbai City - 400086
3. As on date of this DPS the Authorised Share Capital of the Company is INR 3,50,00,000/- (Rupees Three Crores Fifty Lakhs Only) divided into 35,00,000 (Thirty Five Lakh) Equity Shares of INR 10/- (Rupees Ten Only) each and the Issued, Subscribed and Paid-up Capital of the Target Company is INR 3,24,00,000/- (Rupees Three Crores Twenty Four Lakhs) divided into 32,40,000 (Thirty Two Lakh Forty Thousand) Equity Shares of INR 10/- (Rupees Ten Only) each.
4. Presently 32,40,000 (Thirty Two Lakh Forty Thousand) Equity Shares of the Target have been listed on platform of BSE Limited ("BSE") with Scrip Code 540385 and Calcutta Stock Exchange Limited with Scrip Code 32182.
5. There are no partly paid up Equity Shares of the Target Company.
6. Presently, the Board of Directors of the Target Company comprises of

Name	Address	Director Identification Number
Kalpak Ajay Vora	1004, Parvati Heritage Cama Lane, Ghatkopar West Mumbai 400086	01556520
Satish Kumar Phoolchand Rajbhar	Adharwadi Road, Shirtala Nagar, Adharwadi,Kalyan West,Kalyan, Thane 421301	06798717
Smita Ajay Vora	1004, Parvati Heritage Cama Lane Ghatkopar West Mumbai 400086	06864944
Ajay Kantilal Vora	1004, Parvati Heritage Cama Lane , Ghatkopar West, Mumbai - 400086	06864950
Rajni Jethalal Shah	A-27,Sarvonati Co OP Housing Society Kiroli Road Near Sndt School Ghatkopar West,Barve Nagar Mumbai - 400084	07008158

(Source: MCA website)

7. As on the date of PA, none of the directors were representatives of the Acquirer.
8. The Main Object of the Target Company is:
i) To carry on in India or elsewhere the business of trading, managing and distribution in hospitality products.
ii) To carry on in India or elsewhere the business of hotel, restaurant, café, tavern, refreshment room and boarding and lodging house keepers, wine beers and aerated mineral and artificial water and other drinks, purveyors, dresses, clubs, baths, dressing room, laundries grounds and places of amusement.
iii) To purchase, acquire, take on lease or in exchange or in any other lawful manner any area, land, building, structures and to turn the same into account, develop the same and dispose of or maintain the same and to build townships, markets or other buildings residential and commercial or conveniences thereon and to equip the same or part thereof with all or any amenities or conveniences.
iv) To construct, erect, build, repair, re-model, demolish, develop, improve, grades, curve, pave, macadamize, cement and maintain building, structures, houses, apartments, hospitals, schools, places of worship, highways, roads, paths, streets, sideways, courts, alleys, pavements and to do other similar construction, levelling or paving work, and for these purposes to purchase, take on lease, or otherwise acquire and hold any lands and prepare lay-out thereon or buildings of any tenure description wherever situate, or rights or interests therein or connected therewith
9. There are no outstanding convertible instruments such as warrants/FCDs/PCDs/Partly Paid-up Equity Shares and other convertible instruments of the Target Company.
10. The key financial information of the Target Company as on and for the financial years ended March 31, 2019, March 31, 2018 and March 31, 2017 are as under:

(Rs. in Lakh)

Particulars	For the Financial Year Ending	For the Financial Year Ending	For the Financial Year Ending
	March 2019 (Audited)	March 2018 (Audited)	March 2017 (Audited)Total Revenue
Total Revenue	160	132.69	58.65
Profit After Tax	22	2.4	0.77
Earnings per share basic& diluted (in Rs.)	2.26	0.08	0.02
Net worth/ shareholders' funds	355.72	333.11	330.65

(Source: The financial information for financial years March 31, 2019,March 31, 2018& March 31, 2017 has been extracted from the Target Company's Annual Report/ financials filed with BSE)

D. Details of the Offer

1. This Open Offer is a mandatory offer in compliance with the provisions of Regulations 4 of the Takeover Regulations for the substantial acquisition of shares, voting rights and control over the Target Company by the Acquirer pursuant to the execution of SPA by the Acquirer and the Seller (as defined later) to control over of the Target Company.
2. This Open Offer is being made by the Acquirer to all the public shareholders of the Target Company (other than (i) the Acquirer, (ii) the party to the SPA (as defined later) and (iii) persons deemed to be acting in concert with such party stated in (i) and (ii), for the sale of equity shares of the Target Company, in terms of Regulation 7(6) of the (Takeover Regulations) **("Public Shareholders")** to acquire upto 8,42,400 (Eight Lakhs Forty Two Thousand Four Hundred) fully paid-up equity shares of face value of INR 10/- (Rupees Ten Only) each carrying voting rights, representing 26.00% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity capital carrying voting rights of the Target Company ("Offer Size") at a price of INR 16.50/- (Rupees Sixteen & Fifty Paisa only) per fully paid-up equity share **("Offer Price")**, aggregating to a total consideration of uptoINR13,899,600/-(Rupees One Crore Thirty Eight Lakh Ninety Nine Thousand and Six Hundred Only) **("Maximum Open Offer Consideration")** payable in cash, in accordance with the provisions of Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations, subject to the terms and conditions set out in the PA, DPS and the Letter of Offer **("LOF" / "Letter of Offer")**. If the number of equity shares validly tendered by the Public Shareholders under this Open Offer is more than the size of the Open Offer, the Acquirer shall proportionately accept the equity shares received from the Public Shareholders.
3. As on the date of this DPS, the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital of the Target Company, is as follows:

Particulars	Number of Shares	% of Equity Share Capital
Total fully paid-up equity shares of face value INR 10 each	32,40,000 (Thirty Two Lakhs Forty Thousand)	100

(Source: Audited financials March 31, 2019 of the Target Company as disclosed / filed with BSE)

4. There are no partly paid equity shares in the Target Company.
5. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the Takeover Regulations.
6. This is not a conditional offer and is not subject to any minimum level of acceptance from the Public Shareholders.
7. The Acquirer are making this Offer to all the Public Shareholders of the Target Company, to acquire upto 8,42,400 (Eight Lakhs Forty Two Thousand Four Hundred) Equity Shares **("Offer Size")**, representing 26% of the total outstanding fully paid up equity share capital of the Target Company.
8. The Offer is made at a price of INR 16.50/- (Rupees Sixteen & Fifty Paisa Only) per Equity Shares **("Offer Price")** determined in accordance with Regulation 8(2) of the Takeover Regulations.
9. The Offer Price shall be payable at cash in accordance with Regulation 9(1)(a) of the Takeover Regulations, and subject to the terms and conditions set out in this DPS and the Letter of Offer that will be dispatched to the Public Shareholders in accordance with the provisions of the Takeover Regulations.
10. There are no conditions stipulated in the SPA (as defined later), meeting of which are outside the reasonable control of the Acquirer, and in view of which, this Offer might be withdrawn under Regulation 23 of the Takeover Regulations.
11. The equity shares of the Target Company will be acquired by the Acquirer free from all liens, charges and encumbrances and together with the rights attached thereto, including all rights to dividend, bonus and rights declared thereafter.
12. Upon completion of the Offer, assuming full acceptances in the Offer and pursuant to the SPA (as defined later), the Acquirer will hold 9,92,400 (Nine Lakhs Ninety Two Thousand Four Hundred)equity shares constituting 30.63% of the total outstanding, issued and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company. In terms of provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time ("SEBI LODR Regulations"), read with Rule 19(2) and Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended from time to time ("SCRR Rules"), the Target Company is required to maintain at least 25% public shareholding for listing on a continuous basis. Considering the equity shares that may be acquired by the Acquirer in the present Offer and after the consummation of the SPA (as defined later), the public shareholding of the Target Company will not fall below the minimum level required as per the SEBI LODR Regulations for the purpose of listing on a continuous basis.
13. Upon consummation of the transaction(s) contemplated in the SPA (as defined later), the Acquirer will acquire control over the Target Company and will become the promoters of the Target Company upon compliance with the provisions of Regulation 31A(5) of SEBI LODR Regulations.
14. The Acquirer has no plans to alienate any material assets of the Target Company whether by sale, lease, encumbrance or otherwise outside the ordinary course of business of the Target Company. In the event any substantial assets of the Target Company is proposed to be sold, disposed-off or otherwise encumbered in the succeeding 2 (two) years from the date of closure of the Open Offer, the Acquirer undertake that they shall do so only upon receipt of prior approval of the shareholders of the Target Company through a special resolution by way of a postal ballot in terms of the provision to Regulation 25(2) of the Takeover Regulations and subject to applicable laws as may be required.
15. The Acquirer intends to seek a reconstitution of the Board of Directors of the Target Company in compliance with Regulation 24(1) of the Takeover Regulations.
16. The Acquirer may consummate the transaction(s) as contemplated in the SPA after the expiry of the Offer period in terms of regulation 22(1) of the Takeover Regulations or subject to the Acquirer depositing cash of an amount equal to 100% of the Offer Size payable into the Escrow Account (as defined later) under the Open Offer (assuming full acceptance of the Open Offer) in accordance with the provision of the Regulation 22(2) of the Takeover Regulations, the Acquirer may after the expiry of atleast 21 (twenty one) working days from the date of the DPS, consummate the transaction(s) as contemplated in the SPA (as defined later).
17. As on the date of the PA and this DPS, the Manager to the Offer does not hold any equity shares of the Target Company. Further, the Manager to the Offer will not deal on their own account in the equity shares of the Target Company during the Offer period.
18. All equity shares tendered in acceptance of the Offer upto a maximum of 8,42,400(Eight Lakhs Forty Two Thousand Four Hundred) equity shares, will be acquired by the Acquirer subject to terms and conditions set out in this DPS and the Letter of Offer.

II. BACKGROUND OF THE OFFER

1. This Offer is a "Triggered Offer" under Regulations 4 of the Takeover Regulations for control over the Target Company.
2. The Acquirer has entered into a Share Purchase Agreement dated March 07, 2020 ("SPA") with M/s Kalpak Vora HUF represent by its Karta Mr. Kalpak Ajay Vora, Promoter of the Target Company,pursuant to which, the Sellers have agreed to sell the Sale Shares and the Acquirer has agreed to purchase the Sale Shares being upto 8,42,400 (Eight Lakhs Forty Two Thousand Four Hundred) equity shares of the Target Company having a face value of INR10/- (Rupees Ten Only) each, representing 26.00% of the total issued, outstanding and fully paid-up equity share capital carrying voting rights of the Target Company **("Sale Shares")**, for an aggregate consideration of INR 1,38,99,600/- (Rupees One Crore Thirty Eight Lakh Ninety Nine Thousand and Six Hundred Only), computed at INR 16.50/- (Rupees Sixteen & Fifty Paisa Only) per Equity Share. The consideration for the Sale Shares shall be paid in cash by the Acquirer. The acquisition will result in the change in control and management of the Target Company.
3. This Offer is not as a result of a global acquisition, resulting in an indirect acquisition of the Target Company. The acquisition of the Sale Shares by the Acquirer is subject to certain conditions precedent, as provided in the SPA.
4. There are no conditions stipulated in the SPA, meeting of which are outside the reasonable control of the Acquirer, and in view of which, this Offer might be withdrawn under Regulation 23 of the Takeover Regulations.

III. SHAREHOLDING AND ACQUISITION DETAILS

The present and proposed shareholding of the Acquirer in the Target Company and the details of their acquisition are as follows:

Details	Acquirer	
	No. of Equity Shares	% of the total paid-up equity share capital
Shareholding as on the date of PA*	Nil	0%
Shares acquired between the date of the PA and this DPS	Nil	0%
Shareholding as on the date of this DPS	Nil	-
Shareholding after completion of the acquisition under the SPA	1,50,000	4.63%
Post Offer shareholding (assuming full acceptance, on diluted basis, as on 10th working day after the closure of the tendering period)	9,92,400 Equity Shares (in aggregate) (30.63%) (in aggregate)	

*As on the date of the PA, the Acquirer does not hold any equity shares in the Target Company other than the arrangement entered into with the Sellers for acquiring shares as per the SPA.

IV. OFFER PRICE

1. The equity shares of the Target Company are listed on BSE Limited (Scrip Code: 540385) and Calcutta Stock Exchange Limited with Scrip Code 32182 are not suspended from trading on BSE.
2. The total volume of equity shares of the Target Company traded on BSE and CSE during the twelve calendar months (March 31, 2019 to February 29, 2020) preceding the calendar month (Feb 2020) of the PA is 283,503 and NIL respectively. The total number of equity shares outstanding issued and fully paid-up of the Target Company is 32,40,000. Hence, the total traded turnover of the equity shares of the Target Company on BSE Limited and CSE is 8.75%, which is less than 10% of the total number of fully paid equity shares outstanding and issued by the Target Company.
3. Based on the above, the equity shares of the Target Company are infrequently traded on the BSE in terms of Regulation of the Takeover Regulations.
4. The Offer Price of INR 16.50/- (Rupees Sixteen & Fifty Paisa Only) per fully paid-up equity share of face value INR 10 (Rupees Ten Only) of the Target Company is justified in terms of Regulation 8(2) of the Takeover Regulations, in view of the following:

Sr. No.	Particulars	Price (In INR per Equity Shares)
1.	The highest Negotiated Price per fully paid-up equity share of face value INR 10 of the Target Company for acquisition under the SPA attracting the obligation to make a PA of the Offer.	16.50/-
2.	The volume weighted average price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquireror by PAC, during the fifty-two weeks immediately preceding the date of the PA i.e. March 06, 2020.	NIL
3.	The highest price paid or payable for any acquisition, whether by the Acquirer or by PAC, during the twenty-six weeks immediately preceding the date of the PA i.e. March 06, 2020.	NIL
4.	The volume-weighted average market price of the Equity Shares for a period of sixty trading days immediately preceding March 06, 2020 (being the date of the PA), as traded on the BSE, being the stock exchange where the maximum volume of trading in the Equity Shares are recorded during such period, provided such Equity Shares are frequently traded.	NIL
5.	Where the Equity Shares are not frequently traded, the price determined by the Acquirer, PAC and the Manager to the Offer taking into account valuation parameters including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies.	10.97/-
6.	Other Financial Parameters as at:	**December 31, 2019**
	a. Book value per equity share	10.97/-
	b. Earnings per share (basic & diluted)	0.05
7.	The per share value computed under Regulation 8(5), if applicable.	NA

Note: The trading data with respect to BSE has been downloaded from website of www.bseindia.com

5. In view of the parameters considered as presented in the table above, the minimum Offer Price per equity shares under Regulation 8(2) of the Takeover Regulations is the highest of item number 1 to 7 above i.e. INR 16.50/- (Rupees Sixteen & Fifty Paisa Only). Accordingly, the Offer Price is justified in terms of the Takeover Regulations.
6. There has been no revision in the Offer Price since the date of the PA till the date of this DPS. Further, the Offer Price does not warrant any adjustments for corporate actions under Regulation 8(9) of the Takeover Regulations.
7. In the event of further acquisition of equity shares of the Target Company by the Acquirer during the Offer period, by purchase of equity shares of the Target Company at a price higher than the Offer Price, then the Offer Price will be revised upwards to be equal to or more than the highest price paid for such acquisition in terms of Regulation 8(8) of the Takeover Regulations. However, the Acquirer shall not be acquiring any equity shares of the Target Company after the 3rd(third) working day prior to the commencement of the tendering period and until the expiry of the tendering period.
8. The Acquirer may, in terms of Regulation 18(4) of the Takeover Regulations, make upward revision of the Offer Price at any time prior to the commencement of the last 1 (one) working day before the commencement of the tendering period. If there is any such upward revision in the Offer Price by the Acquirer or in case of withdrawal of Offer, the same would be informed by way of a public announcement in the same newspapers where this DPS is published. Such revision in the Offer Price would be payable by the Acquirer for all the equity shares validly tendered at anytime during the Offer. In case of upward revision in the Offer Price, the value of the Escrow Account (as defined later) shall be computed on the revised consideration calculated at such 'revised' Offer Price and any additional amount required will be funded in the Escrow Account (as defined later) by the Acquirer prior to effecting such revision, in accordance and in compliance with Regulation 17(2) of the Takeover Regulations. Simultaneously with the issue of the public announcement, the Acquirer will also inform the Stock Exchanges, SEBI and the Target Company at its registered office of such revision in terms of Regulation 18(5) of the Takeover Regulations.

V. FINANCIAL ARRANGEMENT

1. The total consideration for the Offer Size at the Offer Price, assuming full acceptance of the Offer, is INR1,38,99,600/- (Rupees One Crore Thirty Eight Lakh Ninety Nine Thousand And Six Hundred Only) **("Maximum Consideration").**
2. The Acquirer has adequate resources and has made firm financial arrangements for financing the acquisition of the equity shares under this Offer, in accordance and in compliance with Regulation 25(1) of the Takeover Regulations. Mr. Pankaj Baid (M.No. 307424), Proprietor, M/s Pankaj Baid & Associates Chartered Accountants firm registration number 329176E, having office at 32 Ezra Street, South Block, 8th Floor, Room No 812 A, Kolkata - 700001, has certified vide certificate dated March 16th 2020 that the Acquirer have adequate financial resources and have made firm financial arrangements to meet the fund requirements for the acquisition of the equity shares of the Target Company under this Open Offer.
3. The Acquirer, the Manager to the Offer and ICICI Bank Limited, a banking company incorporated under Companies Act, 1956 and licensed under the Banking Regulation Act, 1949 and having its registered office at ICICI Bank Tower, Near Chakli Circle, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat India 390007 and acting through its branch office ICICI Bank Limited,Capital Markets Division, 1st Floor, 122, Mistry Bhavan, Dinshaw Vachha Road, Backbay Reclaimation, Churchgate, Mumbai 400020, have entered into an Escrow Agreement on March 11, 2020, for the purpose of the Offer **("Escrow Agreement")**. Pursuant to the Escrow Agreement and in compliance with Regulation 17(1) of the Takeover Regulations, the Acquirer have opened an Escrow Account in the name and style of **"KD LEISURES OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT"** bearing Account number 000405123314 **("Escrow Account").** The Manager to the Offer is duly authorized by the Acquirer to realize the value of the Escrow Account and operate the Escrow Account in terms of the Takeover Regulations.
4. Based on the above, the Manager to the Offer is satisfied that firm arrangements have been put in place by the Acquirer to fulfil the obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the Acquirer to fulfil the obligations in relation to this Offer through verifiable means in accordance with the Takeover Regulations.
5. In case of any upward revision in the Offer Price or the Offer Size, the Acquirer and PAC shall deposit additional funds in the Offer Escrow Account as required under the Regulation 17(2) of the Takeover Regulations.
6. In terms of Regulation 22(2) and the proviso to Regulation 22(2A) of the Takeover Regulations, subject to the Acquirer depositing in the Offer Escrow Account, cash of an amount equal to 100% of the Maximum Consideration, the Acquirer may, after the expiry of 21 days from date of this DPS, subject to fulfilment of conditions as detailed in this DPS, complete the acquisition of Equity Shares acquired pursuant to the SPAs and other acquisitions during the Offer period, if any.

VI. STATUTORY AND OTHER APPROVALS

1. To the best of the knowledge of the Acquirer, there are no statutory or other approvals required completing the acquisition of the Offer Shares as on the date of this DPS. If, however, any statutory or other approval becomes applicable prior to completion of the Offer, the Offer would also be subject to such other statutory or other approval(s).
2. All Public Shareholders, including non-resident holders of Equity Shares, must obtain all requisite approvals required, if any, to tender the Offer Shares (including without limitation, the approval from the RBI) and submit such approvals, along with the other documents required to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirer reserve the right to reject such Equity Shares tendered in this Offer. Further, if the holders of the Equity Shares who are not persons resident in India had required any approvals (including from the RBI, or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals, that they would have obtained for holding the Equity Shares, to tender the Offer Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event such approvals are not submitted, the Acquirerreserves the right to reject such Offer Shares.
3. In case of delay in receipt of any statutory approval that may be required by the Acquirer at a later date, SEBI may, if satisfied that such delay in receipt of the requisite statutory approval(s) was not attributable to any wilful default, failure or neglect on the part of the Acquirer to diligently pursue such approval, and subject to such terms and conditions as may be specified by SEBI, including payment of interest in accordance with Regulation 18(11) of the Takeover Regulations, grant an extension of time to the Acquirer and/or PAC to make the payment of the consideration to the Public Shareholders whose Offer Shares have been accepted in the Offer. Where any statutory approval extends to some but not all of the Public Shareholders, the Acquirer shall have the option to make payment to such Public Shareholders in respect of whom no statutory approvals are required in order to complete this Offer.
4. In terms of Regulation 23(1) of the Takeover Regulations, in the event that the Mandatory Statutory Approvals or any other approvals which may become applicable prior to completion of the Offer are not received, the Acquirer shall have the right to withdraw the Offer. Other than the Mandatory Statutory Approvals, the completion of the acquisition under the SPAs is conditional upon the SPA Conditions. In the event the SPA Conditions are not met for reasons outside the reasonable control of the Acquirer, then the SPAs may be rescinded, and the Offer may be withdrawn, subject to applicable law. In the event of withdrawal of this Offer, a public announcement will be made within 2 Working Days of such withdrawal, in accordance with the provisions of Regulation 23(2) of the Takeover Regulations.
5. The information contained in this DPS is exclusively intended for persons who are not US Persons as such term is defined under the US Securities Act of 1933, as amended, and who are not physically present in the United States of America. This DPS does not in any way constitute an offer to sell, or an invitation to sell, any securities in the United States of America or in any other jurisdiction in which such offer or invitation is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer or solicitation. Potential users of the information contained in this DPS are requested to inform themselves about and to observe any such restrictions. This is not an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell in the United States of America and cannot be accepted by any means or instrumentality from within the United States of America. U.S. Public Shareholders should seek independent advice in relation to their ability to participate in this Offer. The Acquirer shall take all reasonable efforts to obtain an exemption/ no action relief under Rule of 14(e) of Securities Exchange Act of 1934 from the Securities and Exchange Commission on the basis that this Offer shall remain open for ten working days as per the requirements of the Takeover Regulations. There can be no assurance that such exemption /relief will be obtained.
6. NRI and OCB holders of the Equity Shares, if any, must obtain all requisite approvals required to tender the Equity Shares held by them in this Offer (including, without limitation, an approval from the RBI, since the Equity Shares validly tendered in this Offer will be acquired by a non-resident entity), and submit such approvals along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and other documents required to accept this Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India (including NRIs, OCBs, FIIs, FPIs) had required any approvals (including from the RBI or the FIPB or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit copies of such previous approvals, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. If such approvals are not submitted, the Acquirer and PAC reserve the right to reject such Equity Shares tendered pursuant to this Offer

VII. TENTATIVE SCHEDULE OF ACTIVITIES

Sr. No.	Activity	Schedule (Day & Date)
1	Date of Public Announcement	07.03.2020 (Saturday)
2	Date of Publishing of the DPS	16.03.2020 (Monday)
3	Last Date for Filing Draft Letter of Offer with SEBI	23.03.2020 (Monday)
4	Last Date of Public Announcement for Competing Offer(s)	16.04.2020 (Thursday)
5	Last Date for receiving comments from SEBI on the draft Letter of Offer (In the event SEBI has not sort clarification or additional information from the Manager to the Offer)	16.04.2020 (Thursday)
6	Identified Date*	21.04.2020 (Tuesday)
7	Last Date by which Letter of Offer will be dispatched to the public shareholders whose name appears on the register of members on the Identified Date	28.04.2020 (Tuesday)
8	Last Date by which committee of the Independent Directors of the Target Company shall give its recommendation to the Public Shareholders of the Target Company for this Offer	NA
9	Last date for upward revision of the Offer Price/ Offer Size	NA
10	Date of Publication of Offer opening public announcement in the newspaper in which this DPS has been published	05.05.2020 (Tuesday)
11	Date of commencement of the Tendering Period (Offer Opening Date)	06.05.2020 (Wednesday)
12	Date of closure of the Tendering Period (Offer Closing Date)	19.05.2020 (Tuesday)
13	Last date of communicating the rejection/ acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	02.06.2020 (Tuesday)
14	Last date for issue of post-offer advertisement	08.06.2020 (Monday)

The above timelines are indicative (prepared on the basis of timelines provided under the Takeover Regulations) and are subject to receipt of statutory/regulatory approvals and may have to be revised accordingly.

Identified Date is only for the purpose of determining the names of the Public Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. It is clarified that all Public Shareholders are eligible to participate in the Offer any time before the Offer Closing Date.

VIII. PROCEDURE FOR TENDERING THE EQUITY SHARES IN CASE OF NON RECEIPT OF LETTER OF OFFER

1. All the Public Shareholders, holding the shares in dematerialized form are eligible to participate in this Offer at any time during the Tendering Period for this Offer. Please refer to Paragraph 3(e) below for details in relation to tendering of Offer Shares held in physical form.
2. Persons who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date i.e. the date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of Tendering Period, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the Letter of Offer, may also participate in this Offer.
3. The Public Shareholders are entitled to tender the Offer Shares under the stock exchange mechanism made available by Stock Exchanges in the form of a separate window ("Acquisition Window"), as provided under the Takeover Regulations and SEBI circular CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI Circular CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 issued by SEBI. In such case:-

(a) BSE shall be the designated stock exchange ("Designated Stock Exchange") for the purpose of tendering the Offer Shares;
(b) The Acquirer has appointed NikunjStock Broker Limited **("Buying Broker")** as its broker for the Offer through whom the purchases and settlement of the Offer Shares tendered under the Offer shall be made. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below:

Name: Nikunj Stock Brokers Limited
Address:A-92, Ground Floor, Left Portion, Kamla Nagar, New Delhi-11007
Tel. No.011-47030015-16
Contact Person: Mr. Pramod Kumar Sultania

(c) All Public Shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Offer would have to intimate their respective stock brokers **("Selling Broker")** within the normal trading hours of the secondary market, during the Tendering Period.
(d) The Acquisition Window will be provided by the Designated Stock Exchange to facilitate placing of sell orders. The Selling Broker can enter orders for Equity Shares in dematerialized form.
(e) Procedure to be followed by the Public Shareholders holding equity shares in physical form:

• As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialised form with a depository w.e.f. April 1, 2019
• Accordingly, the Public Shareholders who are holding equity shares in physical form and are desirous of tendering their equity shares in the Offer can do so only after the equity shares are dematerialised. Such Public Shareholders are advised to approach any depository participant to have their equity shares dematerialised.

4. The detailed procedure for tendering the shares in the Offer will be available in the Letter of Offer, which shall be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).

IX. OTHER INFORMATION

1. The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this DPS (other than information regarding the Sellers, the Target Company and information compiled from publicly available sources or provided by Seller and the Target Company, which has not been independently verified by the Acquirer or the Manager to the Offer).
2. The information pertaining to the Target Company contained in this DPS has been compiled from the information published or publicly available sources or provided by the Target Company.
3. The Acquirer also accepts full responsibility for their obligations under the Open Offer and shall be jointly & severally responsible for the fulfilment of obligation under the Takeover Regulation in respect of this Open Offer.
4. Unless otherwise stated, the information set out in this DPS reflects the position as of the date hereof.
5. Pursuant to Regulation 12 of the Takeover Regulations, the Acquirerhas appointed Fast Track Finsec Private Limited as the Manager to the Offer.
6. Fast Track Finsec Private Limited have their registered office at B-502, B Wing, Statesman House, 148 Barakhamba Road, New Delhi – 110001
7. The manager to the open offer i.e Fast Track Finsec Private Limited does not hold any shares in the Target company as on the date of Appointment to act as manager to the offer. They declare and undertake that they shall not deal in the equity share of the Target company during the period commencing from the date of their Appointment as manager to the offer till the expiry of 15 days from the date on which the payment of consideration to the shareholder who have accepted the open offer is made, or the date on which the open offer is withdrawn as the case may be.
8. The Acquirer has appointed Purva Sharegistry (India) Private Limited as the Registrar to the Offer having office at 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R.Boricha Marg Lower Parel (East) Mumbai - 400011. Tel No.:+91 22-23012518/+91 22-23016761, Fax No.: +91 22-23012517, Email Id: support@purvashare.com, Contact Person : Ms. Deepali.
9. This DPS and the PA shall also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in).
10. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or regrouping.
11. In this DPS, all references to "Rs." or "INR" are references to Indian Rupees and all references to "USD" are reference to United States Dollar.

MANAGER TO THE OFFER	
FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED B-502, Statesman House, 148 Barakhamba Road, New Delhi – 110001 **Telephone:** +91-11-43029809 **Email:**vikasverma@ftfinsec.com Investor Grievance Email: investor@ftfinsec.com **Website:**www.ftfinsec.com **Contact Person:** Mr. Vikas Kumar Verma	**SEBI Reg. No:** INM000012500 **CIN:** U65191DL2010PTC200381 **REGISTRAR TO THE OFFER** **Purva Sharegistry (India) Private Limited** 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J.R. Boricha Marg Lower Parel (East) Mumbai MH - 400011 **Fax No.** +91-11-26812683, **Email:** support@purvashare.com **Website:** https://www.purvashare.com/ **Contact Person:** Ms. Deepali **SEBI Reg. No:** INR000001112 CIN: U67120MH1993PTC074079

This detailed Public Statement is issued by manager to the Offer on behalf of the Acquirer
For & On behalf of the Acquirer
Sd/-
Mr. Shivkumar Verma
Date – March 16, 2020
Place – New Delhi

www.readwhere.com

कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे 300 भारतीय

तिरुवनंतपुरम, 17 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के चलते उड़ानें रद्द होने से केरल के कम से कम 300 लोग मलेशिया के कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। ये लोग फिलिपीन, कम्बोडिया और मलेशिया की यात्रा कर हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। इनमें कई छात्र भी शामिल हैं।

समाचार चैनलों पर प्रसारित वीडियो में एक छात्रा कह रही है कि हम फिलिपीन में पढ़ाई कर रहे हैं। कई उड़ानें रद्द हो गई हैं और हम कुछ घंटों से यहां फंसे हुए हैं। हम फिलिपीन वापस नहीं जा सकते और न ही भारत सरकार हमें लाने को तैयार है। हम भारतीय अधिकारियों से संपर्क की कोशिश कर रहे हैं। हम में से कोई भी फिलिपीन वापस नहीं जाना चाहता।

वीडियो में कुछ लोगों ने कहा कि बोर्डिंग पास मिलने के बाद उन्हें बताया गया कि उड़ान रद्द कर दी गई है। यात्रियों ने कहा कि केरल, बंगलुरु और चेन्नई को जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। राज्यसभा सदस्य जोस के मणि ने कहा कि वह भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। अन्य वीडियो में एक महिला रोते हुए अधिकारियों से उन्हें इटली से बाहर निकालने की गुहार लगा रही है। महिला ने कहा कि हमें केवल अपनी राज्य और केंद्र सरकार से उम्मीद कर सकते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हम वापस आ पाएंगे।

रमन सिंह के निजी सचिव पर बलात्कार के आरोप का मामला

पीड़िता व उसका परिवार लापता, अपहरण का मामला दर्ज

राजनांदगांव, 17 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निजी सहायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसका पूरा परिवार लापता हो गया है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है।

राजनांदगांव जिले के पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता, उसके माता-पिता और भाई के लापता होने के बाद पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनवरी, 2019 में पीड़िता ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निजी सहायक ओपी गुप्ता के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। किशोरी के परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस महीने की चार तारीख को पीड़िता के माता, पिता और भाई उसे कहीं से घर ले जाने गए थे। लेकिन उसके बाद से उनकी कोई सूचना नहीं है। जब चारों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तब नौ मार्च को मोहला थाना में पीड़िता और उसके परिजनों के लापता होने का मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि इस सोमवार को पीड़िता के अन्य परिजन राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्होंने बलात्कार के आरोपी गुप्ता पर अपहरण का शक जताया।

असम में छह महीने के लिए अफस्फा बढ़ा

गुवाहाटी, 17 मार्च (भाषा)।

असम सरकार ने कानून व व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को पूरे राज्य के लिए 28 फरवरी से अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।

मंगलवार को सरकारी अधिसूचना जारी की गई। राज्य में अफस्पा नवंबर, 1990 से बना हुआ है। यह कानून सुरक्षाबलों को बिना किसी पूर्व नोटिस के अभियान चलाने और कहीं भी किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिसूचना में कहा गया कि पिछले छह महीने की कानून व व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा में राज्य के कुछ खास हिस्सों में चरमपंथी तत्त्वों की मौजूदगी का संकेत मिला है। अधिसूचना के अनुसार वैसे तो कुछ चरमपंथी संगठनों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण किया है लेकिन कुछ अन्य संगठनों ने संशोधित नागरिकता कानून बनाए जाने की पृष्ठभूमि में स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास किया और गुमराह युवकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की।

राज्यसभा में विपक्ष ने रेलवे के निजीकरण को लेकर जताई आशंका

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

- **पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम रेलवे का विदाई समारोह मनाने वाले हैं : मनोज कुमार झा**
- **सरकार पूरे रेलवे नेटवर्क का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है : केके रागेश**

राज्यसभा में विपक्ष के विभिन्न सदस्यों ने रेलवे के 'निजीकरण' की आशंका जताते हुए मंगलवार को कहा कि सरकार को नौकरियों में कटौती नहीं करनी चाहिए और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर सर्वाधिक जोर दिया जाना चाहिए।

उच्च सदन में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा में भाग लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने रेलवे के निजीकरण की आशंका जताई और कटाक्ष करते हुए कहा, 'पता नहीं क्यों लग रहा है कि हम रेलवे का विदाई समारोह मनाने वाले हैं।' उन्होंने रेलवे में नौकरियां कम होने को लेकर भी आशंका जताई। उन्होंने कहा कि रेलवे में धन का दुरुपयोग हो रहा है और रेलवे को आर्थिक रूप से सक्षम रखने के लिए करोड़ों रुपए की लीकेज को रोकने की जरूरत है। उन्होंने कुछ निजी फर्मों के बकाए को रेलवे द्वारा माफ किए जाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल किया कि सरकार हर नई परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर क्यों चला रही है?

बहुजन समाज पार्टी के वीर सिंह ने दावा किया कि रेलवे में कर्मचारियों और आरक्षित पदों की संख्या काफी कम होती जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2.8 लाख पद खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि निजीकरण के चलते ऐसा हो रहा है। रेलवे में 17 विभागों का विलय हो गया है। इसके चलते पदों में कमी आ रही है। सिंह ने सुझाव दिया कि रेलवे को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार को देश के 75 हजार रेलवे स्टेशनों पर मॉल बनाने के बारे में विचार करना चाहिए ताकि हवाई अड्डों की तरह वहां से भी लोग सामान खरीद सकें। उन्होंने गजरौला से संभल तक रेलवे लाइन बनाने की मांग की ताकि इन दोनों क्षेत्रों को रेलमार्ग से जोड़ा जा सके।

असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने चर्चा में भाग लेते हुए सुझाव दिया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क में विस्तार किया जाना चाहिए। यह देश का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और यहां रेलवे नेटवर्क बढ़ने से इसके विकास में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने गुवाहाटी में एक अलग रेलवे जोन बनाए जाने की भी मांग की। मार्क्सवादी पार्टी के केके रागेश ने दावा किया कि सरकार पूरे रेलवे नेटवर्क का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में शताब्दी व राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों का निजीकरण कर दिया जाये।

उन्होंने सरकार से सवाल किया कि ट्रेनों के निजीकरण की स्थिति में अभी जिन नागरिकों को रियायत की दी जा रही है? उनका क्या होगा? उन्होंने कहा कि ट्रेनों के निजीकरण होने की स्थिति में उनके किराए का निर्धारण कौन करेगा। रागेश ने केंद्र सरकार पर नई ट्रेन चलाने के मामले में केरल के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले छह साल में राज्य को कोई नई ट्रेन नहीं मिली है।

अखिल गोगोई को मिली जमानत, लेकिन जेल में ही रहेंगे

गुवाहाटी, 17 मार्च (भाषा)। गुवाहाटी की एक विशेष एनआइए अदालत ने सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा में भूमिका को लेकर पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किए गए सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई को मंगलवार को जमानत दे दी क्योंकि जांच एजंसी माओवादी संबंध के मामले में 90 दिनों की निर्धारित अवधि के अंदर उनके विरुद्ध आरोपपत्र नहीं दाखिल कर पाई।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय
सी-10 इन्द्रलोक, दिल्ली-110035

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से कार्यपालक अभियंता, सी-10, डी.यू.एस.आई.बी., इन्द्रलोक, दिल्ली-110035 निम्नलिखित कार्य के लिए दो निविदा प्रणाली में प्रतिशत दर निविदा (ऑनलाइन) आमंत्रित करते हैं:

एनआईटी संख्या: 143/ EEC-10/ DUSIB/ 2019-20
निविदा संख्या: 2020_ DUSIB_ 189537-1
कार्य का नाम: एम.एल.ए. एल.ए.डी. फंड,
उपशीर्ष: पी. एंड टी. क्वार्टर (टाइप-2) व ई.टी.पी.-1 से ई.पी.टी.-16: देव नगर विधान सभा-23: करोल बाग में सीमेन्ट कंक्रीट के फर्श व बरसाती पानी की निकास व्यवस्था।
अनुमानित लागत: रु. 60,62,748.00
धरोहर राशि: रु. 1,21,300.00
निविदा मूल्य: रु. 1000.00
कार्य अवधि: 120 दिन
निविदा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि व समय: 26.03.2020 के 15.00 बजे तक

निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाईट **https://eprocurement.delhi.gov.in** से प्राप्त किया जा सकता है।

* सभी इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वह उक्त निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन/ सुधार के लिए नियमित रूप से उपरोक्त साइट का अवलोकन करते रहें, अद्यतन/ सुधार प्रेस में विज्ञापित नहीं किया जाएगा।

कार्यकारी अभियन्ता
DIP/Shabdarth/1469/19-20 सी-10, डी.यू.एस.आई.बी.

'लापता विधायकों' की वापसी के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह

भोपाल, 17 मार्च (भाषा)।

मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने मंगलवार को राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर प्रदेश के कथित तौर पर 'लापता' विधायकों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उनकी वापसी के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। इन विधायकों ने अपने त्यागपत्र अध्यक्ष को भेज दिए हैं।

प्रजापति ने सदन के लापता सदस्यों की वापसी के विषय में राज्यपाल को पत्र में लिखा है, 'मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख व अभिभावक होने के नाते उक्त सभी लापता विधायकों के परिवारजनों व आत्मीयजनों की उपरोक्त शंकाओं के निराकरण व समाधान के लिए उनकी वापसी सुनिश्चत कराने की दिशा में ठोस कदम उठाकर मेरी और उन सदस्यों के परिजनों की चिंताओं का समाधान करने का कष्ट करें।' उन्होंने पत्र में लिखा है, "उपरोक्त विषयांतर्गत मैं आपका ध्यान एक अति गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 16 माननीय सदस्यों के त्यागपत्र अन्य लोगों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुए। मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 276-1 ख के तहत इन्हें समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए किंतु एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। उनके त्यागपत्र प्रकरण मेरे समक्ष विचाराधीन है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ये विधायक 16 मार्च 2020 को आहूत विधानसभा की बैठक में भी अनुपस्थित रहे।

इससे इन विधायकों में से कुछ के परिजनों के जरिए उनकी सुरक्षा के संबंध में चिंता भी व्यक्त की गई है और विधानसभा का पीठासीन प्रमुख होने के नाते इस पर चिंता व्यक्त की। प्रजापति ने कहा कि यहां यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो जारी हुए हैं। ये त्यागपत्र प्रस्तुत करते समय विधायक के परिवार का व्यक्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि उक्त त्यागपत्र सुनिश्चित रूप से दबाव डालकर लिखवाए गए हैं। यदि उक्त त्यागपत्र स्वेच्छा से प्रस्तुत किए गए होते तो क्या संबंधित विधायक के परिवार के सदस्य, निकट संबंधी अथवा उनके कार्यकर्ता साथ नहीं होते। क्या, यह स्पष्टतः संविधान के मौलिक अधिकारों में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। क्या, प्रदेश के अन्य राजनेताओं की तरह ही इनके के जरिए स्वच्छंद वातावरण में प्रेस के संमुख निर्भीक होकर स्वेच्छा से बयान दिए जा रहे हैं।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट 203 एवं 204, 2 रा तल, "ए" विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंडर रोड, सेवरी (वेस्ट), मुम्बई 400015, महाराष्ट्र, CIN No.: U65922MH2005PLC272501

बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के पास चार्ज्ड अचल/चल परिसम्पत्तियों की बिक्री। जैसा कि वीएचएफसीएल के बकाये तथा नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिये "जैसा है जहां है आधार" तथा "जो भी वहां है आधार" पर उसकी बिक्री करने के अधिकारों के साथ नीचे वर्णित ऋण खाता में प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को निम्न सम्पत्तियों का कब्जा कर लिया है तथा जैसा कि बकाये की वसूली में उसकी विफलता के उपरांत उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा वीएचएफसीएल के बकाये की वसूली का प्रस्ताव करते हैं।

क्र. सं.	ऋणधारकों एवं गारन्टरों का नाम एवं पता, माँग सूचना तिथि एवं राशि	सम्पत्ति/यों का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य/ ईएमडी	नीलामी की तिथि / समय
1	श्री नवीन शर्मा (ऋणधारक) श्रीमती गरिमा शर्मा (सह-ऋणधारक) माँग सूचना तिथिः 13.11.2019 एवं राशिः रु. 1177156/- + ब्याज, लागत आदि	वैष्णो एन्क्लेव, ग्राम रोजा, जलालपुर, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर- 201301	रु. 1059441/- रु. 105944/-	18.4.2020 को 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप. तक

बिक्री के अन्य नियम एवं शर्तें:
1. पृथक प्रस्ताव के साथ धरोहर राशि (ईएमडी) के लिये यहां ऊपर वर्णित राशि के लिये वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक संलग्न करें। आरक्षित मूल्य से कम/ ईएमडी के बिना प्रस्ताव निरस्त की जायेगी। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं दिया जायेगा। 2. ईएमडी, पहचान के प्रमाण तथा पते के प्रमाण अर्थात वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि 15.4.2020 के 2.00 बजे अप. तक अधोहस्ताक्षरी के पास पहुंच जाने चाहिए। 3. इच्छुक पार्टी 13.4.2020 को 12 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। 4. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या निरस्त करने तथा किसी भी समय नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन का अधिकार है। 5. उपरोक्त सम्पत्तियों की बिक्री **"जैसा है जहां है आधार" तथा "जो भी वहां है आधार"** पर की जायेगी तथा वीएचएफसीएल किसी भी सांविधिक प्राधिकरण, एजेन्सी, स्थानीय निकायों की किसी भी देयताओं, बाध्यताओं अथवा चार्ज अथवा चार्ज तथा सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारणों के किसी भी बकाये के लिये उत्तरदायी नहीं है। 6. बिक्री की पुष्टि उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले क्रेता के पक्ष में की जायेगी। कृपया ध्यान रहे कि अधोहस्ताक्षरी को परिस्थिति के आधार पर इन्टर-से विडिंग का अधिकार है। 7. सफल बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता के रूप में घोषणा के तत्काल बाद 25% तथा नीलामी की तिथि से 15 दिनों के भीतर शेष 75% मूल्य का भुगतान करना होगा। भुगतान में किसी भी कारण से विफल होने पर प्रदत्त राशि जब्त कर ली जायेगी। 8. सफल बोलीदाता को चार्जेज, कन्वीयन्स के लिये देय शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण चार्जेज तथा कानून के अनुसार लागू अन्य चार्जेज, बकाये का वहन करना होगा। 9. अधिक विवरणों तथा नियमों एवं शर्तों के लिए इच्छुक पार्टी वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सम्पर्क करें। गाजियाबाद-सम्पर्क व्यक्तिः श्री महेश बंसल, सम्पर्क नम्बरः 9968347592, पताः वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि., सी-93, 2रा तल, पंचशील गार्डन, नवीन शाहदरा 110032, 10. यह सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 30 दिनों का कानूनी सूचना है। एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि अद्यतन ब्याज तथा सहायक खर्चे के साथ उपरोक्त राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी/ बिक्री की जायेगी अन्यथा ब्याज एवं लागत के साथ यदि कोई हो, बकाये की वसूली की जायेगी।

तिथिः 18.3.2020 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः गाजियाबाद वास्तु हाउसिंग फाइनांस कॉर्पोरेशन लि.

कोरोना : उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष को 14 दिन घर में अलग रहने की सलाह

देहरादून, 17 मार्च (भाषा)।

कोराना विषाणु संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने सरकारी दून अस्पताल गए उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना को अपने ही घर में 14 दिन तक अलग रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर इस आशय की जानकारी देते हुए धस्माना ने बताया कि सोमवार सुबह वह कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीजों को रखने के लिए बने वार्ड की स्थिति देखने गए थे। 'इस दौरान मैं अलग वार्ड के अंदर नहीं गया, मास्क लगाया था और सेनेटाइजर का भी उपयोग किया।' उन्होंने कहा, 'मुझे सोमवार की रात सीएमओ, डिप्टी सीएमओ दोनों के फोन आए। उन्होंने पूरे प्रकरण पर जानकारी लेने के बाद मुझसे आग्रह किया कि चूंकि मैं कोरोना वार्ड में गया था, मुझे अगले 14 दिन तक एहतियात रखनी होगी। उन्होंने सलाह दी कि मैं अपने घर में एक अलग कमरे में रहूं, किसी से ज्यादा नहीं मिलूं, घर से बाहर न जाऊं और स्वास्थ्य संबंधी असहजता महसूस होने पर उन्हें तुरंत सूचित करूं।'

धस्माना ने कहा कि हालांकि वह 'हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ' में विश्वास रखते हैं लेकिन शहर वासियों के हित में वह 14 दिन तक घर में ही रहेंगे।

तृमूकां समर्थित निर्दलीय का नामांकन रद्द

राज्यसभा प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय

कोलकाता, 17 मार्च (भाषा)।

पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश बजाज का नामांकन मंगलवार को रद्द हो गया जिससे बड़े राजनीतिक दलों के सभी पांच प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। निर्वाचन अधिकारी ने बजाज का नामांकन रद्द कर दिया क्योंकि उनका हलफनामा स्वप्रमाणित था न कि नोटरीकृत। उनका नामांकन खारिज होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के चार और माकपा - कांग्रेस गठजोड़ के एक उम्मीदवार का निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 26 मार्च को चुनाव होने हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा के अपने पूर्व सदस्यों अर्पिता घोष, दिनेश त्रिवेदी, सुब्रत बख्शी और पूर्व कांग्रेस सांसद मौसम नूर को राज्यसभा की चार सीटों के लिए चुनाव मैदान में उतारा है। नूर तीन बार कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं और वह 2019 में तृणमूल में शामिल हो गई थीं। कांग्रेस के समर्थन से माकपा ने विकास रंजन भट्टाचार्य को पांचवीं सीट के लिए चुनाव मैदान में उतारा है।

तृणमूल के वरिष्ठ नेता ने कहा, 'बजाज का नामांकन खारिज होने के साथ ही अब कोई मुकाबला नहीं होगा। सभी पांच प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाएंगे।' बजाज तृणमूल के पूर्व विधायक हैं। तृणमूल सूत्रों के अनुसार पार्टी ने कट्टर प्रतिद्वंद्वी माकपा की एक सीट जीतने की संभावना को धूमिल करने और सात विधायकों वाली भाजपा को उम्मीदवार उतारने की कोशिश से रोकने के लिए बजाज को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतारा था।

पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 207 ऐसे विधायक हैं जो तृणमूल के टिकट पर 2016 का चुनाव जीते थे। तृणमूल कांग्रेस और माकपा के 24 विधायक बाद में तृणमूल कांग्रेस व भाजपा में शामिल हो गए। तृणमूल सूत्रों के अनुसार पार्टी के 10 विधायक या तो संपर्क में नहीं हैं या भाजपा के पाले में चले गए हैं। उनमें से किसी को भी दलबदल कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

बजाज ने संवाददाताओं से कहा, 'राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया है क्योंकि मेरा हलफनामा नोटरीकृत नहीं था।'

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मैंने एक मुख्त्यारनामा आम श्री के. पी. शर्मा पुत्र स्व.श्री बी. पी. शर्मा निवासी 6-डी, स्काईलार्क अपार्टमेन्ट पांचवी स्ट्रीट रूटलैण्ड गेट चेन्नई- 600006 के हक में दि. 12.06.2003 को तहरीर करवाई थी जो की दि. 20.06.2003 को नोटरी द्वारा तस्दीकशुदा है। अब मुझे श्री के.पी.शर्मा पर विश्वास नहीं रहा है इसलिए मैं उक्त मुख्त्यारनामा आम को निरस्त करती हूं। आज के बाद श्री के.पी. शर्मा को दिए समस्त अधिकार समाप्त समझे जावें।
गीतिका शर्मा, निवासी, जी-49, दिलशाद कॉलोनी, नियर ओल्ड सीमापुरी दिल्ली 110095

असहिष्णुता वाले बयान पर अभिनेता आमिर खान को नोटिस

बिलासपुर (छत्तीसगढ़), 17 मार्च (भाषा)।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एकल पीठ ने असहिष्णुता के संबंध में दिए गए एक बयान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता आमिर खान और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिवक्ता अमियकांत तिवारी ने मंगलवार को बताया कि अदालत की एकल पीठ ने 2015 में असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म अभिनेता आमिर खान और राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी।

तिवारी ने बताया कि रायपुर के दीपक दीवान ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। अभिनेता खान ने 2015 में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश में असहिष्णुता के माहौल के चलते उन्हें और उनकी पत्नी को भारत में रहने से डर लगता है। उन्होंने बताया कि खान के इस बयान के बाद दीवान ने अभिनेता के खिलाफ धारा 153-ए और 153-बी के तहत एक परिवाद दायर किया था। इसपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर ने मामले को पुरानी बस्ती थाना के पास परिवादी और अन्य का बयान लेकर जांच करने के लिए भेज दिया था। बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर प्रकरण को खारिज कर दिया था कि इस मामले में केंद्र-राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। बाद में परिवादी ने सत्र अदालत में समीक्षा याचिका दाखिल किया, हालांकि उसे भी समान आधार पर खारिज कर दिया गया था। अधिवक्ता तिवारी ने बताया कि दीवान ने इसे चुनौती देते हुए मार्च, 2020 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने विगत पांच मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने बताया कि सोमवार को हाई कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए आमिर खान और राज्य शासन द्वारा कलेक्टर, रायपुर को नोटिस जारी कर जवाबतलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ
संबंधित विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	30.06.1967
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, (दिल्ली) कम्पनी अधिनियम 1956 / 2013 तहत
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	L45101DL1967PLC004759
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	115 अंसल भवन, 16, के.जी. मार्ग नई दिल्ली-110001
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	17.03.2020, माननीय एनसीएलटी द्वारा पारित आदेश की तारीख (17.03.2020 को आईआरपी को सूचना प्राप्त हुई।)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	13.09.2020
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	**अमरपाल** **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P01584/2018-19/12411
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	कार्यालय संख्या 401, डीडीए भवन - 2, डिस्ट्रिक सेंटर, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058 **ईमेल:** amarpal@icai.org
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का, पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	बी -98, दूसरी मंजिल, उद्योग विहार फेस - 5, गुरुग्राम, हरियाणा - 122016 **ईमेल:** cirp.ansalapi@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	31.03.2020
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	अचल संपत्ति परियोजना के तहत आवंटित
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	**1. श्री कैलाश चंद्र जैन** आई पी पंजी.सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01573/2018-2019/12407 **2. श्री रणजीत कुमार वर्मा** आई पी पंजी.सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00301/2017-18/10659 **3. श्री सतेन्द्र कुमार** आई पी पंजी.सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01580/2018-2019/12429
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है :	वेबलिंक: https://ibbi.gov.in/home/downloads भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड, 7वीं मंजिल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली - 110001

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली, बेंच-II ने दिनांक **17 मार्च 2020** को **मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरम्भ करने का आदेश दिया है।
मैसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण **31 मार्च 2020** को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
दावे उनके विशिष्ट निम्नलिखित प्रपत्रों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं:
फॉर्म बी : कामगार और कर्मचारियों को छोड़कर परिचालक लेनदारों के दावों के लिए
फॉर्म सी : वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए
फॉर्म सीए : एक श्रेणी में वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए (घर खरीदार या आबंटी)
फॉर्म डी : श्रमिकों और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए
फॉर्म ई : श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए
फॉर्म एफ : (वित्तीय लेनदारों और परिचालन लेनदारों के अलावा) लेनदारों द्वारा दावों के लिए
वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।
किसी श्रेणी के साथ सम्बन्धित वित्तीय लेनदार जैसा कि प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सूचीबद्ध है, अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनलों में से अपनी पसंद का अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प संपत्ति परियोजना के तहत आवंटित (प्रपत्र सीए में निर्दिष्ट करेगा।)
दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
दिनांक : 18 मार्च 2020 अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का नाम व हस्ताक्षर - **अमरपाल**
स्थान : नई दिल्ली **पंजीकरण सं.:** IBBI/IPA-001/IP-P01584/2018-2019/12411

FORM-G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

1.	Name of the Corporate Debtor	SMS PARYAVARAN LIMITED
2.	Date of incorporation of Corporate Debtor	January 28, 1992
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies of New Delhi
4.	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	CIN: U41000DL1992PLC047372; Business of the Company is execution of works contracts for construction of Water Supply System and Sewerage System and also Operation and Maintenance thereof for Government Authorities / State Board viz. Municipal Corporation, Public Health Department and other like Authorities of Central / State Governments.
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Reg Office: SH2, Vardhman Grand Plaza, Plot 7, Mangalam Place, Sector 3, Rohini, New Delhi- 110085
6.	Insolvency commencement date of the corporate debtor	January 03, 2020
7.	Date of invitation of expression of interest	18.03.2020
8.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Core eligibility criteria: Min. Tangible Net Worth of Rs. 10 Crores at Group level; Executed EPC and Civil Contracts of a value of at least Rs. 40 Crores in last 5 completed Financial Years. Details can be accessed from the website of the Corporate Debtor: www.smsplindia.com
9.	Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	Can be accessed from the website of the Corporate Debtor: www.smsplindia.com
10.	Last date for receipt of expression of interest	03.04.2020
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	11.04.2020
12.	Last date for submission of objections to provisional list	16.04.2020
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	25.04.2020
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	16.04.2020
15.	Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	The Resolution Professional will provide the Information Memorandum, Process Note and Evaluation Matrix for submission of Resolution Plan in the electronic form / physical form to potential Resolution Applicants meeting the eligibility criteria as set out by the Committee of Creditors and as per Section 29(A) of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (the Code), after receiving a confidentiality undertaking as per Section 29(2) of the Code.
16.	Last date for submission of resolution plans	16.05.2020
17.	Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Sealed Envelope by Post / by hand to RP at the correspondence address and electronic copy by email at in.smsparyavaran.sbd@gmail.com
18.	Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	15.06.2020
19.	Name and registration number of the resolution professional	Name: Sajeve Bhushan Deora Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP/P-00317/2017-18/10581
20.	Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Name: Sajeve Bhushan Deora Address: 606 New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001. Registered e-mail address : sajeve.deora@deora.com
21.	Address and email to be used for correspondence with the resolution professional	Address: 606 New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001. E-mail address: in.smsparyavaran.sbd@gmail.com
22.	Further Details are available at or with	Available with the Resolution Professional
23.	Date of publication of Form G	18.03.2020

(Sajeve Bhushan Deora)
Resolution Professional – SMS Paryavaran Limited
Date : 17/03/2020 Registration Number: IBBI/IPA-001/IP/P-00317/2017-18/10581
Place: New Delhi Reg. Add.: 606, New Delhi House, 27 Barakhamba Road, New Delhi-110001

www.readwhere.com

खबर कोना

जाक बार्कर अपने बेटे और बेटी के साथ बास्केटबॉल और रस्सीकूद का आनंद लेते हुए

दो अप्रैल तक बुंडेस्लिगा स्थगित

फ्रेंकफर्ट एम मेन, 17 मार्च (एएफपी)।

जर्मनी के शीर्ष दो डिवीजन के 36 फुटबाल क्लबों ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दो अप्रैल तक जर्मन फुटबाल लीग स्थगित करने के प्रस्ताव पर मंजूरी जताई है। बुंडेस्लिगा और दूसरे दर्जे की टीमों ने फ्रेंकफर्ट में हुई बैठक में रखे गए इस प्रस्ताव पर मंजूरी जताई। जर्मन फुटबाल लीग के मुख्य कार्यकारी क्रिस्टियन सीफर्ट ने कहा, 'इसके मायने यह नहीं है कि हम उसके बाद मुकाबले शुरू कर देंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोरोना वायरस है लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन अनिश्चितता है। अभी कहा नहीं जा सकता कि फुटबाल फिर कब शुरू होगा।'

न्यूजीलैंड ने घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट रद्द किया

आकलैंड, 17 मार्च (भाषा)।

न्यूजीलैंड के शीर्ष प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट प्लंकेट शील्ड के आखिरी दो दौर के मैच कोविड 19 महामारी के कारण रद्द कर दिए गए हैं जिसे बाद खिताब वेलिंगटन फायरबर्ड्स को दे दिया गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड वाइट ने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया। वेलिगटन फायरबडर्स अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 26 अंक आगे है। वाइट ने कहा, 'न्यूजीलैंड क्रिकेट परिवार की सेहत और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने जरूरी है। हमने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर अमल किया।' न्यूजीलैंड क्रिकेट ने 30 मार्च को होने वाले एएनजेड न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार भी स्थगित कर दिए थे।

डायमंड लीग की शुरुआती तीन प्रतियोगिताएं रद्द

पेरिस, 17 मार्च (एएफपी)।

कोरोना वायरस के चलते डायमंड लीग सर्किट की शुरुआती तीन प्रतियोगिताएं रद्द कर दी गई है। इनमें दोहा में 17 अप्रैल को होने वाली प्रतियोगिता, शंघाई में 16 मई और एक अन्य चीनी शहर में नौ मई को होने वाली स्पर्धा शामिल है । आयोजकों ने एक बयान में कहा, 'यह फैसला आयोजन समिति, स्थानीय अधिकारियों और खेल नियामक ईकाइयों से मशविरे के बाद लिया गया है।' नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।

यूरो 2020 फुटबाल टूर्नामेंट 2021 तक स्थगित : यूएफा

लुसाने, 17 मार्च (एएफपी)।

यूरोपीय फुटबाल संस्था (यूएफा) ने मंगलवार को घोषणा की कि यूरोपीय फुटबाल चैंपियनशिप (यूरो) को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। पहले यह टूर्नामेंट इस साल जून और जुलाई में आयोजित किया जाना था।

यूएफा ने कहा कि टूर्नामेंट की नई प्रस्तावित तिथियां अगले साल 11 जून से 11 जुलाई होंगी। यूरो 2020 को अब यूरो 2021 के नाम से जाना जाएगा। यूएफा ने बयान में कहा, 'इस कदम से घरेलू प्रतियोगिताओं को पूरा किया जा सकता है जिन्हें अभी कोविड-19 के कारण रोक दिया गया है।' यह घोषणा करने से पहले यूएफा ने अपने राष्ट्रीय संघों के अलावा क्लबों और खिलाड़ियों की संस्थाओं के साथ टेलीकान्फ्रेंस की।

महाद्वीप के 12 शहरों एम्सटर्डम, बाकू, बिलबाओ, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, कोपेनहेगेन, डबलिन, ग्लास्गो, लंदन, म्यूनिख, रोम और सेंट पीटर्सबर्ग में खेली जानी थी प्रतियोगिता। यूरो के सेमीफाइनल और फाइनल लंदन में होने थे

यह कदम कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व भर में खेल गतिविधियां बंद होने के कारण लिया गया है। इस महामारी के कारण कई देशों में आपात स्थिति पैदा हो गयी है और सीमाएं बंद कर दी गयी है।

यूएफा ने कहा, 'खेल में शामिल होने वालों का स्वास्थ्य प्राथमिकता है। मैचों के आयोजन में शामिल राष्ट्रीय लोक सेवाओं पर गैरजरूरी दबाव बनाने से बचने के लिये भी यह कदम उठाया गया।' यूरोप की अधिकतर घरेलू लीग के मैच नहीं हो रहे हैं। क्लबों के बीच होने वाली यूएफा चैंपियन्स लीग और यूरोपा लीग को भी स्थगित किया जा चुका है। लेकिन यूरोपीय चैंपियनशिप के स्थगित किए जाने से इन लीग को यात्रा संबंधी पाबंदियां हटने के बाद पूरा किया जा सकता है।

यूरोप कोरोना वायरस महामारी का केंद्र बना हुआ है। मंगलवार को फ्रांस ने भी इटली और स्पेन की तरह कड़े उपाय अपनाए। यूरोपीय नेता भी महाद्वीप की गैर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं।

फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्थगित

पेरिस, 17 मार्च (एएफपी)।

फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया है और अब वह 20 सितंबर से चार अक्तूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

वर्ष का यह दूसरा ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट 24 मई से सात जून के बीच होना था लेकिन आयोजकों ने इसको स्थगित करने का फैसला किया।

आयोजकों ने ट्वीट किया, 'पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टूर्नामेंट की तैयारियां और आयोजन करना असंभव है।' नाई तिथियों का मतलब है कि इस टूर्नामेंट का यूएस ओपन की समाप्ति के केवल एक सप्ताह बाद इसका आयोजन किया जाएगा।

ओलंपिक तैयारी को छोड़कर सारे राष्ट्रीय शिविर स्थगित : रिजीजू

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

कोरोना महामारी के कारण सभी राष्ट्रीय शिविर आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। हालांकि तोक्यो ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे। वहीं भारतीय खेल प्राधिकरण अपने प्रशिक्षुओं के घर लौटने का बंदोबस्त कर रहा है। खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्रों पर अकादमीय प्रशिक्षण भी निलंबित रहेगा। ओलंपिक इस साल जुलाई अगस्त में होने हैं।

रीजीजू ने ट्वीट किया, 'कोविड 19 के चलते साइ ने तय किया है कि सभी राष्ट्रीय शिविर स्थगित रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे।' उन्होंने आगे लिखा, 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और एसटीसी भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।' रीजीजू ने कहा कि यह कदम अस्थायी और एहतियाती है और हालात सुधरने पर प्रशिक्षण बहाल कर दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, 'यह अस्थायी और एहतियातन उठाया गया कदम है। मैं सभी युवा खिलाड़ियों से अपील करता हूं कि दिल छोटा नहीं करें। हम हालात की समीक्षा करके जल्दी ही अकादमीय प्रशिक्षण फिर शुरू करेंगे।' बाद में साइ ने कहा कि मंजूरी मिलने और प्रतिबंध वापिस लिए जाने तक कोई टूर्नामेंट, खेल समारोह, सेमिनार या कार्यशाला का आयोजन नहीं किया जाएगा। होस्टल सुविधा हालांकि 20 मार्च तक चालू रहेगी ताकि खिलाड़ियों को असुविधा नहीं हो।

साइ ने कहा, 'अगले कुछ दिन में जिन खिलाड़ियों की परीक्षा है, उन्हें केंद्र पर रहने और इम्तिहान देने की अनुमति रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए और घर लौटते समय खिलाड़ी संक्रमण के शिकार नहीं हो जाएं।' इसमें कहा गया, 'सभी अन्य प्रशिक्षुओं को घर भेजा जा रहा है। जिनका घर केंद्र से 400 किलोमीटर से कम दूरी पर है, उन्हें थर्ड एसी का ट्रेन टिकट दिया जा रहा है। जिनका घर 400 किलोमीटर की दूरी से अधिक है, उन्हें हवाई टिकट दिया जाएगा।' भारत में अभी तक निशानेबाजी विश्व कप और इंडिया ओपन गोल्फ स्थगित किया गया है। वहीं बैडमिंटन का इंडिया ओपन भी रद्द कर दिया गया।

कुछ दिन पहले ही सरकार ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं के संबंध में दो परामर्श जारी किए थे। मंत्रालय ने कहा था कि तोक्यो ओलंपिक क्वालीफायर के लिऐ विदेश में खेल रहे खिलाड़ी अपना अभ्यास जारी रखेंगे। रीजीजू ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय टूर्नामेंटों पर कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन वे बिना दर्शकों के होंगे। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ इंडियन ग्रां प्री का आयोजन कर रहा है जो ओलंपिक क्वालीफायर भी है। यह 20 मार्च से शुरू होगा और दर्शकों के बिना खेला जाएगा।

बीसीसीआइ, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ और अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ समेत राष्ट्रीय खेल महासंघों ने घर से काम करने का फैसला लिया है।

साइ ने कहा, 'अगले कुछ दिन में जिन खिलाड़ियों की परीक्षा है, उन्हें केंद्र पर रहने और इम्तिहान देने की अनुमति रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घर लौटते समय खिलाड़ी संक्रमण के शिकार नहीं हो जाएं।'

भारतीय खेल प्राधिकरण अपने प्रशिक्षुओं के घर लौटने का कर रहा है बंदोबस्त

“ साइ ने तय किया है कि सभी राष्ट्रीय शिविर स्थगित रहेंगे। ओलंपिक की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के शिविर जारी रहेंगे। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और एसटीसी भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।'

यूरोपीय ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर निलंबित

लंदन, 17 मार्च (एएफपी)।

लंदन में होने वाले यूरोपीय ओलंपिक मुक्केबाजी क्वालीफायर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते निलंबित कर दिए गए। मुक्केबाजी रोड टू तोक्यो टूर्नामेंट शनिवार से 24 मार्च तक चलना था। अमेरिकी क्वालीफायर और अंतिम दौर के क्वालीफायर भी खटाई में पड़ गए हैं जो मई में होने हैं । लंदन में होने वाले टूर्नामेंट में करीब 12 देशों के 350 पुरूष और महिला मुक्केबाज भाग लेने वाले थे। यह यूरोप का पहला क्वालीफायर था।

स्वदेश लौटेंगे एथलीट नीरज चोपड़ा

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके भाला फेंक के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा कोविड-19 महामारी को देखते हुए तुर्की में अपने अभ्यास स्थल से स्वदेश लौटेंगे।

चोपड़ा पिछले एक महीने से तुर्की में अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल कोहनी की चोट से उबरने के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक प्रतियोगिता में 87.86 मीटर भाला फेंककर तोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई किया था।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) के एक अधिकारी ने कहा, 'तुर्की 18 मार्च को अपनी सीमाएं बंद कर रहा है और नीरज को उससे पहले वापस आना होगा। वह बुधवार को स्वदेश पहुंच रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'वह (नीरज) डायमंड लीग के 17 अप्रैल को होने वाले दोहा चरण में भी हिस्सा नहीं लेंगे।'

डायमंड लीग के आयोजकों ने मंगलवार को घोषणा की कि डायमंड लीग की पहली तीन

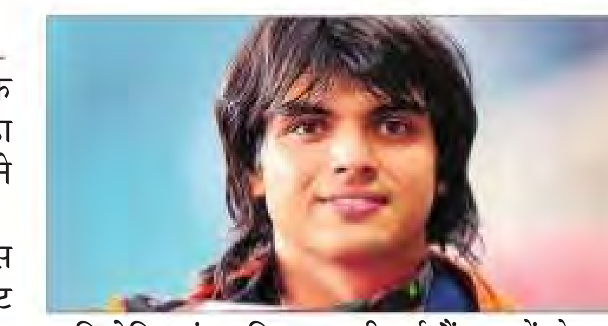

प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं। इनमें से पहली प्रतियोगिता दोहा में होनी थी।

एक अन्य भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह भी दक्षिण अफ्रीका में अपने अभ्यास स्थल पोटचेफ्सट्रूम से वापस लौट रहे हैं। शिवपाल भी तोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके हैं।

एएफआइ अधिकारी ने कहा, 'शिवपाल भी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे हैं। कोई भी भारतीय विदेशों में अभ्यास नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कहा नहीं जा सकता कि कब कोई देश अपनी सीमाएं बंद कर दे या उड़ान रद्द कर दे। हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते।'

बचाव दक्षिण कोरिया के सोल में गोचेक स्काइ डोम में कोरोना वायरस से बचाव के लिए कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करता एक व्यक्ति।

कोरोना से स्पेन में एक फुटबाल कोच की मौत

मैड्रिड, 17 मार्च (भाषा)।

स्पेन के मालागा में कोविड 19 संक्रमण के कारण एक 21 वर्षीय फुटबाल कोच की मौत हो गई। स्पेनिश लीग सेकंड डिवीजन टीम एटलेटिको पोर्टाडा अल्टा की युवा टीम के कोच फ्रांसिस्को गार्शिया को कोविड 19 के लक्षण मिलने के बाद स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह ल्यूकेमिया से भी पीड़ित था।

क्लब ने कहा, 'हम अपने कोच फ्रांसिस्को गार्शिया के परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तुम्हारे बिना कैसे खेलेंगे फ्रांसिस्को। लेकिन हम तुम्हारे लिए खेलेंगे। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे।' स्पेन में अब तक कोरोना वायरस के 9000 मामले सामने आ चुके हैं और 300 लोग मारे गए हैं।

केन रिचर्डसन ने कहा, मुझे लगा यह मजाक है

मेलबर्न, 17 मार्च (भाषा)।

कोविड-19 के संभावना के कारण कुछ समय के लिए पृथक रहे आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन ने कहा कि एकबारगी उन्हें लगा कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसा न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला के दौरान हुआ। परीक्षण से पता चला कि रिचर्डसन कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं। वह टीम से नहीं जुड़ पाए क्योंकि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए यह श्रृंखला बीच में ही रद्द कर दी गई।

गेंदबाज ने क्रिकेट.काम.एयू से कहा, 'मैं इसलिए जोखिम में था क्योंकि पिछले सप्ताह के दौरान मैंने विदेश दौरा किया था और मुझ में चार में से एक लक्षण पाया गया था। यही वजह थी कि मेरा परीक्षण किया गया।' उन्होंने कहा, 'एक समय मुझे लगा कि मेरे साथ मजाक किया जा रहा है लेकिन तब चिकित्सकों ने समझाया कि ऐसा नहीं है।' रिचर्डसन ने कहा, 'मुझे उम्मीद थी कि मेरा परीक्षण पॉजीटिव नहीं आएगा और ईश्वर की कृपा से ऐसा ही हुआ। मैं अच्छा था और मैं बाहर जाकर फिर से ताजा हवा ले सकता था।'

आस्ट्रेलिया ने सारा क्रिकेट रद्द किया

सिडनी, 17 मार्च (एएफपी)।

आस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के कारण अपना घरेलू शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट रद्द कर दिया जिसमें न्यू साउथवेल्स को चैंपियन घोषित किया गया। टूर्नामेंट के आखिरी दौर के मुकाबले पहले ही रद्द कर दिए गए थे। नौ दौर में आगे रही न्यू साउथवेल्स को विजयी घोषित किया गया।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे श्रृंखला भी रद्द कर दी गई जिसमें दर्शकों के बिना खेला गया पहला मैच आस्ट्रेलिया ने जीता था।

यौन उत्पीड़न के मामले में मुक्केबाजी कोच गिरफ्तार

नई दिल्ली, 17 मार्च (भाषा)।

एक मुक्केबाजी कोच को एक छात्रा के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया है। घटना फरवरी की है जब वे एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पश्चिम बंगाल गए थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि छात्रा प्रतियोगिता में हरियाणा का नेतृत्व कर रही थी। कोच (28) के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (एनडीएलएस) से 27 फरवरी को कोलकाता जाते समय उसके कोच ने उसके साथ ट्रेन में उसका यौन उत्पीड़न किया था। महिला ने शिकायत में यह भी कहा कि कोलकाता में रहने के दौरान भी कोच ने उसका यौन उत्पीड़न किया। अधिकारी ने बताया कि भादंवि की संबंधित धाराओं के तहत एनडीएलएस में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि कोच को पूछताछ के लिए हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया गया। उसने महिला मुक्केबाज का यौन उत्पीड़न करने की बात स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि वह सोनीपत में एक मुक्केबाजी अकादमी चलाता है और मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका है।

कोरोना के कारण 15 तक स्थगित है प्रतियोगिता | **खतरे में आइपीएल** | क्रिकेट आस्ट्रेलिया कर रहा है विचार

आइपीएल अनुबंध छोड़ सकते हैं आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी

स्थानीय मीडिया में जानकारी

मेलबर्न, 17 मार्च (भाषा)।

विषाणु के प्रकोप के चलते आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर अपने लुभावने आइपीएल अनुबंध छोड़ सकते हैं। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आइपीएल 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है।

क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को आधिकारिक तौर पर कोई निर्देश नहीं दिया है। इसके मुख्य कार्यकारी केविन राबटर्स ने मंगलवार को कहा कि खिलाड़ियों का आइपीएल टीमों के साथ व्यक्तिगत अनुबंध है और उन्हें खुद तय करना है कि इस साल आइपीएल खेलना है या नहीं।

उन्होंने कहा, 'हम सलाह दे सकते हैं। हमें पता है कि आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का आइपीएल के साथ व्यक्तिगत अनुबंध है और जल्दी ही वह समय आएगा जब खिलाड़ी हमसे राय मांगेंगे।' इसमें कहा गया, 'उम्मीद है कि अनिश्चितता की इस स्थिति में खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ फैसला ले सकेंगे।'

द आस्ट्रेलियन अखबार ने लिखा है कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया इस पर विचार कर रहा है कि उसके खिलाड़ियों को आइपीएल या ब्रिटेन में द हंड्रेड सीरिज में भाग लेने की अनुमति दे या नहीं। आइपीएल में 17 आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के करार हैं। पैट कमिंस सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 32 लाख डालर में खरीदा था।

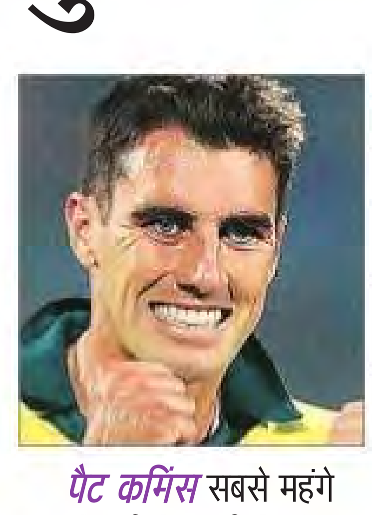

पैट कमिंस सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 32 लाख डालर में खरीदा

17 आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के करार आइपीएल में

द आस्ट्रेलियन अखबार ने लिखा है कि क्रिकेट आस्ट्रेलिया इस पर विचार कर रहा है कि उसके खिलाड़ियों को आइपीएल या ब्रिटेन में द हंड्रेड सीरिज में भाग लेने की अनुमति दे या नहीं। आइपीएल में 17 आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के करार हैं।

खिलाड़ी ही करेंगे खेलने पर आखिरी फैसला

मुख्य कार्यकारी केविन राबटर्स ने मंगलवार को कहा कि खिलाड़ियों का आइपीएल टीमों के साथ व्यक्तिगत अनुबंध है और उन्हें खुद तय करना है कि इस साल आइपीएल खेलना है या नहीं।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 121, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com